

**छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास)
सहकारी संघ मर्यादित**

“वन धन भवन”, सेक्टर-24, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

(पंजीयन क्रमांक 225 दिनांक 31.10.2000)



बाईसवीं वार्षिक साधारण सभा

दिनांक : 30 अक्टूबर 2021

समय : अपरान्ह 03.00 बजे

स्थान : कान्फ्रेन्स हॉल, तृतीय तल, वन धन भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर



कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित
“वन धन भवन”

सेक्टर-24, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

E-mail: mfpfed.cg@nic.in

(0771) 2513100

Website: www.cgmpfed.org

क्रमांक/MFP08/01-01-AGM/22/2021/12117

नवा रायपुर, दिनांक

13/10/2021

प्रति,

1. श्री भरत साय, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ रायपुर
पता - मुण्डाडीह, पोस्ट भगोरा, तहसील फरसाबहार, जिला जशपुर (छ.ग.)
2. श्री टीकम टांडिया, उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ रायपुर
पता - ग्राम पोस्ट भीरागांव, तहसील भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
3. कु. समीरा पैकरा, संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ रायपुर
पता - ग्राम पोस्ट नयापारा (उमरखोई) व्हाया खोडरी, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
4. श्रीमती सुशीला बाई, संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ रायपुर
पता- ग्राम मुड़ागांव, पोस्ट मुड़गेलमाल, तहसील मैनपुर, जिला गरियाबंद (छ.ग.)
5. श्री कपूर चंद बिसाई, संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ रायपुर
पता - ग्राम पोस्ट बकावण्ड, विकासखण्ड बकावण्ड, जिला बस्तर (छ.ग.)
6. श्री यज्ञ दत्त शर्मा, संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ रायपुर
पता - पता- ग्राम आमापारा, बालोद, तहसील बालोद, जिला बालोद।
7. श्री बसंत सिंह, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कोरिया, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम जटासमेर, पोस्ट पतरापाली, तहसील बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया (छ.ग.)
8. श्री प्रीतम सिंह, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, मनेन्द्रगढ़, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम पोस्ट बहरासी, तहसील भरतपुर, जिला कोरिया (छ.ग.)
9. श्री अखिलेश, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सरगुजा, संघ प्रतिनिधि,
पता - ग्राम कोरछा, पोस्ट लखनपुर, तहसील लखनपुर जिला सरगुजा (छ.ग.)
10. श्री राम सुन्दर, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बलरामपुर, संघ प्रतिनिधि
पता- ग्राम पोस्ट रघुनाथनगर, जिला बलरामपुर (छ.ग.)
11. श्री हीरा सिंह, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सूरजपुर, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम डडरी, पोस्ट जयनगर, विकासखण्ड व जिला सूरजपुर (छ.ग.)
12. श्री मनोहर सिंह राज, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बिलासपुर, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम पोस्ट छतौना, व्हाया बेलगहना, तहसील कोटा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
13. श्री सुन्दर सिंह राठिया, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कोरवा, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम पोस्ट गितकुवारी, व्हाया कुदमुरा, तहसील व जिला कोरवा (छ.ग.)

14. **श्रीमती बदन बाई**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कटघोरा, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम सगुना, पोस्ट बिंझरा, तहसील पाली, जिला कोरबा (छ.ग)
15. **श्री राज कुमार बिंझवार**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जांजगीर-चांपा, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम अंगारखार, पोस्ट खैजा, तहसील बलौदा, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग)
16. **श्री सुरेन्द्र कुमार सिदार**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, रायगढ़, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम पोस्ट आमगांव, ब्लाक तमनार, जिला रायगढ़ (छ.ग)
17. **श्री हृदय राम राठिया**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धरमजयगढ़, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम कुर्रा, पोस्ट राजपुर, तहसील लैलूंगा, जिला रायगढ़ (छ.ग)
18. **श्री अमर सिंह नेताम**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बलौदा-बाजार, संघ प्रतिनिधि
पता ग्राम डुमरपाली, पोस्ट बया, व्हाया पिथौरा, वि.ख. कसडोल, जिला बलौदा-बाजार (छ.ग)
19. **श्री सोमनाथ सोम**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धमतरी, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम सम्बलपुर, पोस्ट अमाली, तहसील नगरी, जिला धमतरी (छ.ग)
20. **श्री मनोहर सिंह**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, महासमुन्द, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम पोस्ट जोगनीपाली, समिति सरायपाली, जिला महासमुन्द (छ.ग)
21. **श्री पंच राम धुर्वे**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कवर्धा, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम पोस्ट कुकदुर, विकासखण्ड पंडरिया जिला कबीरधाम (छ.ग)
22. **श्री दिनेश शाह मंडावी**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, राजनांदगांव, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम पोस्ट मानपुर, जिला राजनांदगांव (छ.ग)
23. **श्री असीम राय**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पश्चिम भानुप्रतापपुर, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम पी.व्ही.36, पोस्ट हरनगढ़, तहसील पखांजूर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग)
24. **श्री पतिराम मण्डावी**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, केशकाल, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम पोस्ट खेतरपाल, तहसील केशकाल, जिला कोण्डागांव (छ.ग)
25. **श्री भगत राम मरकाम**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, द.कोण्डागांव, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम पोस्ट केरावाही, तहसील मकड़ी, जिला कोण्डागांव (छ.ग)
26. **श्री विश्राम सिंह**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कांकेर, संघ प्रतिनिधि,
पता - ग्राम माण्डरादरहा, पोस्ट जामगांव, तहसील नरहनपुर जिला कांकेर (छ.ग)
27. **श्री महादेव देहारी**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, नारायणपुर, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम डुमरतराई, पोस्ट बाकुलवाही, जिला नारायणपुर (छ.ग)
28. **श्री मङ्कम हड़मा**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सुकमा, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम चिचोरगुड़ा, पोस्ट मिसमा, तहसील कोंटा, जिला सुकमा (छ.ग)

29. श्री फागूराम तेलामी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दन्तेवाड़ा, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम डारापाल, पोस्ट नेलसनार, जिला बीजापुर (छ.ग)
30. कार्यकारी संचालक, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित, एन.सी.यू.आई.
बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, 3 सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016
31. संचालक, आदिम जाति कल्याण मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, रूम नं. एफ-280,
अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110016
32. प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
33. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, छ.ग., नवा रायपुर, अटल नगर
34. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, नवा रायपुर, अटल नगर
35. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
36. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) वन विभाग, छ.ग., नवा रायपुर, अटल नगर
37. विशेष सचिव, छ.ग.शासन, आदिमजाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
38. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
39. श्री सतीश पाण्डेय, अपर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन - वित्त विभाग, मंत्रालय,
नवा रायपुर, अटल नगर

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर की बाईसवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 30.10.2021 को आयोजित किये जाने के संबंध में सूचना।

उपरोक्त विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर की बाईसवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 30.10.2021 को अपरान्ह 3.00 बजे “कान्फ्रेन्स हॉल, तृतीय तल, वन धन भवन, सेक्टर-24, नवा रायपुर, अटल नगर” में आयोजित की गई है। कृपया निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होने का कष्ट करेंगे।

संलग्न:- विषय सूची।

सही/-

संयुक्त पंजीयक एवं सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर

विषय सूची

अनु.क्र.	विषय
1	इक्कीसवीं वार्षिक आम सभा दिनांक 30.12.2020 के कार्य वृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन।
2	वित्तीय वर्ष 2021-22 में किये गये कार्यों - तेन्दू पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोंद वर्ग- 1 एवं वर्ग- 2 का व्यापार, तेन्दू पत्ता संग्राहकों एवं फड़मुंशियों हेतु बीमा योजनायें, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का विवरण।
3	वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रस्तावित क्रिया-कलापों - तेन्दू पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोंद वर्ग- 1 एवं वर्ग- 2 का व्यापार, तेन्दू पत्ता संग्राहकों एवं फड़मुंशियों हेतु बीमा योजना, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का अनुमोदन।
4	वित्तीय वर्ष 2019-20 के पारित अंकेक्षण उपरांत पूंजी पर अर्जित ब्याज (लाभ) का विभाजन।
5	वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये पुनरीक्षित एवं वर्ष 2022-23 के लिए बजट की स्वीकृति।
6	वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु संपरीक्षक की नियुक्ति बाबत।
7	वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंकेक्षित वित्तीय पत्रकों का अनुमोदन।

कृपया निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होने का कष्ट करें।

सही/-

संयुक्त पंजीयक एवं सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर

विषय सूची

अनु. क्र.	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1	इक्कीसवीं वार्षिक आम सभा दिनांक 30.12.2020 के कार्य वृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन।	01-11
2	वित्तीय वर्ष 2021-22 में किये गये कार्य - तेन्दू पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोंद वर्ग- 1 एवं वर्ग- 2 का व्यापार, तेन्दू पत्ता संग्राहकों एवं फड़मुंशियों हेतु बीमा योजनाएँ, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का विवरण।	12-37
3	वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रस्तावित क्रिया-कलापों - तेन्दू पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोंद वर्ग- 1 एवं वर्ग- 2 का व्यापार, तेन्दू पत्ता संग्राहकों एवं फड़मुंशियों हेतु बीमा योजना, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का अनुमोदन।	38-42
4	वित्तीय वर्ष 2019-20 के पारित अंकेक्षण उपरांत पूंजी पर अर्जित ब्याज (लाभ) का विभाजन।	43
5	वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये पुनरीक्षित एवं वर्ष 2022-23 के लिए बजट की स्वीकृति।	44-63
6	वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु संपरीक्षक की नियुक्ति बाबत।	64
7	वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंकेक्षित वित्तीय पत्रकों का अनुमोदन।	65

सही/-

संयुक्त पंजीयक एवं सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर

अध्यक्षीय उद्बोधन

सम्माननीय प्रतिनिधिगण तथा संचालकगण,

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ की बाइसवीं वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित सभी सम्माननीय संचालक मण्डल के सदस्यों एवं प्रतिनिधियों का मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ।

सहकारिता में त्रिस्तरीय संरचना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) शीर्ष सहकारी संस्था है। जिसका कार्यक्षेत्र समस्त छत्तीसगढ़ राज्य है एवं इसके अंतर्गत 902 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां एवं 31 जिला वनोपज सहकारी संघ कार्यरत है। छत्तीसगढ़ राज्य में 44 प्रतिशत क्षेत्र वनभूमि होने के कारण यहां पर लघु वनोपज का बाहुल्य है। लगभग 12.50 लाख परिवार लघु वनोपज के संग्रहण से आय प्राप्त करते हैं, जिसमें से अधिकांश गरीब एवं आदिवासी हैं। राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ इन्हीं गरीब व आदिवासी संग्रहणकर्ताओं के आर्थिक व सामाजिक उन्नति के लक्ष्य की पूर्ति में अग्रसर है।

तेन्दू पत्ता संग्रहण वर्ष 2021 में तेन्दू पत्ते की संग्रहण दर रुपये 4000/- प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई। तेन्दू पत्ता संग्रहण वर्ष 2021 में संग्रहित होने वाले तेन्दू पत्ता के अग्रिम विक्रय हेतु 902 प्राथमिक समितियों के तेन्दू पत्ता के कुल 954 लाट बनाये गये हैं, उक्त समस्त लाटों की अधिसूचित मात्रा 16.717 लाख मानक बोरा में से 775 लाटों की 13.481 लाख मानक बोरा अग्रिम में विक्रय रु. 890.97 करोड़ में किया गया। इस प्रकार औसत विक्रय दर रु. 6609/- प्रति मानक बोरा है। शेष अविक्रित 179 लाटों की अधिसूचित मात्रा 3.236 लाख मानक बोरा अग्रिम विक्रय नहीं हो सका।

तेन्दू पत्ता संग्रहण वर्ष 2021 में जिला यूनियन से प्राप्त जानकारी अनुसार अग्रिम में विक्रित 775 लाटों में 11.363 लाख मानक बोरा का संग्रहण हुआ, जिसका विक्रय मूल्य रु. 755.31 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रु. 6647/- प्रति मानक बोरा रहा।

अग्रिम में अविक्रित 179 लाटों में 1.692 लाख मानक बोरा तेन्दू पत्ता का विभागीय संग्रहण कर 1.675 लाख मानक बोरा भण्डारण किया गया। इस प्रकार 179 लाटों में संग्रहित 1.675 लाख मानक बोरा तेन्दू पत्ते में से 21 लाटों की 0.175 लाख मानक बोरा मात्रा का विक्रय राशि रु. 11.26 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रु. 6417/- प्रति मानक बोरा में किया गया। शेष अविक्रित 158 लाटों की 1.500 लाख मानक बोरा तेन्दू पत्ते के विक्रय हेतु दिनांक 04.10.2021 से दिनांक 07.10.2021 तक ई-निविदाये आमंत्रित की गई है।

संघ द्वारा संचालित शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना- तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वन विभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ (मर्यादित) के समन्वय से यह योजना दिनांक 05.08.2020 से संचालित की गई है। इस योजना के अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया, जिसकी आयु मृत्यु दिनांक को 18 से 50 वर्ष से अधिक न हो, की सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति/उत्तराधिकारी को राशि रु. 2.00 लाख की सहायता अनुदान राशि प्रदाय की जायेगी। साथ ही दुर्घटना से मृत्यु होने पर राशि रु. 2.00 लाख अतिरिक्त रूप से प्रदाय किया जाता है इसके अतिरिक्त दुर्घटना से पूर्ण निःशक्त्ता की स्थिति में राशि रु. 2.00 लाख तथा

आंशिक निःशक्त्ता की स्थिति में राशि रु.1.00 लाख की सहायता अनुदान राशि दुर्घटनाग्रस्त पात्र तेन्दूपत्ता संग्राहक को प्रदान की जाएगी।

साथ ही तेन्दूपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया, जिसकी आयु मृत्यु दिनांक को 50 पूर्ण से 59 वर्ष के बीच हो, की सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति/उत्तराधिकारी को राशि रु.30,000/- एक दुर्घटना से मृत्यु होने पर रु.75,000/- की सहायता अनुदान राशि प्रदाय की जायेगी। साथ ही दुर्घटना में पूर्ण निःशक्त्ता की स्थिति में रु.75,000/- तथा आंशिक निःशक्त्ता की स्थिति में रु.37,500/- की सहायता अनुदान राशि दुर्घटनाग्रस्त पात्र तेन्दूपत्ता संग्राहक को प्रदाय की जायेगी। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक राशि में से 50 प्रतिशत की राशि छ.ग. शासन, वन विभाग द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा वहन किया जा रहा है। इस योजना में योजना लागू होने की तिथि से सितम्बर 2021 तक 1652 प्रकरणों में राशि रु. 24,45,45,000/- की संग्राहक परिवार के दावेदारों को सहायता अनुदान राशि का भुगतान किया जा चुका है।

छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के सदस्यों के जीवन की सुरक्षा हेतु सामूहिक सामाजिक सुरक्षा योजना का संचालन दिनांक 01.04.2020 से किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत संग्राहक परिवार के सदस्य जिसकी उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष से अधिक न हो, की मृत्यु होने पर संग्राहक परिवार के पंजीकृत मुखिया (दावेदार) को रु. 12,000/- की सुरक्षा सहयोग राशि का भुगतान किया जाता है। इस योजना में योजना लागू तिथि से सितम्बर 2021 तक 1527 प्रकरणों में रु.1,83,24,000/- की सुरक्षा सहयोग राशि का भुगतान किया जा चुका है।

छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा संघ के अंतर्गत प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के संग्राहक परिवार के बच्चों के लिए व्यवसायिक छात्रवृत्ति योजना का संचालित है, जिसमें शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए व्यवसायिक छात्रवृत्ति के भुगतान करने हेतु समस्त जिला यूनियनों से जानकारी मंगाई जा रही है।

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2019 के तेन्दूपत्ता के निर्वर्तन उपरान्त प्राप्त शुद्ध आय (व्यय घटाकर) की राशि में से शासन से अनुमोदन उपरान्त लगभग राशि रुपये 70.88 करोड़ का तेन्दूपत्ता संग्राहकों को उनके द्वारा संग्रहित तेन्दूपत्ता के अनुपात में प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण का कार्य दिनांक 11.10.2021 से किया जा रहा है।

माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की गयी जनघोषणा क्रियान्वयन हेतु गठित समिति के निर्णय अनुसार, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों को तृतीय वर्ग कर्मचारी का दर्जा दिये जाने की कार्यवाही शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

राज्य शासन द्वारा लाख पालन कार्य को कृषि के समतुल्य मानते हुए लाख पालन हेतु बिना किसी ब्याज के फसल ऋण, फसल बीमा सुविधा लाख कृषकों को प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। लगभग 50,000 कृषकों द्वारा 4 लाख टन लाख का उत्पादन प्रति वर्ष किया जाता है जिससे किसानों को राशि रु.100 करोड़ का आय प्राप्त होता है आगामी 03 वर्ष में लाख उत्पादन को 4000 टन से बढ़ाकर 10000 टन किये जाने का संकल्प शासन द्वारा दिया गया है।

वर्तमान वर्ष 2020-21 में 38 प्रकार के लघु वनोपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय करने की अनुमति शासन द्वारा दी गई है। इसके अतिरिक्त व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण लघु वनोपज जिनका न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं है कि खरीदी संघ द्वारा निर्धारित दर पर की जा रही है। कुल 14 लघु वनोपज, संघ द्वारा निर्धारित दर पर क्रय किया जा रहा है। लघु वनोपज क्रय का कार्य स्व-सहायता समूहों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। इससे एक ओर जहां संग्राहकों को उनके वनोपज को उचित मूल्य प्राप्त हो रहा है, वहीं दूसरी ओर समूहों को रोजगार प्राप्त हो रहा है।

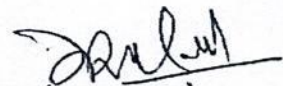
संघ द्वारा संग्रहित वनोपज को प्राथमिक प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिये राज्य में 139 वन-धन विकास केंद्रों की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से 116 प्रकार के हर्बल उत्पाद तैयार कर “छत्तीसगढ़ हर्बल्स” नाम पर संजीवनी केंद्रों द्वारा विक्रय किये जा रहे हैं।

राज्य में लघु वनोपज को वृहद स्तर पर प्रसंस्करण करने हेतु राज्य के पाटन क्षेत्र में एक केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई एवं इसी प्रकार दंतवाड़ा जिले में निवासरत ग्रामीणों के उत्थान के लिये वहाँ एक क्षेत्रीय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना प्रस्तावित है। केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई का निर्माण हेतु भू-अभिलेख का निर्धारण किया जा चुका है तथा क्षेत्रीय प्रसंस्करण इकाई दंतवाड़ा हेतु भू-हस्तांतरण की कार्यवाही भारत सरकार से स्वीकृति के लिये प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार लघु वनोपज प्रसंस्करण को बढ़ावा देते हुये ग्रामीणों को अतिरिक्त रोजगार का अवसर दिया जावेगा।

कोरोना संकट के दौरान लघु वनोपज के संग्रहण एवं प्रसंस्करण में संघ द्वारा उत्कृष्ट कार्य का प्रदर्शन किया गया है एवं लघु वनोपज खरीदी, उत्पाद निर्माण एवं विपणन आदि कार्यों में छत्तीसगढ़ राज्य ने पूरे देश में सबसे अधिक उत्कृष्ट कार्य कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस कार्य से कोविड संकट के दौरान संग्राहकों को आय की प्राप्ति हुई है। परिणाम स्वरूप कोरोना संकटकाल के पश्चात भी संघ के सर्वोच्च कार्यों के लिए भारत शासन अंतर्गत भारतीय जनजातीय विपणन संघ, भारत नई दिल्ली द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना एवं वनधन विकास केन्द्र योजना अंतर्गत लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को 6 उपवर्गों हेतु प्रथम एवं 2 उपवर्ग हेतु तृतीय राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। उक्त के अतिरिक्त नव उत्पाद एवं नवाचार हेतु भी छत्तीसगढ़ राज्य को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। राज्य को पुरस्कार प्राप्त होने के साथ-साथ 5 उपवर्गों में 15 वनधन विकास केन्द्र क्लस्टर को राजकीय स्तर के पुरस्कार प्रदान किये गये हैं।

अन्त में मैं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ की ओर से पुनः उपस्थित सभी सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आपके प्रयासों से छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, जिलों में कार्यरत जिला यूनियन सहकारी संघ तथा 902 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से प्रदेश के लघु वनोपज संग्राहकों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने में सफल हो सका है। आशा है भविष्य में भी आप इसी प्रकार लघु वनोपज संग्राहकों को जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं, की सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान की दिशा में कार्य करते रहेंगे।

धन्यवाद!


(भरत साय)

विषय क्रमांक - 1

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर की इक्कीसवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 30.12.2020 के कार्य वृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर की इक्कीसवीं वार्षिक साधारण सभा माननीय श्री भरत साय अध्यक्ष, छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर की अध्यक्षता में दिनांक 30.12.2020 दिन बुधवार को समय अपरान्ह 03.00 बजे से कान्फ्रेंस हॉल, तृतीय तल, वन धन भवन, सेक्टर 24, नवा रायपुर अटल नगर में प्रारंभ की गई।

बैठक के प्रारंभ में श्री एस.एस.बजाज, अपर प्रबंध संचालक (व्यापार), छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा जिला यूनियन के संघ प्रतिनिधियों एवं संचालक मंडल के सदस्यों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रबंध संचालक द्वारा आम सभा की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

आम सभा में निम्नानुसार पदाधिकारी उपस्थित रहे:-

01	श्री भरत साय, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित रायपुर पता - मुण्डाडीह, पोस्ट भगोरा, तहसील फरसाबहार, जिला जशपुर (छ.ग)
02	श्री टीकम टांडिया, माननीय उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर पता - ग्राम पोस्ट भीरागांव, तहसील भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकर (छ.ग)
03	कु. समीरा पैकरा, संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित रायपुर पता - ग्राम पोस्ट नयापारा (उमरखोई) व्हाया खोडरी, जिला बिलासपुर (छ.ग)
04	श्रीमती सुशीला बाई, संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित रायपुर पता- ग्राम मुड़ागांव, पोस्ट मुड़गेलमाल, तहसील मैनुपुर, जिला गरियाबंद (छ.ग)
05	श्री कपूर चंद बिसाई, संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित रायपुर पता - ग्राम पोस्ट बकावण्ड, विकासखण्ड बकावण्ड, जिला बस्तर (छ.ग)
06	श्री प्रीतम सिंह, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, मनेन्द्रगढ़, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम पोस्ट बहरासी, तहसील भरतपुर, जिला कोरिया (छ.ग)
07	श्री अखिलेश, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सरगुजा, संघ प्रतिनिधि, पता - ग्राम कोरछा, पोस्ट लखनपुर, तहसील लखनपुर जिला सरगुजा (छ.ग)
08	श्री राम सुन्दर, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बलरामपुर, संघ प्रतिनिधि पता- ग्राम पोस्ट रघुनाथनगर, जिला बलरामपुर (छ.ग)
09	श्री मनोहर सिंह राज, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बिलासपुर, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम पोस्ट छतौना, व्हाया बेलगहना, तहसील कोटा, जिला बिलासपुर (छ.ग)

10	श्री सुन्दर सिंह राठिया, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कोरबा, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम पोस्ट गितकुवारी, ढाया कुदमुरा, तहसील व जिला कोरबा (छ.ग)
11	श्रीमती बदन बाई, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कटघोरा, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम सगुना, पोस्ट बिंझरा, तहसील पाली, जिला कोरबा (छ.ग)
12	श्री राज कुमार बिंझवार, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जांजगीर-चांपा, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम अंगारखार, पोस्ट खैजा, तहसील बलौदा, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग)
13	श्री सुरेन्द्र कुमार सिदार, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, रायगढ़, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम पोस्ट आमगांव, ब्लाक तमनार, जिला रायगढ़ (छ.ग)
14	श्री हृदय राम राठिया, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धरमजयगढ़, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम कुर्रा, पोस्ट राजपुर, तहसील लैलुंगा, जिला रायगढ़ (छ.ग)
15	श्री अमर सिंह नेताम, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बलौदा-बाजार, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम डुमरपाली, पोस्ट बया, ढाया पिथौरा, वि.ख. कसडोल, जिला बलौदा-बाजार (छ.ग)
16	श्री सोमनाथ सोम, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धमतरी, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम सम्बलपुर, पोस्ट अमाली, तहसील नगरी, जिला धमतरी (छ.ग)
17	श्री मनोहर सिंह, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, महासमुन्द, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम पोस्ट जोगनीपाली, समिति सरायपाली, जिला महासमुन्द (छ.ग)
18	श्री पंच राम धुर्वे, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कवर्धा, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम पोस्ट कुकदुर, विकासखण्ड पंडरिया जिला कबीरधाम (छ.ग)
19	श्री दिनेश शाह मंडावी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, राजनांदगांव, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम पोस्ट मानपुर, जिला राजनांदगांव (छ.ग)
20	श्री मोतीराम, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, खैरागढ़, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम खम्पुरा, पोस्ट बोरतलाब, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग)
21	श्री पतिराम मण्डावी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, केशकाल, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम पोस्ट खेतरपाल, तहसील केशकाल, जिला कोण्डागांव (छ.ग)
22	श्री महादेव देहारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, नारायणपुर, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम डुमरतराई, पोस्ट बाकुलवाही, जिला नारायणपुर (छ.ग)
23	श्री संजय शुक्ला, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, नवा रायपुर, अटल नगर
24	श्री जे.एस.महस्के, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) वन विभाग, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
25	श्री एस.के.दुबे, उप सचिव, प्रतिनिधि विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

26	श्रीमति सावित्री भगत, संयुक्त पंजीयक, प्रतिनिधि पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
----	---

इक्कीसवीं वार्षिक साधारण सभा की बैठक में श्री एस.एस.बजाज, अपर प्रबंध संचालक (व्यापार), श्री बी.आनंद बाबू, अपर प्रबंध संचालक (विकास), श्री आर.के.जांगड़े, महा प्रबंधक एवं सुश्री किरन गुप्ता सचिव, श्री एस.के.दत्ता, उप महा प्रबंधक (प्रणाली) छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ, मर्यादित रायपुर भी उपस्थित रहे।

आम सभा में निम्नानुसार पदाधिकारी अनुपस्थित रहे:-	
01	श्री बसंत सिंह, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कोरिया, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम जटासमेर, पोस्ट पतरापाली, तहसील बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया (छ.ग)
02	श्री हीरा सिंह, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सूरजपुर, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम डडरी, पोस्ट जयनगर, विकासखण्ड व जिला सूरजपुर (छ.ग)
03	श्री असीम राय, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पश्चिम भानुप्रतापपुर, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम पी.व्ही.36, पोस्ट हरनगढ़, तहसील पखांजूर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग)
04	श्री भगत राम मरकाम, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दक्षिण कोण्डागांव, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम पोस्ट केरावाही, तहसील मकड़ी, जिला कोण्डागांव (छ.ग)
05	श्री विश्राम सिंह, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कांकेर, संघ प्रतिनिधि, पता - ग्राम माण्डरादरहा, पोस्ट जामगांव, तहसील नरहरपुर जिला कांकेर (छ.ग)
06	श्री मड़कम हड़मा, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सुकमा, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम चिचोरगुड़ा, पोस्ट मिसमा, तहसील कोंटा, जिला सुकमा (छ.ग)
07	श्री पारेट कन्हैया, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बीजापुर, संघ प्रतिनिधि, पता - ग्राम पेगड़ापल्ली, पोस्ट दूधेड़ा, तहसील भोपालपट्टनम, जिला बीजापुर (छ.ग)
08	श्री फागूराम तेलामी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दन्तेवाड़ा, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम डारापाल, पोस्ट नेलसनार, जिला बीजापुर (छ.ग)
09	कार्यकारी संचालक, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, 3 सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016
10	संचालक, आदिम जाति कल्याण मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, रूम नं. एफ-280, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110016
11	प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
12	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, छ.ग., नवा रायपुर, अटल नगर
13	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

14	श्री सतीश पाण्डेय, अपर सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर।
----	--

सभा में विषयवार विचार-विमर्श करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

विषय क्रमांक	विषय	संकल्प/निर्णय	की गई कार्यवाही
1	बीसवीं वार्षिक आम सभा दिनांक 30.09.2019 के कार्य वृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन।	इक्कीसवीं वार्षिक साधारण सभा द्वारा बीसवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 30.09.2019 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी तथा पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
2	वित्तीय वर्ष 2020-21 में किये गये कार्यों - तेन्दू पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोंद वर्ग- 1 एवं वर्ग- 2 का व्यापार, तेन्दू पत्ता संग्राहकों एवं फड़मुशियों हेतु बीमा योजनायें, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का विवरण।	वार्षिक साधारण सभा में प्रबंध संचालक के द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में संघ द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाये यथा तेन्दूपत्ता बोनस वितरण, शहीद महेन्द्र कर्मा तेन्दूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, वन धन योजना, छात्रवृत्ति वितरण योजना, लाख विकास आदि के अन्तर्गत किये गये कार्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ति से संबंधित विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया, जिसका अनुमोदन आमसभा द्वारा किया गया। संघ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किये गये कार्यों एवं लक्ष्यपूर्ति की सराहना आमसभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा किया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। अद्यतन जानकारी का विस्तृत विवरण पुस्तिका में अंकित है।

3	वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रस्तावित क्रिया-कलापों - तेन्दू पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोंद वर्ग- 1 एवं वर्ग- 2 का व्यापार, तेन्दू पत्ता संग्राहकों एवं फड़मुंशियों हेतु बीमा योजना, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का अनुमोदन।	वार्षिक साधारण सभा में प्रबंध संचालक द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु, संघ में संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की कार्ययोजना तथा निर्धारित लक्ष्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया, जिसका अनुमोदन आमसभा द्वारा किया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। अद्यतन जानकारी का विस्तृत विवरण पुस्तिका में अंकित है।
4	वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंकेक्षित वित्तीय पत्रकों का अनुमोदन।	वित्तीय वर्ष 2019-20 का अंकेक्षित वित्तीय पत्रक को संचालक मण्डल से अनुमोदन उपरान्त, वार्षिक साधारण सभा में अवलोकन/विचार प्रस्तुत किया गया, जिसका वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित/पारित किया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
5	वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंकेक्षण टीप संचालक मण्डल के अनुमोदन उपरान्त आमसभा में शुद्ध लाभ की विभाजन की पुष्टि बाबत।	वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंकेक्षण टीप के अनुसार संघ के शुद्ध लाभ के विनियोजन का प्रस्ताव (संचालक मण्डल से अनुमोदन उपरान्त) वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत किया गया, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया।	अनुमोदन उपरान्त संघ की लेखा पुस्तकों में प्रमाणक तैयार किया गया है।
6	वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये पुनरीक्षित एवं वर्ष 2021-22 के लिए बजट की स्वीकृति।	वार्षिक साधारण सभा में लघु वनोपज संघ द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये पुनरीक्षित बजट प्रस्ताव तथा वर्ष 2021-22 के लिये	1) 21वीं वार्षिक साधारण सभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये “पूँजीगत व्यय अंतर्गत-निर्माण (अचल सम्पत्ति) मद तथा उप

	प्रस्तावित बजट का वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। आमसभा को अवगत कराया गया कि संघ का कार्यालय भवन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु पर्याप्त नहीं है तथा निकट भविष्य में रिक्त/स्वीकृत पदों पर भर्ती की कार्यवाही भी की जा रही है, जिससे बैठक व्यवस्था बनाने में कठिनाई होगी। विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त लगभग 2000 वर्गमीटर क्षेत्रफल के अतिरिक्त निर्माण के साथ कार्यालय भवन विस्तार हेतु वर्ष 2021-22 में प्राथमिक प्राक्कलन के आधार पर राशि रुपये 6.50 करोड़ “पूँजीगत व्यय अंतर्गत - निर्माण (अचल संपत्ति) मद तथा उप-मद भवन निर्माण (कार्यालय-भवन)” के अतिरिक्त प्रावधान हेतु आमसभा द्वारा सहमति प्रदान की गयी।	मद भवन निर्माण (कार्यालय भवन)” के अंतर्गत कार्यालय विस्तारीकरण हेतु 6.50 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था। 2) कार्यालय कार्यपालन अभियंता, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, राजधानी परियोजना संभाग-2, सेक्टर-27, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/ 322/ कार्य. अभि./तक.शा./राज. परि.सं.-2/ 2021 दिनांक 03.04.2021 द्वारा कार्यालय भवन विस्तारीकरण हेतु संशोधित प्रथम चरण प्राक्कलन राशि रुपये 764.20 लाख के विरुद्ध 741.70 लाख द्वितीय चरण विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर प्रेषित किया गया था। कार्यालय कार्यपालन अभियंता के उक्त पत्र द्वारा संशोधित प्राक्कलन की राशि रुपये 741.70 लाख किये जाने के कारण संचालक मण्डल में प्रस्ताव क्रमांक 84:07 में वर्ष 2021-22 के लिये पुनरीक्षित बजट रुपये 742.00 लाख के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी थी। 3) रु.742.00 लाख का
--	--	--

			पूँजीगत व्यय अंतर्गत-निर्माण (अचल संपत्ति) मद तथा उप-मद भवन निर्माण (कार्यालय भवन) मद अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में पुनरीक्षित बजट प्रावधान संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदित है तथा प्रस्ताव 22वीं आमसभा में अनुमोदन/स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।
7	वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु संपरीक्षक की नियुक्ति बाबत।	वार्षिक साधारण सभा में लघु वनोपज संघ द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु मेसर्स एस.के. पटोडिया एण्ड संस, रायपुर के संपरीक्षक नियुक्ति के प्रस्ताव का उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।	कार्यालयीन आदेश क्रमांक /36 दिनांक 27.01.2021 से मेसर्स एस.के. पटोडिया एण्ड कंपनी रायपुर के संपरीक्षक नियुक्ति हेतु आदेश जारी किया गया है। उनके द्वारा उक्त अवधि का अंकेक्षण कार्य किया गया है।
8	वर्ष 2018 सीजन के लिये अग्रिम में अविक्लित तेन्दूपत्ता फड़ों एवं अस्थाई गोदाम हैंडलिंग एवं अन्य प्राकृतिक कारणों से हुई क्षति की राशि का अपलेखन करने बाबत।	वार्षिक साधारण सभा में प्रबंध संचालक द्वारा वर्ष 2018 सीजन के लिये अग्रिम में अविक्लित तेन्दूपत्ता फड़ों एवं अस्थाई गोदाम हैंडलिंग एवं अन्य प्राकृतिक कारणों से हुई क्षति की राशि का अपलेखन राशि रु. 51712/- के स्थान पर राशि रु. 63204/- करने हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसका आम सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।	कार्यालयीन आदेश क्रमांक 44 आदेश पृ.क्रमांक/वनो/संघ/उत्पा/2021/1450 दिनांक 02.02.2021 के द्वारा अपलेखन आदेश जारी किया गया है।

संचालक सदस्यों/प्रतिनिधियों के द्वारा दिये गये सुझाव एवं की गई कार्यवाही का विवरण		
क्रमांक	सुझाव	की गयी कार्यवाही
01	श्री टीकम टांडिया, संघ उपाध्यक्ष एवं श्री मोती राम संघ प्रतिनिधि जिला वनोपज सहकारी यूनियन खैरागढ़ के द्वारा मांग की गयी कि, वन धन योजनान्तर्गत, संघ के संचालक सदस्यों तथा प्रतिनिधियों के लिये भी शिक्षा-प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाये।	वर्ष 2021 में कोरोना संक्रमण के कारण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सका है। समय-समय पर क्षेत्रीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम अब प्रारंभ किया जा चुका है।
02	श्री मोती राम, संघ प्रतिनिधि, जिला वनोपज सहकारी यूनियन खैरागढ़ द्वारा, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति पैलीमेटा में प्रबंधक नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितता की जांच की मांग की गयी।	प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति पैलीमेटा में प्रबंधक नियुक्ति की प्रक्रिया के विरुद्ध शेष अभ्यर्थी श्री डाकेश्वर/ लुदुराम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में पिटीशन नं. 4214/2020 दायर किया गया है, जो विचाराधीन है। अंतिम निर्णय आने पर अपेक्षित कार्यवाही की जा सकेगी।
03	श्री हृदय राम राठिया, संघ प्रतिनिधि, जिला वनोपज सहकारी यूनियन धरमजयगढ़ द्वारा सालबीज खरीदी का लंबित भुगतान स्व-सहायता समूह को कराये जाने की मांग की गयी।	कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ MFP03/MSP/वित्त/ 2021/2713 दिनांक 04.03.2021 द्वारा राशि प्रदाय की गई है।
04	श्री हृदय राम राठिया, संघ प्रतिनिधि, जिला यूनियन धरमजयगढ़ एवं उपस्थित प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि तेन्दू पत्ता का उत्पादन घट रहा है। अतः ऐसी योजना बनाई जावे, जिससे कि तेन्दूपत्ता का उत्पादन बढ़े एवं संग्रहण लक्ष्य अधिक प्राप्त हो। जंगलों में बूटा कटाई नहीं हो रहा है तथा किसान अपनी जमीन पर तेन्दू पत्ता रहने नहीं दे रहे हैं। जहाँ तेन्दू पत्ता प्राप्त होता था वहाँ खेत बनाकर खेती की जा रही है। अतः तेन्दूपत्ता उत्पादन होता रहे, इसके लिये आवश्यक योजना तैयार की जानी चाहिये। इस संबंध में प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ रायपुर के द्वारा आवश्यक कार्यवाही किये जाने बाबत आश्वासन उपस्थित	यह विषय लघु वनोपज संघ से संबंधित नहीं है। चूंकि अधिकांश पत्ता राजस्व भूमि/कृषि भूमि पर होता है, जिसके उपयोग पर संघ का नियंत्रण नहीं है। अतः ऐसी कोई योजना तैयार किया जाना व्यवहारिक नहीं है। बूटा कटाई पर विशेष ध्यान दिया गया है तथा वन विभाग के

	सदस्यों को दिया गया।	अधिकारियों को भी अनुश्रवण हेतु duty लगाई गई थी।
05	उपस्थित सम्माननीय प्रतिनिधियों द्वारा प्रबंधक सेवा भर्ती नियम में संशोधन, अनुकम्पा नियुक्ति प्रावधान तथा प्रबंधक की नियुक्ति संबंधी अधिकार समिति के संचालक मण्डल/अध्यक्ष को दिये जाने की मांग की गयी।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
06	श्री मनोहर सिंह राज, संघ प्रतिनिधि, जिला वनोपज सहकारी यूनियन बिलासपुर द्वारा यूनियन में पदस्थ सदस्य वाहक को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की मांग की गयी।	प्रकरण में प्रबंध संचालक जिला यूनियन बिलासपुर को शिकायत की जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है। उनके द्वारा पत्र क्रमांक/जि.यू.बि./स्थापना /2021/2784 दिनांक 04.09.2021 द्वारा जांच प्रक्रियाधीन होने की जानकारी दी गई है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
07	श्री टीकम टांडिया उपाध्यक्ष ने तेंदूपत्ता संग्राहक की पुराने वर्ष के मृत्यु प्रकरण के निराकरण एवं योजना का संचालन के संबंध में चर्चा की, कुछ प्रतिनिधि ने संग्राहकों हेतु संचालित शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने का सुझाव दिया।	संघ की 21वीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 30.12.2020 को संपन्न हुई। उपस्थित संचालक सदस्यों / प्रतिनिधियों के द्वारा संघ संचालित शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किए जाने का सुझाव दिया। LIC में लंबित पुराने बीमा दावा प्रकरण के निपटारा हेतु समस्त जिला यूनियन को संघ के पत्र क्रमांक/9433 दिनांक 07.10.2020, क्रमांक/2834 दिनांक 06.03.2021 एवं क्रमांक/4686 दिनांक 07.05.2021 के द्वारा निर्देश दिये गये है। समस्त जिला यूनियनों को उनके कार्यालय

		में पदस्थ उप प्रबंध संचालक एवं संबंधित लिपिक को भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय रायपुर में संपर्क कर निराकरण करवाने हेतु निर्देश दिया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा समय-समय पर जिला यूनियन के निराकृत प्रकरणों की जानकारी भी दी जा रही है, LIC के लंबित पुराने प्रकरणों के निराकरण हेतु सतत् प्रयास किया जा रहा है। इस कार्यालय के पत्र क्र./ वनो./ संघ/बीमा/ 2020/ 10341 दिनांक 29.10. 2020 एवं पत्र क्रमांक/8889 दिनांक 14. 09.2020 के द्वारा ही इस सुझाव के पूर्व ही शहीद महेन्द्र कर्मा तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार किए जाने हेतु ब्रोशर (पाम्पलेट) इस कार्यालय के पत्र क्रमांक. /8887 दिनांक 14.09. 2020 एवं निर्देशिका तैयार कर समस्त जिला यूनियन को भेजा गया है। शहीद महेन्द्र कर्मा तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु सेवानिवृत्त बीमा सहायक अधिकारी की नियुक्ति किया गया है - जिनके द्वारा बीमा प्रकरणों में शीघ्र निराकरण किया जा रहा है और सभी जिला यूनियनो द्वारा समय-समय पर योजना के कठिनाईयों के संबंध में मार्गदर्शन लिया जाकर
--	--	---

		मूल्यांकन किया जा रहा है। जिला यूनियन द्वारा प्रबंधकों व स्थानीय बैठकों में इस योजना के प्रचार-प्रसार करने की जानकारी दी गई है। राज्य स्तर पर विभिन्न स्थानों पर बैनर, पोस्टर, होर्डिंग के माध्यम से भी योजना का प्रचार प्रसार किया जायेगा। इस हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। वर्ष 2020-21 में शहीद महेन्द्र कर्मा तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना अंतर्गत क्रियान्वयन दिनांक 05.08.2020 से 31.03.2021 तक कुल 514 दावेदारों को 7,82,00,000/- रु. तथा 19.07.2021 तक कुल 963 दावेदारों को रु. 14,65,75,000/- का सहायता अनुदान दिया गया है।
08	अन्य कई सदस्यों द्वारा संघ के बेहतर कार्य हेतु आवश्यक सुझाव दिये गये जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सहायता मिलेगी। प्रबंध संचालक द्वारा समस्त सुझावों पर नियमानुसार कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया।	नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

21वीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 30.12.2020 हेतु प्रस्तुत पालन प्रतिवेदन की पुष्टि आमसभा द्वारा की गई। तदुपरान्त माननीय अध्यक्ष द्वारा आगे की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

---000---

विषय क्रमांक - 2

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में किये गये कार्यों - तेन्दू पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोंद वर्ग- 1 एवं वर्ग- 2 का व्यापार, तेन्दू पत्ता संग्राहकों एवं फड़मुशियों हेतु बीमा योजनायें, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का विवरण।

(i) छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ की पद संरचना

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित के नियमित पद संरचना की स्वीकृति राज्य शासन द्वारा दी गई है। 01.10.2021 की स्थिति में संघ मुख्यालय, मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन मुख्य महा प्रबंधक कार्यालय तथा जिला वनोपज यूनियन में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-क पर दर्शित है।

(ii) तेन्दू पत्ता संग्राहकों हेतु बीमा योजनायें:-

(क) “शहीद महेन्द्र कर्मा” तेंदूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना:- तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वन विभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ (मर्यादित) के समन्वय से यह योजना दिनांक 05.08.2020 से संचालित की गई है। इस योजना के अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया, जिसकी आयु मृत्यु दिनांक को 18 से 50 वर्ष से अधिक न हो, की सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति/उत्तराधिकारी को राशि रु. 2.00 लाख की सहायता अनुदान राशि प्रदाय की जायेगी। दुर्घटना से मृत्यु होने पर राशि रु. 2.00 लाख अतिरिक्त रूप से प्रदाय किया जाएगा। दुर्घटना से पूर्ण निःशक्त्ता की स्थिति में राशि रु. 2.00 लाख तथा आंशिक निःशक्त्ता की स्थिति में राशि रु. 1.00 लाख की सहायता अनुदान राशि दुर्घटनाग्रस्त पात्र तेंदूपत्ता संग्राहक को प्रदान की जाएगी।

(ख) तेंदुपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया, जिसकी आयु मृत्यु दिनांक को 50 पूर्ण से 59 वर्ष के बीच हो, की सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति/उत्तराधिकारी को राशि रु. 30,000/- तथा दुर्घटना से मृत्यु होने पर रु. 75,000/- की सहायता अनुदान राशि प्रदाय की जायेगी। दुर्घटना में पूर्ण निःशक्त्ता की स्थिति में रु. 75,000/- तथा आंशिक निःशक्त्ता की स्थिति में रु. 37,500/- की सहायता अनुदान राशि दुर्घटनाग्रस्त पात्र तेंदुपत्ता संग्राहक को प्रदाय की जायेगी।

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक राशि में से 50 प्रतिशत की राशि छ.ग. शासन, वन विभाग द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा वहन किया जावेगा।

इस योजना अंतर्गत माह सितम्बर 2021 तक की स्थिति में 31 जिला यूनियनों के कुल 1652 हितग्राहियों को राशि रु. 24,45,45,000/- का भुगतान किया जा चुका है।

(ग) सामूहिक सुरक्षा योजना (संघ द्वारा संचालित)

वर्ष 2021-22 हेतु सामूहिक सुरक्षा योजना का संचालन छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित के द्वारा दिनांक 01.04.2020 से किया जा रहा है। संघ संचालित सामूहिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत मृतक तेंदूपत्ता संग्राहक के परिवार के मुखिया (दावेदार) को रुपये 12,000/- भुगतान किया जाता है। माह सितम्बर 2021 तक की स्थिति में 31 जिला यूनियनों के कुल 1527 हितग्राहियों को राशि रु. 1,83,24,000/- का भुगतान किया जा चुका है।

(घ) संघ द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं-

तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु विभिन्न शिक्षा प्रोत्साहन योजनाएं जैसे मेधावी छात्र/छात्राओं को पुरस्कार, व्यवसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति, गैर व्यवसायिक स्नातक कोर्स हेतु अनुदान योजना, तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के प्रतिभाशाली बच्चों के लिये शिक्षा प्रोत्साहन योजना लागू है।

● मेधावी छात्र/छात्राओं हेतु -

मेधावी छात्र-छात्राओं को पुरस्कार के तहत प्रत्येक प्राथमिक वनोपज समिति क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष कक्षा 8वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को रुपये 2000/-, कक्षा 10वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को रुपये 2500/- तथा कक्षा 12वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को रुपये 3000/- पुरस्कार राशि दी जाती है। यह पुरस्कार समिति क्षेत्र के अंतर्गत एक छात्र तथा एक छात्रा को प्रदान की जाती है। शैक्षणिक वर्ष 2019-20 में 2741 छात्र/छात्राओं हेतु राशि रु. 75,05,000.00 वितरित किया जा चुका है।

● प्रतिभाशाली छात्र/छात्राओं हेतु-

तेंदूपत्ता संग्राहकों के प्रतिभाशाली बच्चों जिन्होंने 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हैं, उनको कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को रुपये 15,000/- तथा कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को रु. 25,000/- शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दिया जाता है। शैक्षणिक वर्ष 2019-20 में 4702 छात्र/छात्राओं हेतु रु. 8,04,10,000.00 राशि वितरित किया जा चुका है।

● व्यवसायिक एवं गैर-व्यवसायिक छात्रवृत्ति योजना:-

शैक्षणिक वर्ष 2019-20 में व्यवसायिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 133 छात्र/छात्राओं को राशि रु. 11,09,000/- एवं गैर व्यवसायिक योजना अंतर्गत 875 छात्र/छात्राओं को राशि रु. 39,31,000/- का भुगतान किया गया है। शैक्षणिक वर्ष 2020-21 हेतु महाविद्यालय में प्रवेश ली गई छात्र/छात्राओं की जानकारी प्राप्त की जा रही है।

(ड.) प्राथमिक समितियों के प्रबंधकों एवं फंड मुंशियों का समूह बीमा -

• प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा:-

प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2021-22 में बीमा कराया गया है। वर्ष 2021-22 में 827 बीमित प्रबंधकों हेतु प्रीमियम की राशि रु. 7,86,700 का भुगतान किया गया है तथा वर्ष 2020-21 में 835 प्रबंधकों का बीमा कराया गया था जिसकी प्रीमियम की राशि रु. 7,33,770.02 का भुगतान किया गया। प्रबंधकों के मृत्यु होने पर उनके दावेदार को बीमा राशि रु. 1,00,000 का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2020-21 में पॉलिसी के नवीनीकरण तिथि के पूर्व 10 प्रबंधकों के मृत्यु दावा प्रकरण इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था जिसे भुगतान हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम रायपुर को भेजा गया था। सभी दावा प्रकरणों का भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा चुका है।

• प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के फंडमुंशियों का समूह बीमा:-

प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के तेंदूपत्ता फंडमुंशियों का भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2021-22 में बीमा कराया गया है। वर्ष 2021-22 में 9898 बीमित फंडमुंशियों हेतु प्रीमियम की राशि रु. 50,75,999 का भुगतान किया गया है तथा वर्ष 2020-21 में 9653 फंडमुंशियों हेतु राशि रु. 46,99,129.34 का प्रीमियम भुगतान किया गया। फंडमुंशियों के मृत्यु होने पर उनके दावेदार को बीमा राशि रु. 1,00,000 का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2020-21 में पॉलिसी के नवीनीकरण तिथि से पूर्व 05 फंडमुंशियों की मृत्यु दावा प्रकरण का भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा चुका है।

(iii) तेन्दू पत्ते का व्यापार

तेन्दू पत्ता वर्ष 2018 में तेन्दू पत्ते की संग्रहण दर रुपये 2500/- प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई।

जिला यूनियन से प्राप्त जानकारी अनुसार अग्रिम में विक्रित 784 लाटों में से 7 लाटों में संग्रहण नहीं हुआ, इस प्रकार 777 लाटों में 12.727 लाख मानक बोरा का संग्रहण हुआ, जिसका विक्रय मूल्य रु. 719.33 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रु. 5652/- प्रति मानक बोरा रहा। अविक्रित 167 लाटों में से 28 लाटों में संग्रहण नहीं हुआ, इस प्रकार 139 लाटों में 2.073 लाख मानक बोरा तेन्दू पत्ता का विभागीय संग्रहण कर भण्डारण किया गया। समस्त भण्डारित 139 लाटों की 2.073 लाख मानक बोरा का विक्रय राशि रु. 25.64 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रु. 1237/- प्रति मानक बोरा रहा। संग्रहण वर्ष 2018 के तेन्दू पत्ते के निर्वर्तन में विक्रित लाटों का जिला यूनियनवार विवरण परिशिष्ट-ख में संलग्न है।

तेन्दू पत्ता वर्ष 2019 में तेन्दू पत्ते की संग्रहण दर रुपये 4000/- प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई।

जिला यूनियन से प्राप्त जानकारी अनुसार अग्रिम में विक्रित 579 लाटों में 9.355 लाख मानक बोरा का संग्रहण हुआ, जिसका विक्रय मूल्य रु. 502.65 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रु. 5373/- प्रति मानक बोरा रहा। अविक्रित 374 लाटों एवं क्रेता करारनामा निष्पादित नहीं किया गया 1 लाट, कुल 375 लाटों में से 5 लाटों में संग्रहण नहीं हुआ, इस प्रकार 370 लाटों में 5.658 लाख मानक बोरा तेन्दू पत्ता का विभागीय संग्रहण कर भण्डारण किया गया। समस्त भण्डारित 370 लाटों की 5.658 लाख मानक बोरा का विक्रय राशि रु. 280.69 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रु. 4961/- प्रति मानक बोरा रहा। संग्रहण वर्ष 2019 के तेन्दू पत्ते के निर्वर्तन में विक्रित लाटों का जिला यूनियनवार विवरण परिशिष्ट-ग में संलग्न है।

तेन्दू पत्ता संग्रहण वर्ष 2020 में तेन्दू पत्ते की संग्रहण दर रुपये 4000/- प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई।

तेन्दू पत्ता संग्रहण वर्ष 2020 में जिला यूनियन से प्राप्त जानकारी अनुसार अग्रिम में विक्रित 634 लाटों में 7.717 लाख मानक बोरा का संग्रहण हुआ, जिसका विक्रय मूल्य रु. 400.98 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रु. 5196/- प्रति मानक बोरा रहा। अविक्रित 315 लाटों एवं क्रेता करारनामा निष्पादित नहीं किये गये 3 लाटों सहित कुल 318 लाटों में से 24 लाटों में संग्रहण नहीं इस प्रकार 294 लाटों में 1.991 लाख मानक बोरा तेन्दू पत्ता का विभागीय संग्रहण कर भण्डारण किया गया। दक्षिण कोण्डागांव जिला यूनियन की कोण्डागांव समिति, लॉट क्रमांक 89 की मात्रा 960.170 मानक बोरा अग्नि से जलकर नष्ट गया है। शेष भण्डारित लाटों में से 165 लाटों की 1.143 लाख मानक बोरा का विक्रय राशि रु. 55.56 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रु. 4859/- प्रति मानक बोरा रहा। संग्रहण वर्ष 2020 के तेन्दू पत्ते के निर्वर्तन में विक्रित लाटों का जिला यूनियनवार विवरण परिशिष्ट-घ में संलग्न है।

शेष अविक्रित 128 लाटों की 0.838 लाख मानक बोरा तेन्दू पत्ते के विक्रय हेतु दिनांक 04.10.2021 से दिनांक 07.10.2021 तक ई-निविदायें आमंत्रित की गई हैं।

तेन्दू पत्ता संग्रहण वर्ष 2021 में तेन्दू पत्ते की संग्रहण दर रुपये 4000/- प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई।

तेन्दू पत्ता संग्रहण वर्ष 2021 में संग्रहित होने वाले तेन्दू पत्ता के अग्रिम विक्रय हेतु 901 प्राथमिक समितियों के तेन्दू पत्ता के कुल 954 लाट बनाये गये हैं, उक्त समस्त लाटों की अधिसूचित मात्रा 16.717 लाख मानक बोरा में से 775 लाटों की 13.481 लाख मानक बोरा अग्रिम में विक्रय रु. 890.97 करोड़ में किया गया। इस प्रकार औसत विक्रय दर रु. 6609/- प्रति मानक बोरा है। शेष अविक्रित

179 लाटों की अधिसूचित मात्रा 3.236 लाख मानक बोरा अग्रिम विक्रय नहीं हो सका।

तेन्दू पत्ता संग्रहण वर्ष 2021 में जिला यूनियन से प्राप्त जानकारी अनुसार अग्रिम में विक्रित 775 लाटों में 11.363 लाख मानक बोरा का संग्रहण हुआ, जिसका विक्रय मूल्य रु. 755.31 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रु. 6647/- प्रति मानक बोरा रहा।

अग्रिम में अविक्रित 179 लाटों में 1.692 लाख मानक बोरा तेन्दू पत्ता का विभागीय संग्रहण कर 1.675 लाख मानक बोरा भण्डारण किया गया। इस प्रकार 179 लाटों में संग्रहित 1.675 लाख मानक बोरा में से 21 लाटों की 0.175 लाख मानक बोरा मात्रा का विक्रय राशि रु. 11.26 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रु. 6417/- प्रति मानक बोरा में किया गया। संग्रहण वर्ष 2021 के तेन्दू पत्ते के निर्वर्तन में विक्रित लाटों का जिला यूनियनवार विवरण परिशिष्ट-ड में संलग्न है।

शेष अविक्रित 158 लाटों की 1.500 लाख मानक बोरा तेन्दू पत्ते के विक्रय हेतु दिनांक 04.10.2021 से दिनांक 07.10.2021 तक ई-निविदायें आमंत्रित की गई हैं।

(iv) तेन्दू पत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण -

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2018 के तेन्दूपत्ता के निर्वर्तन उपरान्त प्राप्त शुद्ध आय (व्यय घटाकर) की राशि में से 80 प्रतिशत की राशि रुपये 235.51 करोड़ का संग्राहकों को सीधे उनके बैंक खाते में NEFT के मध्यम से वितरण किया जा रहा है। संग्रहण वर्ष 2018 में जिला यूनियनवार प्रोत्साहन पारिश्रमिक की वितरण योग्य, वितरित एवं वितरण से शेष का विवरण परिशिष्ट-च के संलग्न है।

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2019 के तेन्दूपत्ता के निर्वर्तन उपरान्त प्राप्त शुद्ध आय (व्यय घटाकर) की राशि में से शासन से अनुमोदन उपरान्त लगभग राशि रुपये 70.88 करोड़ का तेन्दूपत्ता संग्राहकों को उनके द्वारा संग्रहित तेन्दूपत्ता के अनुपात में प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण का कार्य दिनांक 11.10.2021 से प्रारंभ किया गया है। जिसे शीघ्र पूर्ण कर लिया जावेगा।

(v) प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के प्रबंधकों के पारिश्रमिक एवं यात्रा भत्ते में वृद्धि -

प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों के पारिश्रमिक में वृद्धि हेतु माननीय मुख्यमंत्री छ.ग.शासन द्वारा की गई जनघोषणा के क्रियान्वयन के संबंध में गठित समिति की बैठक दिनांक 12.10.2020 में बिन्दु क्रमांक (06) में पारित निर्णय के पालन में तेन्दूपत्ता प्रबंधकों को तृतीय वर्ग कर्मचारी का दर्जा दिये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/MFP08/08-04/04-02-2020/ 11181 नवा रायपुर, दिनांक 13/11/2020 द्वारा छ.ग.शासन वन विभाग को प्रेषित किया गया था। छ.ग.शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/1456/1679/2019/10-2/बजट दिनांक 04.03.2021 द्वारा स्पष्ट अभिमत चाहा गया था, जिसके पालन

में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ वनो/संघ/स्था/2021/3156 दिनांक 15.03.2021 द्वारा अभिमत प्रेषित किया गया है। पुनः कार्यालयीन पत्र क्रमांक/MFP08/ 04-02 / 2021/ 8929 दिनांक 17/08/ 2021 से प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग नवा रायपुर को स्मरण पत्र प्रेषित किया गया है। प्रकरण शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/MFP08/05-02/ 2021 /01 दिनांक 15/06/2021 तथा कार्यालयीन पत्र क्रमांक/MFP08/05-02/2021/5992 दिनांक 16/06/ 2021 द्वारा प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के प्रबंधकों को पूर्व स्वीकृत यात्राभत्तों में वृद्धि की गई है, जिसके अंतर्गत वन-धन योजना से सम्बद्ध समिति प्रबंधक हेतु 6000/- मासिक तथा अन्य समिति के प्रबंधक हेतु अधिकतम राशि रुपये 4000/- मासिक यात्राभत्ता भुगतान की सीमा निर्धारित की गई है।

(vi) संघ मुख्यालय एवं जिला यूनियनों के लेखाओं का कम्प्यूटरीकरण

संघ मुख्यालय एवं जिला यूनियन स्तर पर लेखा संधारण का कार्य “टैली साफ्टवेयर” के माध्यम से किया जा रहा है। लेखाओं के कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था से लेखा तैयार करने में समय की बचत तो हुई है साथ ही लेखाओं के गुणात्मक विश्लेषण में भी सुधार हुआ है। संघ द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 का लेखांकन कार्य “टैली साफ्टवेयर” के माध्यम से पूर्ण किया गया है। इस प्रकार वनोपज संघ लेखा तैयार करने की दृष्टि से अद्यतन हैं। प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों की कार्यक्षमता बढ़ाने एवं प्रभावी नियंत्रण की दृष्टि से चरणबद्ध तरीके से उनका कम्प्यूटराइजेशन शीघ्र शुरू किया जा रहा है।

(vii) संघ विभाजन संबंधी विवाद

राज्य पुर्नगठन के फलस्वरूप 31.10.2000 की स्थिति में पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ का विभाजन कर पश्चात्पूर्व मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित भोपाल एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित रायपुर का गठन हुआ है। उक्त विभाजन में अस्तियों एवं दायित्वों का न्यायोचित विभाजन नहीं किये जाने के कारण तथा आपसी सहमति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्रयासों को संघ भोपाल द्वारा क्रियान्वित नहीं करने के फलस्वरूप संचालक मण्डल के द्वारा दिये गये निर्देश अनुसार रुपये 93.27 करोड़ की विवादित राशि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में विविध याचिका क्रमांक 4958/2008 दायर की गई है जो माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अंतिम निर्णय हेतु माननीय उच्च न्यायालय में पेशी दिनांक 16.04.2020 को नियत थी। वर्तमान में प्रकरण में आगामी पेशी तिथि अप्राप्त है।

(viii) बैंकिंग व्यवस्था में सुधार

वनोपज के क्रेताओं को देश के किसी भी स्थान से विक्रय मूल्य एवं देय राशि जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ई-मनी ट्रान्सफर की व्यवस्था लागू की गई है। यह सुविधा संघ के आई.सी.आई.सी.आई बैंक के खातों में उपलब्ध है। इस सुविधा के अंतर्गत आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमि. के माध्यम से ऑनलाइन मनी रसीदें जारी की जा रही है।

संघ द्वारा की गई पहल के कारण अब लघुवनोपज विक्रय से संबंधी सभी कार्य पूर्णतः पारदर्शी, सुलभ एवं द्रुत हो गये हैं। इससे क्रेताओं का संघ के प्रति दृष्टिकोण अच्छा हुआ है एवं प्रशासन में कसावट आई है। इसी प्रकार क्रेताओं द्वारा विभिन्न जिला यूनियनों में जमा कराई गई

राशि को जिला यूनियनों द्वारा संघ मुख्यालय के खातों में ट्रान्सफर करने में होने वाले विलंब को दृष्टिगत रखते हुए अब सभी जिला यूनियनों द्वारा क्रेताओं द्वारा जमा कराई गई राशि को बैंकिंग के माध्यम से सीधे संघ मुख्यालय, रायपुर स्थित खातों में जमा कराई जा रही है।

जिला यूनियनों के कार्यों के संपादन हेतु पंजाब नेशनल बैंक रायपुर के सेन्ट्रल पी.एन.बी फण्ड मैनेजमेंट (एफ मोड्यूल) योजना के तहत सेन्ट्रल खाता खोला गया है एवं इसी खाते की आई.डी. सहित समस्त जिला यूनियनों के मुख्यालय पर पंजाब नेशनल बैंक शाखा में जिला यूनियनों के शून्य बैलेंस खातों खोले गये हैं। जिसके परिचालन के अधिकार भी प्रबंध संचालक जिला यूनियन को दिये गए हैं। इस व्यवस्था के तहत प्रति जिला यूनियन हेतु संघ पत्र क्रमांक/वनो./संघ/वित्त/2018/15130 रायपुर दिनांक 05.11.2018 द्वारा स्थापना प्रशासनिक व अन्य व्यय के मासिक आहरण सीमा का निर्धारण किया गया है। जिला यूनियन के शेष आवश्यक व्ययों के भुगतान हेतु उनकी मांग अनुसार पृथक से आहरण एवं भुगतान की अनुमति दी जाती है।

इसी प्रकार समस्त जिला यूनियनों के संघ मुख्यालय के पंजाब नेशनल बैंक शाखा में न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत करायें गये कार्यों के भुगतान हेतु शून्य बैलेंस पर खाते खोले गये हैं। उक्त खाते से जिला यूनियनों द्वारा जारी किये गये आहरण अनुमति की सीमा तक भुगतान किया जा सकता है।

संघ द्वारा विभिन्न हितग्राहियों के बैंक खातों में योजनाओं की राशि का सीधा हस्तांतरण प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2018 एवं 2019 के प्रोत्साहन पारिश्रमिक की राशि ऐक्सिस बैंक के माध्यम से हितग्राहियों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की गई हैं। इसी प्रकार छात्रवृत्ति योजनाओं की राशि भी बैंक खातों में ऐक्सिस बैंक के माध्यम से सीधे हस्तांतरित की जा रही है। अपेक्स बैंक के माध्यम से शहीद महेन्द्रकर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की राशि भी आर. टी.जी.एस के माध्यम से संघ मुख्यालय द्वारा सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जा रही है। इस प्रक्रिया से राशि का हस्तांतरण पारदर्शी एवं त्वरित हो गया है। संघ द्वारा इसी प्रक्रिया के अगले चरण में तेंदूपत्ता एवं अन्य लघु वनोपजों के कृय राशि का भुगतान भी सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में करने के लिए ऐक्सिस बैंक के माध्यम से साफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। भविष्य में वनोपज संग्रहण की पारिश्रमिक राशि भी सीधे संग्राहकों के बैंक खातों में भुगतान किया जाना संभव हो सकेगा।

(ix) छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का संचालक मण्डल

वर्ष 2016 में दिनांक 18.04.2016, 20.04.2016 एवं 26.04.2016 को प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों का निर्वाचन सम्पन्न हुआ था। प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों का निर्वाचन की प्रक्रिया राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग द्वारा प्रारंभ कर दी गई थी परंतु कोरोना के संबंध में जारी शासकीय गाइडलाइन्स के पालन में प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों का निर्वाचन की प्रक्रिया स्थगित की गई है। वर्तमान में 902 में से मात्र 147 प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों का निर्वाचन पूर्ण हुआ है। शेष समितियों में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49(8) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

इसी प्रकार 31 जिला वनोपज सहकारी यूनियन के बोर्ड का कार्यकाल दिनांक 31.07.2021 को समाप्त हो जाने के कारण धारा 49(8) अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकार संघ मर्यादित के बोर्ड का निर्वाचन दिनांक 03.11.2016 को हुआ था। निर्वाचित प्रतिनिधियों/संचालक सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	प्रतिनिधि का नाम	पदनाम
1	श्री भरत साय, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर	अध्यक्ष
2	श्री टीकम टोंडिया, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर	उपाध्यक्ष
3	कु.समीरा पैकरा, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर	संचालक
4	श्रीमती सुशीला बाई, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर	संचालक
5	श्री कपूरचंद बिसाई, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर	संचालक
6	श्री यज्ञदत्त शर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर	संचालक

(X) अकाष्टीय वनोपज विकास - वर्ष 2020-21 में कार्यों की प्रगति

1. लघु वनोपज संग्रहण

1.1 न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना (मद क्र. 7) -

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संचालित लघु वनोपज हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना वर्ष 2014-15 से राज्य में लागू की गई है। इस योजनांतर्गत लघु वनोपज व्यापार हेतु वर्ष 2014-15 से अभी-तक रु. 204.91 करोड़ राशि संघ को प्राप्त हुई है, जिसमें 75 प्रतिशत राशि भारत शासन द्वारा तथा 25 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई है।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा वर्ष 2020-21 से न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना अंतर्गत 38 प्रकार के वनोपज का संग्रहण किया गया है।

1.2 तेन्दू पत्ता व्यापार से प्राप्त लाभांश का 15 प्रतिशत राशि (मद क्र. 60)-

इस राशि से लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण तथा लाख पालन को बढ़ावा देने हेतु शासन द्वारा स्वीकृति पूर्व से प्राप्त है। इस राशि की सहायता से ऐसे लघु वनोपज, जिस हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वीकृत नहीं है, का संग्रहण एवं प्रसंस्करण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज संग्राहकों को लाभ देने हेतु 38 प्रकार के लघु वनोपज को भारत शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तथा 14 प्रकार के

अन्य वनोपज को उचित दर पर इस तरह कुल 52 प्रकार के लघु वनोपज के क्रय हेतु व्यवस्था की गई है।

वर्ष 2020-21 में आज दिनांक तक लगभग रू. 158 करोड़ मूल्य के वनोपज का संग्रहण किया गया है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ ने संपूर्ण देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय किये गये लघु वनोपज में से 77.02 प्रतिशत मूल्य के वनोपज का संग्रहण कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2020-21 में लघु वनोपज क्रय हेतु व्यय निर्धारित दर समतुल्य है।

लघु वनोपज सूची

क्र.	वनोपज का नाम	भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर (रू. प्रति कि.ग्रा.)	न्यूनतम समर्थन मूल्य दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि / कमी का प्रस्ताव	छ.ग. शासन द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य दर (रू. प्रति कि. ग्रा.)
1	2	3	4	5
न्यूनतम समर्थन मूल्य				
1	इमली बीज सहित	36.00	-	36.00
2	महुआ बीज	29.00	-	29.00
3	कालमेघ	35.00	-	35.00
4	नागरमोथा	30.00	-	30.00
5	बेलगुदा	30.00	-	30.00
6	शहद	225.00	-	225.00
1	2	3	4	5
7	फूल झाड़ू	50.00	-	50.00
8	महुआ फूल (सूखा)	30.00	-	30.00
9	जामुन बीज (सूखा)	42.00	-	42.00
10	कौंच बीज	21.00	-	21.00
11	धवई फूल (सूखा)	37.00	-	37.00
12	करंज बीज	22.00	-	22.00
13	बायबडिंग	94.00	-	94.00
14	आंवला (बीज रहित)	52.00	-	52.00
15	फूल इमली (बीज रहित इमली)	69.00	-	69.00
16	सालबीज	20.00	-	20.00
17	चिरौजी गुठली			
17.1	I (ग्रेड A)	126.00	-	126.00
17.2	II (ग्रेड B)	115.00	-	115.00
18	हरा	15.00	-	15.00
19	बहेड़ा	17.00	-	17.00
20	पुवाड़ (चरौटा बीज)	16.00	-	16.00

21	गिलोय	40.00	-	40.00
22	भेलवा	09.00	-	09.00
23	कुसुमी लाख	275.00	रु. 25 प्रति कि.ग्रा. की वृद्धि	300.00
24	रंगीनी लाख	200.00	रु. 20 प्रति कि.ग्रा. की वृद्धि	220.00
25	कुल्लू गोंद	114.00	रु. 11 प्रति कि.ग्रा. की वृद्धि	125.00
26	वन तुलसी बीज	16.00	--	16.00
27	वन जीरा बीज	70.00	--	70.00
28	इमली बीज	11.00	--	11.00
29	बहेड़ा कचरिया	20.00	--	20.00
30	हरा कचरिया	23.00	रु. 2.00 प्रति कि. ग्रा.की वृद्धि	25.00
31	नीम बीज	27.00	--	27.00
32	कुसुम बीज	23.00	--	23.00
33	रीठा फल (सूखा)	14.00	--	14.00
34	शिकाकाई फल्ली (सूखा)	50.00	--	50.00
35	सतावर जड़ (सूखा)	107.00	--	107.00
36	काजू गुठली			
36.1	I (ग्रेड A)	90.00	--	90.00
36.2	II (ग्रेड B)	81.00	--	81.00
37	मालकांगनी बीज	100.00	--	100.00
38	माहुल पत्ता	15.00	--	15.00
संघ द्वारा निर्धारित दर पर				
1	पलाश फूल	11.00	-	11.00
2	सफेद मूसली (सूखा)	650.00	-	650.00
3	इन्द्रजौ	150.00	-	150.00
4	पताल कुम्हड़ा	30.00	-	30.00
5	कुटज छाल (सूखा)	12.00	-	12.00
6	अश्वगंधा	350.00	-	350.00
7	आंवला (कच्चा)	28.00	-	28.00
8	सवई घास	15.00	-	15.00
9	कांटा झाड़ू	32.00	-	32.00
10	तिखुर	25.00	-	25.00
11	बीहन लाख -कुसुमी	300.00	-	300.00
12	बीहन लाख -रंगीनी	220.00	-	220.00
13	बेल (कच्चा)	10.00	-	10.00
14	जामुन (कच्चा)	23.00	-	23.00

2. लघु वनोपज प्रसंस्करण :

2.1. प्रधानमंत्री वन-धन योजना (मद क्र. 8)- लघु वनोपज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने हेतु राज्य में 139 वन-धन विकास केंद्र स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री वन-धन योजनांतर्गत प्रत्येक केंद्र के लिये रुपये 15.00 लाख अनुदान राशि अ.ज.जा. मंत्रालय, भारत शासन से प्राप्त हुआ है। उक्त योजनांतर्गत स्व-सहायता समूहों का प्रशिक्षण, उपकरण व्यवस्था, लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण हेतु चक्रीय राशि का प्रावधान किया गया है।

संघ द्वारा संग्रहण वनोपज को प्राथमिक प्रसंस्करण / प्रसंस्करण के साथ इन 139 वन-धन विकास केंद्रों के माध्यम से 121 प्रकार के हर्बल उत्पाद तैयार कर “छत्तीसगढ़ हर्बल्स” नाम पर संजीवनों केंद्रों द्वारा विक्रय किये जा रहे हैं। वर्ष 2020-21 में वन-धन विकास केंद्रों के माध्यम से राशि रु. 7.44 करोड़ का हर्बल उत्पाद निर्माण किया गया है। उक्त कार्य से लगभग 17424 महिला स्व-सहायता समूहों के सदस्य लाभान्वित हो रहे हैं।

इसके अतिरिक्त बस्तर क्षेत्र के वन-धन विकास केंद्रों में इमली प्रसंस्करण का कार्य वृहद स्तर पर किया गया है। वर्ष 2020-21 में लगभग 23,312.00 क्विंटल इमली का प्रसंस्करण किया गया है जिसमें 13311 हितग्राहीयों को राशि रु. 1.44 करोड़ का अतिरिक्त आय प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोविड लाकडॉउन के समय एक माह के भीतर 68330.00 क्विंटल इमली का प्रसंस्करण किया गया। जिसमें 21582 हितग्राहीयों को राशि रु. 2.69 करोड़ का लाभ प्राप्त हुआ।

3. लघु वनोपज विपणन :

3.1 कच्चे लघु वनोपज (मद क्र. 60.1.1)

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा संग्रहित लघु वनोपज को ई-निविदा के माध्यम से विक्रय किया जाता है तथा लघु वनोपज को निश्चित दर पर भी विक्रय किया जाता है। साथ ही वर्ष 2020-21 में राशि रु. 50.20 करोड़ मूल्य के लघु वनोपज विक्रय किया गया है। वर्ष 2021-22 में कुल राशि रु. 100.00 करोड़ लघु वनोपज विपणन से प्राप्त किये जाने का लक्ष्य है।

4. अनुसंधान एवं विस्तार :-

राज्य में उत्पादित विभिन्न प्रकार के लघु वनोपजों के प्रसंस्करण आदि हेतु ख्याति प्राप्त अनुसंधान संस्थान के साथ अनुबंध किया जा रहा है। महुआ आधारित उत्पाद संबंधी अनुसंधान कार्य हेतु CFTRI मैसूर के साथ अनुबंध किया गया है। CFTRI मैसूर द्वारा महुआ से तैयार किये जाने वाले 06 प्रकार के उत्पादों को विकसित किया गया है। शीघ्र ही इसका डी.पी.आर प्राप्त हो जायेगा। लाख प्रसंस्करण संबंधी तकनीक विकास अनुसंधान के लिए आई.आई.टी कानपुर के साथ अनुबंध किया जा चुका है। आई.आई.टी कानपुर द्वारा लाख पर अनुसंधान करते हुए तकनीक उपलब्ध करायी जायेगी। ICAR के साथ लघु वनोपज संबंधी प्रसंस्करण, तकनीक स्थानांतरण आदि विषयों पर अनुबंध किया जा चुका है। इसके अंतर्गत विभिन्न विषयों पर अनुसंधान किया जायेगा। कोदो, कुटकी एवं रागी जैसे मिलेट्स

की छ.ग. राज्य में खेती एवं उसके प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए Indian Institute of Millets Research (IIMR) हैदराबाद के साथ अनुबंध किया गया है। राज्य शासन की प्राथमिकता के अनुसार प्रदेश में कोदो कुटकी एवं रागी के संग्रहण एवं प्रसंस्करण के संबंध में तकनीकी मार्गदर्शन IIMR हैदराबाद द्वारा दिया जा रहा है।

5. **छत्तीसगढ़ राज्य में वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी परियोजना (मद क्र. 51)-** संघ द्वारा स्वीकृत उक्त परियोजना अंतर्गत लघु वनोपज प्रसंस्करण, भण्डारण, हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा, अनुसंधान विस्तार, सुचना प्रबंधन प्रणाली तथा हितग्राहियों का क्षमता विकास मानव संसाधन पर व्यय आदि कार्य किया जाता है।
6. **लाख पालन (मद क्र. 60.3)-** छत्तीसगढ़ राज्य में 50 हजार लाख कृषकों द्वारा लगभग 4000 टन लाख का उत्पादन प्रति वर्ष होता है, इससे लगभग रुपये 100 करोड़ का आय ग्रामीणों को प्राप्त होता है। आगामी 03 वर्ष में लाख उत्पादन 4000 टन से बढ़ाकर 10,000 टन वृद्धि करने हेतु राज्य सरकार ने संकल्प लिया है। इस हेतु लाख पालन को कृषि समतुल्य मानते हुये लाख पालन के लिये बिना किसी ब्याज के फसल ऋण, फसल बीमा सुविधा देने हेतु राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त पर्याप्त बीहन लाख उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु व्यवस्था की जा रही है। लाख कृषकों को वैज्ञानिक खेती अपनाने हेतु लाख उत्पादन क्षेत्र में लाख फेसिलिटेटर को प्रशिक्षित कर उपयोग करने की कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुसुमी लाख को रु. 300/- प्रति कि.ग्रा. तथा रंगीनी लाख को रु. 225/- पर क़य करते हुये 20 क्षेत्रीय संयंत्रों द्वारा क़य किये गये छिली लाख को प्रसंस्कृत करते हुये सीड लाख तैयार कर विक़य करने हेतु कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्त कार्य द्वारा लाख पालन में वृद्धि के साथ ग्रामीणों को अतिरिक्त आय का अवसर मिलेगा। इस संबंध में लाख विकास कार्य हेतु कार्यवाही जारी है।
7. **लघु वनोपज समूह क्षेत्र संवर्द्धन एवं औषधि खेती (मद क्र. 60.1 एवं 60.2)-**
चयनित जिला यूनियनों में लघु वनोपज से समृद्ध 5000 हेक्ट. वन क्षेत्र को लोक संरक्षित क्षेत्र के रूप में विकसित करने हेतु चयन किया जायेगा। उक्त क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष 1000 हेक्ट. आगामी 5 वर्ष तक उपचार किया जायेगा। इस प्रकार 20 जिला यूनियनों में 5000 हेक्ट. के मान से कुल 1 लाख हेक्ट. वन क्षेत्र का संवर्द्धन किया जाना प्रस्तावित है। इस वनक्षेत्र के अंतर्गत विलुप्त कगार पर तथा अधिक मांग वाले वनोपज / औषधि प्रजातियों का एनरिचमेंट प्लांटिंग (Enrichment Planting) द्वारा वृहद रूप से रोपण किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु नरेगा, कैम्पा, डी.एम.एफ आदि से लाभ लिया जा सकता है।
कृषि वानिकी द्वारा महत्वपूर्ण लघु वनोपज तथा औषधिय प्रजातियों को कलस्टर के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे गैर वनक्षेत्र से भी पर्याप्त मात्रा में लघु वनोपज/औषधि का उत्पादन हो सके। इसके साथ उपरोक्त कार्य वन अधिकार पत्र प्राप्त कृषकों के इच्छुक होने की स्थिति में उपरोक्त योजना में सम्मिलित कर सकते हैं। यह कार्य लोक संरक्षित क्षेत्र योजनांतर्गत संपादित किया जाना प्रस्तावित हैं। इस संबंध में क्षेत्र चयन कार्य जारी है।
8. **उद्यमिता विकास (मद क्र. 53)-** राज्य औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत राज्य में लघु वनोपज आधारित नवीन उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन देने हेतु प्रावधान किया गया है।

उक्त उद्योग को बढ़ावा देने हेतु संघ में Entrepreneurship Development Cell स्थापित करने हेतु कार्यवाही जारी है।

9. **अधोसंरचना विकास (मद क्र. 60.11)**- राज्य में लघु वनोपज भंडारण हेतु विभिन्न स्थानों पर गोदाम तथा अन्य अधोसंरचना निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त अधोसंरचना हेतु विभिन्न योजनाओं के साथ संघ योजनाओं का लाभ लिया जावेगा। इस संबंध में प्राक्कन तैयारी कार्य जारी है।
10. **विपणन (हर्बल उत्पाद/वनोपजों के विक्रय को बढ़ावा देने हेतु डिस्ट्रीब्यूटर की नियुक्ति)**

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा लघु वनोपजों का संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ अंतर्गत विपणन हेतु कुल 27 संजीवनी विक्रय केन्द्र एवं 6 NWFDP मार्ट संचालित हो रहे हैं जिनके माध्यम से कुल 116 प्रकार के हर्बल उत्पादों का विक्रय हो रहा है। वर्ष 2020-21 में कुल राशि रु. 280.65 लाख मूल्य के उत्पादों का विक्रय संजीवनी एवं मार्ट के माध्यम से किया गया है। वर्ष 2021-22 में विक्रय में वृद्धि करने हेतु एवं बाजार के सभी दुकानों में अपनी पहुंच बनाने हेतु छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त किया गया है। इसके माध्यम से संजीवनी का भी संचालन किया जा रहा है। जिससे हमारे उत्पादों के विक्रय में वृद्धि होने की संभावना है।

11. **CFTRI मैसूर से महुआ फूल आधारित उत्पादों का तकनीकी हस्तांतरण -**

छ.ग. लघु वनोपज संघ द्वारा 2.65 लाख क्विंटल महुआ फूल का क्रय कर संग्रहण किया जा चुका है। संग्राहकों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने एवं महुआ फूल का मूल्यवर्द्धन करने हेतु इसका प्रसंस्करण कार्य किया जाना आवश्यक है। इस हेतु सेन्ट्रल फुड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूट, मैसूर के माध्यम से महुआ फूल आधारित उत्पादों का तकनीकी हस्तांतरण किया जा रहा है। महुआ ऐनर्जीबार, महुआ लड्डू, महुआ जेम, महुआ कैण्डी, महुआ आर.टी.एस., महुआ जेगरी (गुड़) उत्पादों का चयन तकनीकी हस्तांतरण हेतु किया गया है। वर्तमान में CFTRI द्वारा 06 प्रकार के महुआ ऐनर्जी बार के सैम्पल प्रेषित किया गया है, जिनमें से 03 का चयन कर लिया गया है एवं अन्य उत्पादों का विकास CFTRI द्वारा किया जा रहा है।

12. **राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई का गठन**

लघु वनोपज आधारित विकास कार्य को बढ़ावा देने के लिए एक वृहद कार्य योजना तैयार कर, स्व सहायता समूहों के माध्यम से लघु वनोपज क्रय विक्रय एवं प्रसंस्करण कार्य किया जा रहा है। कार्य योजना में प्रस्तावित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु एक “राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई” गठन किया है। राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई हेतु First IIT कानपुर एवं छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर के बीच में एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस हेतु कुल 07 सदस्यी दल का गठन किया गया है। वर्तमान में कुल 02 सदस्य राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई को ज्वाइन कर चुके हैं एवं शेष 05 सदस्य की ज्वाइनिंग प्रक्रियाधीन है। राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई गठन हेतु संघ द्वारा ट्रायफेड को प्रेषित की जाने वाली वार्षिक क्रय योजना में विस्तृत प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। वर्तमान में उक्त की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई

है। इस हेतु स्वीकृति की प्रत्याशा में उक्त कार्य न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना अंतर्गत संघ को प्राप्त होने वाली 2 प्रतिशत सेवा शुल्क में भारित की जावेगी।

13. केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना -

छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज के प्रसंस्करण हेतु ग्राम जामगांव में छत्तीसगढ़ हर्बल की केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना दो भागों में की जा रही है। प्रथम भाग, जिसका रकबा 27.69 हेक्ट. है, में छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा तथा द्वितीय भाग जिसका रकबा 17.57 हेक्ट. है, में सी.एस.आई.डी.सी द्वारा केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जायेगी।

छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ की भूमि पर दो परियोजनाएं संचालित की जायेगी:-

- (i) आयुर्वेदिक औषधी केंद्र की स्थापना।
- (ii) लघु वनोपज आधारित केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना।

आयुर्वेदिक औषधी इकाई की स्थापना का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है तथा लघु वनोपज आधारित केंद्रीय प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना हेतु कोल्ड स्टोरेज, गोदाम इत्यादि अधोसंरचनाओं का निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जायेगा। इसी के साथ ही प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत इमली एवं महुआ से संबंधित प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना का कार्य भी शीघ्र प्रारंभ कर दिया जायेगा।

“छत्तीसगढ़ हर्बल्स” केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई एवं आयुर्वेदिक औषधी इकाई का शिलान्यास एवं भूमिपूजन दिनांक 20.10.2021 को माननीय मुख्यमंत्रीजी छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य आतिथ्य में ग्राम - जामगांव, जिला दुर्ग में किया गया है।

14. कोदो, कुटकी एवं रागी का संग्रहण :-

राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार वर्ष 2021-22 में अनुसूचित क्षेत्रों में कोदो, कुटकी एवं रागी को भी संग्राहक सदस्यों से स्व - सहायता समूहों के माध्यम से क्वय किया जायेगा। इस हेतु राज्य शासन द्वारा कोदो, कुटकी एवं रागी का न्यूनतम उपार्जन मूल्य निर्धारित किया जा चुका है। इसके संग्रहण हेतु राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संपादित किये जा चुके हैं। मिलेट्स के स्वादिष्ट व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए IIMR हैदराबाद द्वारा प्रकाशित पुस्तिका का हिन्दी अनुवाद करते हुए इसका विमोचन किया गया है। इससे कोदो, कुटकी एवं रागी जैसे मिलेट्स के विभिन्न खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा तथा प्रदेश में मिलेट्स की खेती को भी बढ़ावा मिलेगा।

15. लघु वनोपज संघ की वर्ष 2020-21 में प्रमुख उपलब्धियां -

लघु वनोपज संघ द्वारा शासन के निर्देशानुसार लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन में विशेष कार्या योजना के तहत कार्य किया गया। परिणाम स्वरूप कोरोना संकटकाल के पश्चात् भी संघ द्वारा लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण में पूरे देश में सर्वोच्च कार्य किया गया।

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भारत सरकार नई दिल्ली (ट्रायफेड) द्वारा वन धन योजना एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत विभिन्न वर्गों में राज्यों के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए पुरस्कारों की घोषणा की गयी है।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किये जा रहे कार्य हेतु 9 उपवर्गों में तथा अन्य कार्यों को 2 उपवर्गों में छत्तीसगढ़ राज्य को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिनांक 06.08.2021 को पुरस्कृत किया गया है। जिन वर्गों में छत्तीसगढ़ राज्य को पुरस्कृत किया गया है, उसका विवरण निम्नानुसार है:-

1.0 लघु वनोपजों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना (मद क्र. 7):-

1.1 वर्ष 2020-21 में नये अधिकतम वनोपज को योजना में शामिल करने हेतु पुरस्कार:-

प्रथम पुरस्कार:- छत्तीसगढ़ - 52 प्रकार के लघु वनोपज

1.2 भारत शासन की राशि से अधिकतम मूल्य का लघु वनोपज क्रय हेतु पुरस्कार :-

प्रथम पुरस्कार:- छत्तीसगढ़ - 180.51 करोड़ रु.

1.3 भारत शासन एवं राज्य शासन की राशि से अधिकतम मूल्य का लघु वनोपज क्रय हेतु पुरस्कार:-

प्रथम पुरस्कार:- छत्तीसगढ़ - 1173 करोड़ रु.

1.4 उपलब्ध करायी गयी राशि की वर्ष 2020-21 तक अधिकतम उपयोगिता हेतु पुरस्कार:-

प्रथम पुरस्कार:- छत्तीसगढ़ - 127.09 करोड़ रु.

2.0 वन धन योजना :-

2.1 अधिकतम सर्वेक्षण पूर्ण करने हेतु पुरस्कार:-

तृतीय पुरस्कार:- छत्तीसगढ़

2.2 वन धन विकास केन्द्र क्लस्टरों हेतु अधिकतम प्रशिक्षण हेतु पुरस्कार:-

तृतीय पुरस्कार:- छत्तीसगढ़

2.3 मूल्य-संवर्धन हेतु अधिकतम उत्पादों के निर्माण हेतु पुरस्कार:-

प्रथम पुरस्कार:- छत्तीसगढ़ - 121 उत्पाद

2.4 मूल्य संवर्धन कर उत्पादों के अधिकतम विक्रय हेतु पुरस्कार:-

प्रथम पुरस्कार:- छत्तीसगढ़ - 4.24 करोड़ रु.

3.0 नव उत्पाद एवं नवाचार हेतु पुरस्कार :-

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाराष्ट्र राज्य (संयुक्त रूप से) महुआ सेनेटाईजर हेतु

इसके अतिरिक्त इमली चस्का को भी नव उत्पाद नवाचार हेतु छत्तीसगढ़ राज्य को पुरस्कृत किया गया है।

4.0 इसके अतिरिक्त राज्य के अंतर्गत वन धन विकास केन्द्र कलस्टरस् को भी विभिन्न वर्गों में वन धन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

4.1 वन धन विकास केन्द्र कलस्टर में विविधता हेतु पुरस्कार:-

- | | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| a) प्रथम पुरस्कार:- | VDVVC Kurandi,
Jagdalpur | - Vanoshadhi Processing |
| b) द्वितीय पुरस्कार:- | VDVVC Bakawand ,
Jagdalpur | - Cashew Processing |
| c) तृतीय पुरस्कार:- | VDVVC kadena
Dharamjaigarh | - Sawai Grass
Processing |

4.2 अधिकतम विक्रय हेतु पुरस्कार:-

- | | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| a) प्रथम पुरस्कार:- | VDVVC Gariyaband | - Vanoshadhi Processing |
| b) द्वितीय पुरस्कार:- | VDVVC Donganala,
Katghora | - Vanoshadhi |
| c) तृतीय पुरस्कार:- | VDVVC Baronda,
Balodabazar | - Harbal Food
Processing |

4.3 अधिकतम प्रकार के वनोत्पादों के निर्माण एवं विपणन हेतु पुरस्कार:-

- | | | |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| a) प्रथम पुरस्कार:- | VDVVC Donganala
Katghora | - Vanoshadhi |
| b) द्वितीय पुरस्कार:- | VDVVC Gariyaband | - Vanoshadhi
Processing |
| c) तृतीय पुरस्कार:- | VDVVC Kourinbhata
Rajnandgaon | - Mahua Food
Processing Uit |

4.4 न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत लघु वनोपज के अधिकतम उपार्जन हेतु पुरस्कार :-

- | | | |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| a) प्रथम पुरस्कार:- | VDVVC Ghotiya
jagdalpur | - Tamarind Processing |
| b) द्वितीय पुरस्कार:- | VDVVC Dugli, Dhamtari | - Forest Produce
Processing |
| c) तृतीय पुरस्कार:- | VDVVC Narayanpur,
Narayanpur | - Hill Broom Grass
Processing |

4.5 विपणन में नवाचार हेतु पुरस्कार:-

- | | | |
|-----------------------|---------------------------------|---|
| a) प्रथम पुरस्कार:- | VDVVC Panchakki,
Jashpur | - Herbal Processing
Center |
| b) द्वितीय पुरस्कार:- | VDVVC Narayanpur,
Narayanpur | - Hill Broom Processing |
| c) तृतीय पुरस्कार:- | VDVVC Dhuragaon
Jagdalpur | - Mahuaa, Karanj Oil
Seed Processing |

उपरोक्तानुसार लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण तथा विपणन में प्राप्त प्रगति के अनुसार भविष्य में लघु वनोपज आधारित विक्रय में नई पहल के साथ गति लाया जावेगा।

---000---

स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण 01.10.2021 की स्थिति में

परिशिष्ट - क

अ.क.	पदनाम	संघ मुख्यालय के पद			वन संरक्षक एवं पदेन महा प्रबंधक के पद			जिला यूनियन के पद			कुल योग		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	प्रबंध संचालक (प्र.मु.व.सं.)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
2	कार्यकारी संचालक (मु.वन संरक्षक)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
3	महा प्रबंधक (वन संरक्षक)	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1
4	उप महा प्रबंधक (उप वनसंरक्षक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
5	सचिव (संयुक्त पंजीयक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
6	प्रबंधक वित्त (उप संचालक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
7	प्रणाली विश्लेषक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
8	प्रबंधक लेखा	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
9	उप प्रबंधक (स.व.सं.)	2	2	0	6	6	0	30	21	9	38	29	9
10	उप प्रबंधक (आंतरिक अंकेक्षण)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
11	स्टाफ आफिसर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
12	सहायक लेखाधिकारी	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
13	निज सहायक/निज सचिव	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
14	वरिष्ठ शीघ्रलेखक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
15	प्रोग्रामर	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
16	वन क्षेत्रपाल	1	0	1	0	0	0	10	8	2	11	8	3
17	उप वन क्षेत्रपाल	0	0	0	0	0	0	180	159	21	180	159	21
18	सहायक प्रोग्रामर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
19	कार सहायक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
20	आंतरिक अंकेक्षण	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
21	शीघ्रलेखक	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
22	अधीक्षक	3	1	2	0	0	0	0	0	0	3	1	2
23	लेखा अधीक्षक	4	2	2	0	0	0	0	0	0	4	2	2
24	वरिष्ठ लेखापाल	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
25	लेखापाल	4	1	3	6	4	2	27	24	3	37	29	8
26	कनिष्ठ लेखापाल	7	6	1	0	0	0	21	20	1	28	26	2
27	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	7	9	-2	6	6	0	31	26	5	44	41	3
28	आयुर्वेद चिकित्सक (संविदा)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
29	टेक्सनामिस्ट	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30	सहायक वर्ग-3/स्वागतकर्ता	21	13	8	6	5	1	61	31	30	88	49	39
31	वाहन चालक	12	10	2	4	4	0	18	9	9	34	23	11
32	दफ्तरी	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
33	संदेशवाहक	16	9	7	12	8	4	48	25	23	76	42	34
34	चौकीदार (क्लेक्टर दर)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
	योग:-	108	76	32	40	33	7	426	323	103	574	432	142

टीप:- उपरोक्त के अतिरिक्त संघ में संदेशवाहक (सांख्यिक) पद में 30 एवं सहकारिता विभाग से प्रतिनियुक्ति पर 02 अंकेक्षण अधिकारी कार्यरत हैं।

सचिव एवं संयुक्त पंजीयक

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ नवा रायपुर

जिला यूनियनवार अग्रिम में विक्रित एवं विभागीय गोदामीकृत विक्रित लाटों का विवरण (वास्तविक संग्रहण अनुसार)

संग्रहण वर्ष : 2018

जिला यूनियन का नाम	कुल लाटों की संख्या	लाटों की संख्या जहाँ पर संग्रहण हुआ है	कुल संग्रहित मात्रा (मानक बोरा में)	कुल भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में)	अग्रिम में विक्रित लाटों का विवरण				विभागीय गोदामीकृत विक्रित लाटों का विवरण				अविक्रित लाटों का विवरण	
					लाटों की संख्या	अग्रिम में विक्रित लाटों में भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)	लाटों की संख्या	विक्रित लाटों में भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)	लाटों की संख्या	अविक्रित लाटों में भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
बीजापुर	45	41	76951.818	76884.609	40	75763.444	430079273.78	5676.61	1	1121.165	2578680.00	2300.00	0	0.000
सुकमा	48	20	36289.788	35912.868	11	22180.958	95409481.62	4301.41	9	13731.910	13536989.00	985.81	0	0.000
दत्तेवाड़ा	8	7	13254.414	13254.315	3	8432.490	38053043.31	4512.67	4	4821.825	5548505.00	1150.71	0	0.000
जगदलपुर	15	15	24454.918	24325.822	12	21140.847	81315808.06	3846.38	3	3184.975	3321090.00	1042.74	0	0.000
दक्षिण कोंडागांव	11	11	21704.813	21704.813	7	14753.977	55071069.33	3732.63	4	6950.836	2861478.00	411.67	0	0.000
केशकाल	16	16	31439.248	30763.290	11	20904.320	82564683.23	3949.65	5	9858.970	10465581.00	1061.53	0	0.000
नारायणपुर	12	12	22357.805	22357.805	5	10591.490	43081541.21	4067.56	7	11766.315	17063019.00	1450.16	0	0.000
पूर्व भानुप्रतापपुर	56	56	94510.205	92774.338	27	43501.285	236007042.49	5425.29	29	49273.053	65823443.00	1335.89	0	0.000
पश्चिम भानुप्रतापपुर	55	53	73952.665	73202.740	18	28640.810	135800209.92	4741.49	35	44561.930	70402459.00	1579.88	0	0.000
कंकर	24	24	33724.938	33683.443	22	31703.225	186299961.25	5876.37	2	1980.218	821298.00	414.75	0	0.000
राजनांदगांव	51	51	74866.980	74620.570	43	64113.205	329235830.75	5135.23	8	10507.365	20592359.00	1959.80	0	0.000
खैरागढ़	24	24	34703.205	34476.310	12	14027.415	59502306.24	4241.86	12	20448.895	15593195.00	762.54	0	0.000
बालोद	18	18	22179.300	22179.300	18	22179.300	146071070.75	6585.92	---	---	---	---	---	---
कवर्धा	24	24	42242.910	42216.370	18	31900.010	171993668.94	5391.65	6	10316.360	7760028.00	752.21	0	0.000
धमतरी	23	23	28394.805	28394.805	23	28394.805	159966441.67	5633.65	---	---	---	---	---	---
गरियाबंद	62	62	79802.435	79539.825	55	71137.480	473823909.09	6660.68	7	8402.345	10672350.00	1270.16	0	0.000
महासमुंद	69	69	82002.970	82002.970	69	82002.970	540669206.74	6593.29	---	---	---	---	---	---
बलौदा बाजार	16	16	21289.990	21289.680	15	20408.870	132451690.75	6489.91	1	880.810	898427.00	1020.00	0	0.000
बिलासपुर	21	21	29489.110	29489.110	21	29489.110	173447145.81	5881.74	---	---	---	---	---	---
मरवाही	14	14	18089.329	18089.329	14	18089.329	109841041.31	6072.15	---	---	---	---	---	---
जांजगीर-चांपा	7	7	9695.075	9667.255	3	2105.500	8955131.86	4253.21	4	7561.755	6996733.00	925.28	0	0.000
रायगढ़	41	41	55257.875	55257.875	41	55257.875	331649723.40	6001.85	---	---	---	---	---	---
धरमजयगढ़	53	53	74036.225	74036.225	53	74036.225	524990903.65	7091.00	---	---	---	---	---	---
कोरबा	34	34	48430.995	48430.995	33	47385.645	353929032.57	7469.12	1	1045.350	470408.00	450.00	0	0.000
कटघोरा	39	39	65129.395	65129.395	38	64193.615	450087677.00	7011.41	1	935.780	1029358.00	1100.00	0	0.000
जशपुर नगर	20	20	38433.680	38433.680	20	38433.680	190673601.35	4961.11	---	---	---	---	---	---

जिला स्तरीयन का नाम	कुल लाटों की संख्या	लाटों की संख्या जहाँ पर संग्रहण हुआ है	कुल संग्रहित मात्रा (मानक बोरा में)	कुल भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में)	अग्रिम में विक्रित लाटों का विवरण				विभागीय गोदामीकृत विक्रित लाटों का विवरण				अविक्रित लाटों का विवरण	
					लाटों की संख्या	अग्रिम में विक्रित लाटों में भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)	लाटों की संख्या	विक्रित लाटों में भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)	लाटों की संख्या	अविक्रित लाटों में भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
मनेन्द्रगढ़	20	20	39477.715	39477.715	20	39477.715	210577872.05	5334.09	---	---	---	---	---	---
कोरिया	16	16	35855.490	35855.490	16	35855.490	203028026.56	5662.40	---	---	---	---	---	---
सरगुजा	15	15	33595.225	33595.225	15	33595.225	179293174.66	5336.86	---	---	---	---	---	---
बलरामपुर	64	64	152800.660	152792.660	64	152792.660	681024954.71	4457.18	---	---	---	---	---	---
सूरजपुर	30	30	70196.150	70196.150	30	70196.150	378404012.29	5390.67	---	---	---	---	---	---
कुल योग	951	916	1484610.131	1480034.977	777	1272685.120	7193298536.35	5652.06	139	207349.857	256435400.00	1236.73	0	0.000


 अपर प्रबंध संचालक (व्यापार)
 छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर

जिला यूनियनवार अग्रिम में विक्रित एवं विभागीय गोदामीकृत विक्रित लाटों का विवरण (वास्तविक संग्रहण अनुसार)

संग्रहण वर्ष : 2019

जिला यूनियन का नाम	कुल लाटों की संख्या	लाटों की संख्या जहाँ पर संग्रहण हुआ है	कुल संग्रहित मात्रा (मानक बोरा में)	कुल भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में)	अग्रिम में विक्रित लाटों का विवरण				विभागीय गोदामीकृत विक्रित लाटों का विवरण				अविक्रित लाटों का विवरण	
					लाटों की संख्या	अग्रिम में विक्रित लाटों में भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)	लाटों की संख्या	विक्रित लाटों में भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)	लाटों की संख्या	अविक्रित लाटों में भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
बीजापुर	45	45	90204.525	90204.525	45	90204.525	491799518.16	5452.05	—	—	—	—	—	—
सुकमा	48	44	85438.316	85438.316	14	27454.045	120256336.25	4380.28	30	57984.271	330283551.00	5696.09	0	0.000
देतेवाड़ा	11	11	22407.085	22353.038	5	9306.787	33498658.21	3599.38	6	13046.251	52716382.00	4040.73	0	0.000
जगदलपुर	15	15	19073.408	19067.778	6	8469.267	25008972.21	2952.91	9	10598.511	40469967.00	3818.46	0	0.000
दक्षिण कोंडागांव	11	11	21969.798	21969.798	0	—	—	—	11	21969.798	102826671.00	4680.36	0	0.000
केशकाल	16	16	30755.360	30401.276	6	13747.275	51202491.82	3724.56	10	16654.001	84326088.00	5063.41	0	0.000
नारायणपुर	12	12	24308.104	24308.099	1	1613.580	5663665.80	3510.00	11	22694.519	105812306.00	4662.46	0	0.000
पूर्व भानुप्रतापपुर	56	56	98417.561	98407.996	55	96991.051	532289633.22	5488.03	1	1416.945	8599440.00	6069.00	0	0.000
पश्चिम भानुप्रतापपुर	55	55	85001.855	85001.855	41	72944.850	355025146.12	4867.04	14	12057.005	48877488.00	4053.87	0	0.000
कांकेर	24	24	33654.965	33575.785	22	31937.455	182584571.07	5716.94	2	1638.330	9387294.00	5729.79	0	0.000
राजनांदगांव	51	51	75010.400	75010.400	40	64156.715	361446543.93	5633.81	11	10853.685	53198422.00	4901.42	0	0.000
खैरागढ़	24	24	33246.540	33232.160	6	7577.630	34370572.60	4535.79	18	25654.530	111270567.00	4337.27	0	0.000
बालोद	18	18	20419.405	20394.850	16	18372.550	102762760.25	5593.28	2	2022.300	7480868.00	3699.19	0	0.000
कवर्धा	24	24	35411.300	35284.025	0	—	—	—	24	35284.025	163996526.00	4647.90	0	0.000
घमतरी	23	23	22962.220	22924.443	18	18131.680	98072443.31	5408.90	5	4792.763	28724842.00	5993.38	0	0.000
गरियाबंद	62	62	78765.725	78521.385	52	67569.910	405753886.01	6004.95	10	10951.475	43968785.00	4014.87	0	0.000
महासमुंद	69	69	77530.025	77467.315	56	66498.150	357275633.39	5372.72	13	10969.165	56263393.00	5129.23	0	0.000
बलोदा बाजार	16	16	19728.830	19722.850	12	14742.080	80979148.65	5493.06	4	4980.770	15477065.00	3107.36	0	0.000
बिलासपुर	21	21	26266.895	26247.495	11	15115.275	79782716.99	5278.28	10	11132.220	48407150.00	4348.38	0	0.000
मरवाही	14	14	22577.240	22525.655	7	12144.440	67630009.54	5568.80	7	10381.215	53035208.00	5108.77	0	0.000
जांजगीर-चांपा	7	7	9860.545	9860.545	1	957.000	4076820.00	4260.00	6	8903.545	25633476.00	2879.02	0	0.000
रायगढ़	41	41	52465.815	52323.645	25	34508.915	178611060.46	5175.79	16	17814.730	66324036.00	3722.99	0	0.000
धरमजयगढ़	53	53	73284.850	73116.072	43	59334.385	345877196.31	5829.29	10	13781.687	87030620.00	6314.95	0	0.000
कोरबा	34	34	53344.280	53344.280	28	45776.510	283007817.16	6182.38	6	7567.770	44886956.00	5931.33	0	0.000
कटघोरा	39	39	67520.440	67520.440	26	55187.610	325252725.52	5893.58	13	12332.830	64410608.00	5222.69	0	0.000
जशपुर नगर	20	19	27397.784	26639.098	4	6538.030	29103320.00	4451.39	15	20101.068	88020876.00	4378.92	0	0.000

जिला यूनिट का नाम	कुल लाटों की संख्या	लाटों की संख्या जहाँ पर संग्रहण हुआ है	कुल संग्रहित मात्रा (मानक बोरा में)	कुल भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में)	अग्रिम में विक्रित लाटों का विवरण				विभागीय गोदामीकृत विक्रित लाटों का विवरण				अविक्रित लाटों का विवरण	
					लाटों की संख्या	अग्रिम में विक्रित लाटों में भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)	लाटों की संख्या	विक्रित लाटों में भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)	लाटों की संख्या	अविक्रित लाटों में भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
मनेन्द्रगढ़	20	20	48659.470	48528.180	6	16602.610	80447318.89	4845.46	14	31925.570	180098557.00	5641.20	0	0.000
कोरिया	16	16	28143.260	28084.815	4	12523.345	68566419.55	5475.09	12	15561.470	97696490.00	6278.10	0	0.000
सरगुजा	15	15	31367.519	31224.170	6	19651.565	101943256.10	5187.54	9	11572.605	66716303.00	5765.02	0	0.000
बलरामपुर	64	64	125430.080	124276.320	11	17047.470	67516795.30	3960.52	53	107228.850	541161427.00	5046.79	0	0.000
सूरजपुर	30	30	64720.023	64305.247	12	30381.740	156664123.25	5156.52	18	33923.507	179801829.00	5300.21	0	0.000
कुल योग	954	949	1505343.623	1501281.856	579	935486.445	5026469560.07	5373.11	370	565795.411	2806903191.00	4960.99	0	0.000

अपर प्रबंध संवालक (व्यापार)
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर

जिला यूनियनवार अग्रिम में विक्रित एवं विभागीय गोदामीकृत विक्रित लाटों का विवरण (वास्तविक संग्रहण अनुसार)

संग्रहण वर्ष : 2020

जिला यूनियन का नाम	कुल लाटों की संख्या	लाटों की संख्या जहाँ पर संग्रहण हुआ है	कुल संग्रहित मात्रा (मानक बोरा में)	कुल मण्डारित मात्रा (मानक बोरा में)	अग्रिम में विक्रित लाटों का विवरण				विभागीय गोदामीकृत विक्रित लाटों का विवरण				अविक्रित लाटों का विवरण	
					लाटों की संख्या	अग्रिम में विक्रित लाटों में मण्डारित मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)	लाटों की संख्या	विक्रित लाटों में मण्डारित मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)	लाटों की संख्या	अविक्रित लाटों में मण्डारित मात्रा (मानक बोरा में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
बीजापुर	45	36	81998.838	81998.838	36	81998.838	404207849.70	4929.43	---	---	---	---	---	---
सुकमा	48	36	41447.170	41330.000	5	7141.707	22912650.56	3208.29	28	32299.808	223319782.00	6913.97	3	1888.485
दत्तेवाड़ा	11	9	3611.158	3611.158	3	1675.402	5262471.43	3141.02	3	681.045	4280692.00	6285.48	3	1254.711
जगदलपुर	15	15	11779.387	11653.792	3	3258.755	9141721.38	2805.28	6	3081.857	15544732.00	5043.95	6	5313.180
दक्षिण कौडागांव	11	11	11366.582	11365.482	1	560.440	1888122.36	3369.00	6	7392.862	22635483.00	3061.80	3	2452.010
केशकाल	16	16	16654.780	16181.269	6	6320.435	23090337.89	3653.28	6	5994.364	17406151.00	2903.75	4	3866.470
नारायणपुर	12	12	12705.570	12666.679	3	2859.269	9451081.65	3305.42	4	6004.885	14568111.00	2426.04	5	3802.525
पूर्व भानुप्रतापपुर	56	56	82126.315	82121.135	55	81348.845	458211076.32	5632.67	1	772.290	2130749.00	2759.00	0	0.000
पश्चिम भानुप्रतापपुर	55	55	67707.160	67707.160	41	60243.310	300053839.49	4980.70	13	7041.830	37597327.00	5339.14	1	422.020
कांकेर	24	24	28643.405	28638.310	22	28270.015	156634245.87	5540.65	2	368.295	2689907.00	7303.68	0	0.000
राजनांदगांव	51	51	59515.330	59508.695	46	57990.855	309442636.99	5336.06	5	1517.840	9247852.00	6092.77	0	0.000
खैरागढ़	24	24	28409.435	28405.750	19	23583.515	86833170.91	3681.94	5	4822.235	30817767.00	6390.76	0	0.000
बालोद	18	18	16298.540	16297.180	17	15672.695	78048259.87	4979.89	1	624.485	3056855.00	4895.00	0	0.000
कवर्धा	24	24	20304.090	20282.655	7	9932.880	38590095.54	3885.09	5	2946.655	11812570.00	4008.81	12	7403.120
धमतरी	23	23	19013.395	19003.860	19	16964.490	89997413.11	5305.05	2	1298.655	7323649.00	5639.41	2	740.715
गरियाबंद	62	62	58435.640	58371.190	56	55812.000	329457468.26	5902.99	3	1500.100	7775046.00	5183.02	3	1059.090
महासमुंद	69	69	51857.170	51844.020	56	44663.170	237767122.04	5323.56	3	1803.000	7307229.00	4052.82	10	5377.850
बलीदा बाजार	16	16	13641.360	13641.360	12	11387.165	62793109.87	5514.38	2	1085.040	3275625.00	3018.90	2	1169.155
बिलासपुर	21	21	14020.380	14020.380	15	12632.605	60910417.34	4821.68	4	918.410	2304293.00	2509.00	2	469.365
मरवाही	14	14	11526.948	11393.448	7	8218.647	44788747.34	5449.65	6	2818.755	9833668.00	3488.66	1	356.046
जांजगीर-चांपा	7	7	3445.030	3445.030	1	819.800	3130816.20	3819.00	2	797.570	3346843.00	4196.30	4	1827.660
रायगढ़	41	41	26986.355	26926.426	29	22709.530	113006009.80	4976.15	9	3010.540	13347255.00	4433.51	3	1206.356
धरमजयगढ़	53	53	54283.145	54281.852	52	53976.565	315463270.94	5844.45	1	305.287	2094086.00	6859.40	0	0.000
कोरबा	34	34	33459.290	33459.290	30	32289.050	195527915.18	6055.55	2	610.090	2059293.00	3375.39	2	560.150
कटघोरा	39	37	36424.130	36424.130	27	32965.590	196206218.99	5951.85	6	2252.080	11062909.00	4912.31	4	1206.460
जशपुर नगर	20	20	15309.805	15059.851	4	3363.350	14366762.97	4271.56	7	4977.968	25203373.00	5062.98	9	6718.533
मनेन्द्रगढ़	20	20	25324.370	25306.315	13	19458.395	91569766.63	4705.93	1	863.100	2374389.00	2751.00	6	4984.820
कोरिया	16	16	21145.585	21140.190	12	17420.815	84394692.29	4844.47	4	3719.375	14351421.00	3858.56	0	0.000
सरगुजा	15	15	19073.625	18972.648	8	12827.790	62357694.92	4861.14	4	3836.955	13929958.00	3630.47	3	2307.903

जिला यूनियन का नाम	कुल लाटों की संख्या	लाटों की संख्या जहाँ पर संग्रहण हुआ है	कुल संग्रहित मात्रा (मानक बोरा में)	कुल भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में)	अग्रिम में विक्रित लाटों का विवरण				विभागीय गोदामीकृत विक्रित लाटों का विवरण				अविक्रित लाटों का विवरण	
					लाटों की संख्या	अग्रिम में विक्रित लाटों में भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)	लाटों की संख्या	विक्रित लाटों में भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)	लाटों की संख्या	अविक्रित लाटों में भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
बलरामपुर	64	64	49890.485	49431.446	12	16849.570	68629344.63	4073.06	19	8476.859	25751721.00	3037.88	33	24105.017
सूरजपुर	30	29	36393.585	36345.419	17	28492.335	135705333.99	4762.87	5	2521.821	9121299.00	3616.95	7	5331.263
कुल योग	94	92	972798.058	970834.958	634	771707.828	4009839664.46	5196.06	165	114344.056	555570035.00	4858.76	128	83822.904

नोट:- दक्षिण कोण्डागांव जिला यूनियन की कोण्डागांव समिति, लॉट क्रमांक 89 की मात्रा 960.170 मानक बोरा अग्नि से जलकर नष्ट गया है।

अपर प्रबंध संचालक (व्यापार)
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर

जिला यूनियनवार अग्रिम में विक्रित एवं विभागीय गोदामीकृत विक्रित लाटों का विवरण (वास्तविक संग्रहण अनुसार)

संग्रहण वर्ष : 2021

जिला यूनियन का नाम	कुल लाटों की संख्या	लाटों की संख्या जहाँ पर संग्रहण हुआ है	कुल संग्रहित मात्रा (मानक बोरा में)	कुल भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में)	अग्रिम में विक्रित लाटों का विवरण				विभागीय गोदामीकृत विक्रित लाटों का विवरण				अविक्रित लाटों का विवरण	
					लाटों की संख्या	अग्रिम में विक्रित लाटों में भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)	लाटों की संख्या	विक्रित लाटों में भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)	लाटों की संख्या	अविक्रित लाटों में भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
बीजापुर	45	45	75395.128	75395.128	45	75395.128	540932311.62	7174.63	---	---	---	---	---	---
सुकमा	48	48	75913.029	75892.139	35	58281.015	340581797.30	5843.79	2	2171.580	18945691.00	8724.38	11	15439.544
दत्तेवाड़ा	11	11	10394.788	10394.788	6	7405.801	39808648.86	5375.33					5	2988.987
जगदलपुर	15	15	14801.794	14726.452	2	3368.650	17163271.75	5095.00					13	11357.802
दक्षिण कोंडागांव	11	11	12445.616	12131.776	0	0.000	---	---					11	12131.776
केशकाल	16	16	21106.965	20753.296	4	6434.820	38686367.41	6012.04					12	14318.476
नारायणपुर	12	12	15322.190	15288.250	7	7911.810	43660613.68	5518.41					5	7376.440
पूर्व भानुप्रतापपुर	56	56	91335.340	91335.340	56	91335.340	685173012.32	7501.73	---	---	---	---	---	---
पश्चिम भानुप्रतापपुर	55	55	74903.840	74903.840	44	67790.990	462024578.97	6815.43	3	2542.720	15026565.00	5909.64	8	4570.130
कांकेर	24	24	34364.344	34356.305	22	33856.080	239004911.86	7059.44	1	250.125	1440971.00	5761.00	1	250.100
राजनंदगांव	51	51	65559.064	65559.064	44	62055.510	446930190.73	7202.10	1	633.175	3855403.00	6089.00	6	2870.379
खैरागढ़	24	24	34697.655	34697.635	21	31254.240	174039314.62	5568.50	1	693.150	4352289.00	6279.00	2	2750.245
बास्तोद	18	18	20383.240	20382.955	17	19633.250	128018069.39	6520.47					1	749.705
कवर्धा	24	24	38013.345	37987.070	15	28967.185	158326197.47	5465.71	1	1410.930	7832073.00	5551.00	8	7608.955
धमतरी	23	23	22889.585	22889.345	22	22599.130	153923391.12	6811.03					1	290.215
गरियाबंद	62	62	69890.104	69830.450	55	64667.640	488225974.39	7549.77	7	5162.810	34112905.00	6607.43	0	0.000
महासमुंद	69	69	74871.285	74869.885	64	71599.375	474690228.66	6629.81	1	1131.300	6954102.00	6147.00	4	2139.210
बलौदा बाजार	16	16	20876.535	20876.535	13	18343.085	122842850.95	6696.96	1	1285.540	7094896.00	5519.00	2	1247.910
बिलासपुर	21	21	29714.645	29714.645	20	29386.415	179877258.42	6121.10					1	328.230
मरवाही	14	14	19439.968	19439.968	13	19131.803	116801357.66	6105.09					1	308.165
जांजगीर-चांपा	7	7	3763.965	3611.165	1	854.170	4398121.33	5149.00					6	2756.995
रायगढ़	41	41	44702.320	44672.935	34	40561.930	248076871.68	6116.00	3	2257.990	12941687.00	5731.51	4	1853.015
धरमजयगढ़	53	53	70157.215	70157.215	53	70157.215	518898378.47	7396.22	---	---	---	---	---	---
कोरबा	34	34	42959.872	42959.872	31	41471.822	316316436.92	7627.26					3	1488.050
कटघोरा	39	39	65932.020	65932.020	33	63426.770	447433970.47	7054.34					6	2505.250
जशपुर नगर	20	20	23297.356	23084.323	14	16890.070	99621681.25	5898.24					6	6194.253
मनेन्द्रगढ़	20	20	32003.265	32003.045	19	31310.165	188106353.06	6007.84					1	692.880
कोरिया	16	16	20996.190	20995.450	15	20073.960	126399539.24	6296.69					1	921.490
सरगुजा	15	15	30645.430	30592.447	14	29846.082	173173370.24	5802.21					1	746.365

जिला यूनियन का नाम	कुल लाटों की संख्या	लाटों की संख्या जहाँ पर संग्रहण हुआ है	कुल संग्रहित मात्रा (मानक बोरा में)	कुल भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में)	अग्रिम में विक्रित लाटों का विवरण				विभागीय गोदामीकृत विक्रित लाटों का विवरण				अविक्रित लाटों का विवरण	
					लाटों की संख्या	अग्रिम में विक्रित लाटों में भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)	लाटों की संख्या	विक्रित लाटों में भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)	लाटों की संख्या	अविक्रित लाटों में भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
बलरामपुर	64	64	90525.700	90184.428	33	49284.790	259378714.79	5262.86					31	40899.638
सूरजपुर	30	30	58206.710	58180.850	23	52964.480	320617882.44	6053.45					7	5216.370
कुल योग	954	954	1305508.503	1303798.616	775	1136258.721	7553131667.070	6647.37	21	17539.320	112556582.000	6417.39	158	150000.575

अपर प्रबंध संचालक (व्यापार)
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर

संग्रहण सीजन 2018 के तेंदूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक हेतु वितरण की प्रगति

क्र.	जिला यूनियन का नाम	कुल वितरण योग्य राशि	कुल वितरित राशि	वितरण हेतु शेष राशि
1	बीजापुर	14,13,52,573	14,13,52,573	-
2	सुकमा	33,86,766	33,86,766	-
3	दंतेवाड़ा	70,91,292	70,91,292	-
4	जगदलपुर	79,80,764	79,80,764	-
5	दक्षिण कोण्डागांव	32,23,395	30,75,231	1,48,164
6	केशकाल	97,78,640	95,50,405	2,28,235
7	नारायणपुर	58,99,352	58,99,352	-
8	पूर्व भानुप्रतापपुर	7,85,61,786	7,78,03,794	7,57,992
9	पश्चिम भानुप्रतापपुर	2,96,35,233	2,95,78,591	56,642
10	कांकेर	5,93,93,280	5,93,93,280	-
11	राजनांदगांव	9,66,29,930	9,66,29,930	-
12	खैरागढ़	86,98,120	86,98,120	-
13	बालोद	5,80,50,276	5,80,50,276	-
14	कवर्धा	4,93,38,459	4,93,38,459	-
15	धमतरी	5,44,21,044	5,44,21,044	-
16	गरियाबंद	18,88,76,847	18,88,76,847	-
17	महासमुंद	21,32,42,329	21,32,42,329	-
18	बलौदाबाजार	5,19,58,101	5,19,58,101	-
19	बिलासपुर	6,05,69,555	6,05,69,555	-
20	मरवाही	4,05,47,932	4,05,47,932	-
21	जांजगीर-चांपा	15,41,632	15,41,632	-
22	रायगढ़	11,02,22,785	11,02,22,785	-
23	धर्मजयगढ़	21,21,97,815	21,21,97,815	-
24	कोरबा	16,28,87,479	16,28,87,479	-
25	कटघोरा	19,08,78,393	19,08,23,405	54,988
26	जशपुरनगर	4,95,91,277	4,95,91,277	-
27	मनेंद्रगढ़	6,78,47,264	6,78,47,264	-
28	कोरिया	6,75,84,650	6,75,84,650	-
29	सरगुजा	5,37,55,827	5,33,86,081	3,69,746
30	बलरामपुर	15,30,97,431	15,30,92,996	4,435
31	सूरजपुर	11,69,29,380	11,69,29,380	-
	कुल योग	2,35,51,69,607	2,35,35,49,405	16,20,202

प्रबंधक (सिद्धा)
छ.ग. राज्य सहकारी वनीकरण संघ, रायपुर

विषय क्रमांक - 3

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रस्तावित क्रिया कलापों - तेन्दू पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोंद वर्ग-1 एवं वर्ग-2 का व्यापार, तेन्दू पत्ता संग्राहकों एवं फड़मुंशियों हेतु बीमा योजनायें, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का अनुमोदन।

(i) बीमा योजनायें:-

- **शहीद महेन्द्र कर्मा तेन्दूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना:-** तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वन विभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ (मर्यादित) के समन्वय से यह योजना दिनांक 05.08.2020 से संचालित की गई है। इस योजना के अंतर्गत तेन्दूपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया, जिसकी आयु मृत्यु दिनांक को 18 से 50 वर्ष से अधिक न हो, की सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति / उत्तराधिकारी को राशि रु. 2.00 लाख की सहायता अनुदान राशि प्रदाय की जायेगी। दुर्घटना से मृत्यु होने पर राशि रु. 2.00 लाख अतिरिक्त रूप से प्रदाय किया जा रहा है। दुर्घटना से पूर्ण निःशक्त्ता की स्थिति में राशि रु. 2.00 लाख तथा आंशिक निःशक्त्ता की स्थिति में राशि रु. 1.00 लाख की सहायता अनुदान राशि दुर्घटनाग्रस्त पात्र तेन्दूपत्ता संग्राहक को प्रदान की जाएगी।
- तेन्दूपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया, जिसकी आयु मृत्यु दिनांक को 50 पूर्ण से 59 वर्ष के बीच हो, की सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति/उत्तराधिकारी को राशि रु. 30,000/- तथा दुर्घटना से मृत्यु होने पर रु. 75,000/- की सहायता अनुदान राशि प्रदाय की जायेगी। दुर्घटना में पूर्ण निःशक्त्ता की स्थिति में रु. 75,000/- तथा आंशिक निःशक्त्ता की स्थिति में रु. 37,500/- की सहायता अनुदान राशि दुर्घटनाग्रस्त पात्र तेन्दूपत्ता संग्राहक को प्रदाय करने का प्रावधान है।
- इस योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक राशि में से 50 प्रतिशत की राशि छ.ग. शासन, वन विभाग द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा वहन किया जावेगा। वर्ष 2022-23 में इस हेतु राशि रुपये 50.00 करोड़ का व्यय संभावित है।
- **सामूहिक सुरक्षा योजना (संघ संचालित) -** वर्ष 2020-21 हेतु सामूहिक सुरक्षा योजना का संचालन छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित के द्वारा दिनांक 01.04.2020 से किया जा रहा है। संघ संचालित सामूहिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत मृतक तेन्दूपत्ता संग्राहक के परिवार के मुखिया (दवेदार) को रुपये 12,000/- भुगतान किया जाता है। वर्ष 2022-23 में इस हेतु राशि रुपये 3.00 करोड़ का व्यय संभावित है।
- **प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों समूह बीमा:-** प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2021-22 से बीमा कराया गया है। वर्ष 2021-22 में बीमित प्रबंधकों की

संख्या 827 है, जिसका प्रीमियम भुगतान 7.87 लाख किया गया है। वर्ष 2022-23 में इस योजना हेतु राशि रु. 10.00 लाख व्यय संभावित है।

- **प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के फंडमुंशीयों का समूह बीमा:-** प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के तेंदूपत्ता फंडमुंशीयों का भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2021-22 से बीमा कराया गया है। वर्ष 2021-22 में बीमित फंडमुंशीयों की संख्या 9898 है, जिसका प्रीमियम भुगतान 50.76 लाख किया गया है। वर्ष 2022-23 में इस योजना हेतु राशि रु. 60.00 लाख व्यय संभावित है।

- **संघ द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं-** तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु विभिन्न शिक्षा प्रोत्साहन योजनाएं जैसे मेधावी छात्र/छात्राओं को पुरस्कार, व्यवसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति, गैर व्यवसायिक स्नातक कोर्स हेतु अनुदान योजना, तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के प्रतिभाशाली बच्चों के लिये शिक्षा प्रोत्साहन योजना लागू है। जिसमें शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए व्यवसायिक छात्रवृत्ति के भुगतान करने हेतु समस्त जिला यूनियनों से जानकारी मंगाई जा रही है। वर्ष 2022-23 में इस योजना हेतु राशि रु. 13.00 करोड़ व्यय संभावित है।

(ii) राष्ट्रीयकृत वनोपज का व्यापार

तेन्दू पत्ता - वर्ष 2022-23 में भी विगत वर्ष की भांति तेन्दू पत्ता का संग्रहण एवं विक्रय व्यापार प्राथमिक लघु वनोपज समितियों के माध्यम से संचालित की जावेगी। अनुमानित संग्रहण लक्ष्य 16.717 लाख मानक बोरा है।

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2021 एवं पूर्व के वर्षों के क्रेता करारनामा समाप्त लाटों का निर्वर्तन किया जावेगा तथा निर्वर्तन से प्राप्त राशि एवं प्रथम क्रेता से प्राप्त योग्य राशि के अंतर की राशि की वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

प्रदेश में संग्रहण वर्ष 2022 में कुल 954 लाटों में लगभग 16.717 लाख मानक बोरे के संग्रहण का अनुमान है। अनुमानित तेन्दूपत्ते का अग्रिम विक्रय आनलाइन निविदाएँ आमंत्रित करके की जावेगी। तेन्दूपत्ता संग्रहण में कुल रु. 669 करोड़ के संग्रहण पारिश्रमिक के वितरण का अनुमान है।

(iii) वर्ष 2019 के तेन्दूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2019 के तेन्दूपत्ता के निर्वर्तन उपरांत प्राप्त शुद्ध आय (व्यय घटाकर) की राशि में से शासन से अनुमोदन उपरांत लगभग राशि रुपये 70.88 करोड़ का तेन्दूपत्ता संग्राहकों को उनके द्वारा संग्रहित तेन्दूपत्ता के अनुपात में प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण का कार्य दिनांक 11.10.2021 से प्रारंभ किया गया है। जिसे शीघ्र पूर्ण कर लिया जावेगा।

(iv) अकाष्टीय वनोपज विकास - वर्ष 2022-23 में प्रस्तावित क्रियाकलाप

1. लघु वनोपज संग्रहण (मद क्र. 7.2) -

1.1 न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना (मद क्र. 7) -

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संचालित लघु वनोपज हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना वर्ष 2014-15 से राज्य में लागू की गई है। इस योजनांतर्गत लघु वनोपज व्यापार हेतु वर्ष 2014-15 से अभी-तक रु. 204.91 करोड़ राशि संघ को प्राप्त हुई है, जिसमें 75 प्रतिशत राशि भारत शासन द्वारा तथा 25 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई है।

योजना के प्रारंभ में 7 प्रकार के लघु वनोपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय करने हेतु राज्य शासन द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई है। वर्तमान वर्ष 2020-21 से 38 प्रकार के वनोपज को क्रय करने हेतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त हुई है।

1.2 तेन्दू पत्ता व्यापार से प्राप्त लाभान्श का 15 प्रतिशत राशि (मद क्र. 60) -

इस राशि से लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण तथा लाख पालन को बढ़ावा देने हेतु शासन द्वारा स्वीकृति पूर्व से प्राप्त है। इस राशि की सहायता से ऐसे लघु वनोपज, जिस हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वीकृत नहीं है, का संग्रहण एवं प्रसंस्करण किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज संग्राहकों को लाभ देने हेतु 38 प्रकार के लघु वनोपज को भारत शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तथा 19 प्रकार के अन्य वनोपज को उचित दर पर इस तरह कुल 52 प्रकार के लघु वनोपज के क्रय हेतु व्यवस्था की गई है। वर्ष 2022-23 में रु. 300 करोड़ मूल्य के वनोपज क्रय किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान वर्ष में संघ द्वारा कोदो, कुटकी, रागी, सूखा आम स्लाइस, कोसा, इन्द्रजौ कड़वा का भी क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

2. लघु वनोपज प्रसंस्करण (मद क्र. 5) -

2.1 प्रधानमंत्री वन-धन योजना (मद क्र. 8) - लघु वनोपज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने हेतु राज्य में 139 वन-धन विकास केंद्र स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री वन-धन योजनांतर्गत प्रत्येक केंद्र के लिये रुपये 15.00 लाख अनुदान राशि भारत शासन से प्राप्त हुआ है। उक्त योजनांतर्गत स्व-सहायता समूहों का प्रशिक्षण, उपकरण व्यवस्था, लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण हेतु चक्रीय राशि का प्रावधान किया गया है।

संघ द्वारा संग्रहित वनोपज को प्राथमिक प्रसंस्करण / प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिये राज्य में 139 वन-धन विकास केंद्रों की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से 121 प्रकार के हर्बल उत्पाद तैयार कर “छत्तीसगढ़ हर्बल्स” नाम पर संजीवनों केंद्रों द्वारा विक्रय किये जा रहे हैं। उक्त कार्य से लगभग 17424 महिला स्व-सहायता समूहों के सदस्य लाभान्वित हो रहे हैं।

वनधन विकास केन्द्रों में नवीन उत्पादों के निर्माण हेतु तथा निर्मित किये जाने वाले उत्पादों के लिए उन्नत तकनीक के इस्तेमाल हेतु वर्ष 2022-23 में एक हैकाथॉन का आयोजन किया जावेगा एवं वनधन विकास केन्द्रों के समूहों को विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षित किया जावेगा।

3. **लघु वनोपज विपणन (मद क्र. 60.6)** - न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना तथा अन्य योजनाओं के माध्यम से संग्रहित लघु वनोपज को ऑनलाईन निविदा के माध्यम से विक्रय किया जाता है। राजकीय वनोपज व्यापार के अंतर्विभागीय समिति के निर्णय के अनुसार सीमित वनोपज को निश्चित दर पर भी विक्रय किया जाता है। संघ द्वारा स्थापित वन-धन विकास केंद्रों तथा प्रसंस्करण इकाईयों के माध्यम से निर्मित हर्बल उत्पादों को रिटेल मार्केटिंग करने हेतु डिस्ट्रीब्यूटर आदि द्वारा विक्रय किया जावेगा।
4. **लाख पालन एवं प्रसंस्करण (मद क्र. 60.3)** - छत्तीसगढ़ राज्य में 50 हजार लाख कृषकों द्वारा लगभग 4000 टन लाख का उत्पादन प्रति वर्ष होता है, इससे लगभग रुपये 100 करोड़ का आय ग्रामीणों को प्राप्त होता है। आगामी 03 वर्ष में लाख उत्पादन 4000 टन से बढ़ाकर 10,000 टन वृद्धि करने हेतु राज्य सरकार ने संकल्प लिया है। इस हेतु लाख पालन को कृषि समतुल्य मानते हुये लाख पालन के लिये बिना किसी ब्याज के फसल ऋण, फसल बीमा सुविधा देने हेतु राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त पर्याप्त बीहन लाख उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु व्यवस्था की जा रही है। लाख कृषकों को वैज्ञानिक खेती अपनाने हेतु लाख उत्पादन क्षेत्र में लाख फेसिलिटेटर को प्रशिक्षित कर उपयोग करने की कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुसुमी लाख को रु. 300/- प्रति कि.ग्रा. तथा रंगीनी लाख को रु. 225/- पर क्रय करते हुये 20 क्षेत्रीय संयंत्रों द्वारा क्रय किये गये छिली लाख को प्रसंस्कृत करते हुये सीड लाख तैयार कर विक्रय करने हेतु कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्त कार्य द्वारा लाख पालन में वृद्धि के साथ ग्रामीणों को अतिरिक्त आय का अवसर मिलेगा। लाख आधारित उत्पादों के मूल्य संवर्धन से समूहों को अतिरिक्त आय दिलाने हेतु लाख के ज्वेलरी निर्माण संबंधी प्रशिक्षण प्रदान कर लाख ज्वेलरी निर्माण कार्य को बढ़ावा दिया जावेगा।
5. **लघु वनोपज समूह क्षेत्र संवर्द्धन एवं औषधि खेती (मद क्र. 60.1 एवं 60.2)** - चयनित जिला यूनियनों में लघु वनोपज से समृद्ध 5000 हेक्ट. वन क्षेत्र को लोक संरक्षित क्षेत्र के रूप में विकसित करने हेतु चयन किया जायेगा। उक्त क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष 1000 हेक्ट. आगामी 5 वर्ष तक उपचार किया जायेगा। इस प्रकार 20 जिला यूनियनों में 5000 हेक्ट. के मान से कुल 1 लाख हेक्ट. वन क्षेत्र का संवर्द्धन किया जाना प्रस्तावित है। इस वनक्षेत्र के अंतर्गत विलुप्त कगार पर तथा अधिक मांग वाले वनोपज/औषधि प्रजातियों का एनरिचमेंट प्लांटिंग (Enrichment Planting) द्वारा वृहद रूप से रोपण किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु नरेगा, कैम्पा, डी.एम.एफ आदि से लाभ लिया जा सकता है।

कृषि वानिकी द्वारा महत्वपूर्ण लघु वनोपज तथा औषधिय प्रजातियों को कलस्टर के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे गैर वनक्षेत्र से भी पर्याप्त मात्रा में लघु वनोपज / औषधि का उत्पादन हो सके। इसके साथ उपरोक्त कार्य वन अधिकार पत्र प्राप्त कृषकों के इच्छुक होने की स्थिति में उपरोक्त योजना में सम्मिलित कर सकते हैं। यह कार्य लोक संरक्षित क्षेत्र योजनांतर्गत संपादित किया जाना प्रस्तावित है।
6. **उद्यमिता विकास (मद क्र. 53)** - राज्य औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत राज्य में लघु वनोपज आधारित नवीन उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन देने हेतु प्रावधान किया गया है। उक्त उद्योग को बढ़ावा देने हेतु संघ में Entrepreneurship Development Cell स्थापित किया जावेगा।

7. क्षेत्रीय प्रसंस्करण इकाई (रिजनल प्रोसेसिंग यूनिट) तथा केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई (सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट) की स्थापना -

छ.ग. शासन, वन विभाग के आदेश दिनांक 21.12.2020 से छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज के प्रसंस्करण हेतु जिला दुर्ग के अंतर्गत पाटन विकासखण्ड के ग्राम जांमगांव (एम.) में केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई है। केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना दो भागों में की जा रही है। प्रथम भाग, जिसका रकबा 27.69 हेक्ट. है, में छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा तथा द्वितीय भाग जिसका रकबा 17.57 हेक्ट. है, में सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना किये जाने की स्वीकृति राज्य शासन द्वारा प्रदान की गई है।

छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा सी.एस.आई.डी.सी. के माध्यम से परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है तथा इस हेतु परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया है। छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ की भूमि पर दो परियोजनाएं संचालित की जायेगी:-

(i) आयुर्वेदिक औषधी केंद्र की स्थापना।

(ii) लघु वनोपज आधारित केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना।

इसी प्रकार सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा उनको आवंटित भूमि पर लघु वनोपज से संबंधित फूड पार्क की स्थापना किया जावेगा। इस हेतु परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।

वर्ष 2021-22 में आयुर्वेदिक औषधी इकाई की स्थापना का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, तथा लघु वनोपज आधारित केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना हेतु अधोसंरचना निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जायेगा। इसी के साथ प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत इमली एवं महुआ से संबंधित प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना का कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा।

संघ द्वारा स्थापित तथा स्थापित किये जा रहे प्रसंस्करण केन्द्रों के अलावा निजी निवेशकों को भी लघु वनोपज आधारित उद्योगों को स्थापित करने तथा निजी निवेश हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई पाटन के अंतर्गत सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा 17.57 हेक्ट. में लघु वनोपज आधारित फूड पार्क की स्थापना की जायेगी। वर्ष 2021-22 में अधोसंरचना का निर्माण करते हुए निजी निवेशकों को औद्योगिक भू-खण्ड सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। इससे लघु वनोपज संग्राहकों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा। राज्य शासन द्वारा ऐसे उद्योगों को कच्चे माल के रूप में लघु वनोपज सीधे उपलब्ध कराने हेतु निर्णय भी लिया जा चुका है। यह लघु वनोपज, छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा निश्चित दर पर उपलब्ध कराया जायेगा।

---000---

विषय क्रमांक - 4

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 के पारित अंकेक्षण उपरांत पूंजी पर अर्जित ब्याज (लाभ) का विभाजन।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के वित्तीय वर्ष 2019-20 का अंकेक्षण पूर्ण उपरांत वित्तीय पत्रकों का संघ की 21वीं आम सभा दिसंबर 2020 में अनुमोदन कराया जा चुका है।

छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ के वर्ष 2019-20 में अनुमोदित वित्तीय पत्रकों में वनोपज संघ को राशि 4,54,29,691/- रुपये का पूंजी पर अर्जित ब्याज प्रदर्शित हो रहा है।

छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 43 एवं संघ के उप नियम 30 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में संघ की पूंजी के विनियोजन से अर्जित ब्याज (लाभ) की राशि 4,54,29,691/- रुपये का विभाजन विभिन्न मदों में किया जाना है। संघ के उपनियम - 30 में दर्शित प्रावधान अनुसार लाभ का निम्न मदों में विभाजन निम्नानुसार होना है -

क्रमांक	फंड का नाम	विभाजन प्रतिशत	विभाजित राशि
1	रक्षित निधि फंड	33.50%	15218946.49
2	अंश पूंजी मोचन फंड	20%	9085938.20
3	इन्वेंट्री लॉस फंड	10%	4542969.10
4	सहकारिता आंदोलन के विकास फंड	3%	1362890.73
5	सहकारिता प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण	10%	4542969.10
6	भवन फंड	17%	7723047.47
7	वाहन फंड	4.50%	2044336.10
8	संदिग्ध एवं डूबत निधि फंड	2%	908593.82
योग :-		100%	4,54,29,691.01

उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन संघ की 85वीं संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 28.09.2021 के प्रस्ताव क्रमांक 85:12 में किया जा चुका है। तदनुसार वनोपज संघ द्वारा पूंजी पर अर्जित ब्याज (लाभ) का उपरोक्त मदों में विभाजन संबंधी प्रस्ताव आम सभा के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

---000---

विषय क्रमांक - 5

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये पुनरीक्षित एवं वर्ष 2022-23 के लिये बजट की स्वीकृति।

(अ) लघु वनोपज (तेन्दू पत्ता) संग्रहण वर्ष 2021-22 का पुनरीक्षित व्यय एवं वर्ष 2022-23 का अनुमानित व्यय निम्नानुसार है:-

पुनरीक्षित व्यय वर्ष 2021-22

अ. क्र.	वनोपज का नाम	संग्रहण वर्ष	मात्रा	इकाई	दर (रुपयों में)	राशि (रु.लाख में)
1.	तेन्दू पत्ता (अग्रिम निविदा में विक्रय)	2021-22	13.038	लाख मानक बोरा	5200.00 प्रति मानक बोरा	67,797.60
योग						67,797.60

अनुमानित व्यय वर्ष 2022-23

अ. क्र.	वनोपज का नाम	संग्रहण वर्ष	मात्रा	इकाई	दर (रुपयों में)	राशि (रु.लाख में)
1.	तेन्दू पत्ता (अग्रिम निविदा में विक्रय)	2022	16.717	लाख मानक बोरा	5300.00 प्रति मानक बोरा	88,600.10
योग						88,600.10

(ब) अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज व्यापार / विकास का वर्ष 2021-22 का पुनरीक्षित व्यय तथा वर्ष 2022-23 का अनुमानित व्यय निम्नानुसार है:-

अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज व्यापार / विकास

(राशि रुपये करोड़ में)

क्र.	मद क्रमांक	मद एवं उपमद का नाम	विवरण	2021-22 स्वीकृत बजट	2021-22 पुनरीक्षित बजट	2022-23 प्रस्तावित बजट
1	2	3	4	5	6	7
1	7	न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज संग्रहण योजना	केन्द्र प्रवर्तित योजना	305.00	244.00	305.00
	7.1	कच्चे लघु वनोपज पर व्यय		-	-	-
	7.1.1	कच्चे लघु वनोपज का क्रय मूल्य		-	200.00	250.00
	7.1.2	कच्चे लघु वनोपज संग्रहण / भंडारण पर व्यय		-	30.00	40.00
	7.2	प्रसंस्कृत लघु वनोपज पर व्यय		-	-	-
	7.2.1	कच्चे लघु वनोपज पर व्यय हेतु समायोजित राशि		-	-	-
	7.2.2	कच्चे लघु वनोपज प्रसंस्करण आदि पर व्यय		-	10.00	10.00
	7.3	प्रशासकीय व्यय		-	4.00	5.00
2	8	प्रधान मंत्री वन धन योजना	केन्द्र क्षेत्रीय योजना	10.00	22.00	22.00
	8.1	वन धन केन्द्र स्थापना / उपकरण व्यवस्था		1.00	2.00	1.00
	8.2	प्रसंस्करण केन्द्र हेतु कार्यपूजी		8.00	14.00	10.00
	8.3	क्षमता विकास		1.00	1.00	1.00
	8.4	अधोसंरचना विकास		-	5.00	10.00
3	31	लोक संरक्षित क्षेत्र - 01 (संघ मद) परियोजना	संघ पोषित योजना	10.55	7.55	10.55
	31.1	संसाधन सर्वेक्षण		0.50	0.50	0.50
	31.2	अंतःस्थलीय संवर्धन		8.00	5.00	8.00
	31.3	बाह्य स्थलीय संवर्धन एवं औषधि रोपणी		0.30	0.30	0.30
	31.4	क्षमता विकास		1.20	1.20	1.20
	31.5	वन औषधालय		0.50	0.50	0.50
	31.6	अन्य व्यय		0.05	0.05	0.05

4	32	आदिवासी उप योजना 41-5091 (राज्य शासन) लोक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना	राज्य योजना	4.80	4.80	4.80
	32.1	संसाधन सर्वेक्षण		0.50	0.50	0.50
	32.2	अंतः स्थलीय संवर्धन		3.00	3.00	3.00
	32.3	बाह्य स्थलीय संवर्धन एवं औषधि रोपणी		0.50	0.50	0.50
	32.4	क्षमता विकास		0.30	0.30	0.30
	32.5	वन औषधालय		0.50	0.50	0.50
	32.6	अन्य व्यय		-	-	-
5	39.3	गोदाम निर्माण हाट बाजार उन्नयन	केन्द्र प्रवर्तित योजना	10.00	10.00	10.00
	39.3.1	गोदाम निर्माण		-	6.00	6.00
	39.3.2	एन.डब्ल्यू.एफ.पी मार्ट थोक विक्रय सह भंडारण केन्द्र निर्माण व अन्य निर्माण		-	-	-
	39.3.3	हाट बाजार उन्नयन		-	4.00	4.00
6	46	प्रसंस्करण केन्द्र अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अ.ज.जा.) 14-2406-102-5231 लघु वनोपज कार्य हेतु	केन्द्र क्षेत्रीय योजना	38.50	19.65	32.93
	46.1	प्रसंस्करण केन्द्रों का भवन निर्माण व्यय		10.00	8.00	9.81
	46.2	प्रसंस्करण केन्द्रों का मशीनरी व्यय		15.00	1.00	16.25
	46.3	स्थापना व्यय/तकनीकी सहायता/क्षमता विकास		2.00	0.20	0.15
	46.4	कार्य पूंजी		1.00	-	2.00
	46.5	अन्य व्यय		0.50	0.45	1.00
	46.6	अधोसंरचना निर्माण		10.00	10.00	3.72
7	47	प्रसंस्करण केन्द्र राज्य शासन योजना (अ.ज.जा.) 41-2406-01-102-0102-5231	राज्य योजना	-	1.00	1.00
	47.1	प्रसंस्करण केन्द्रों का भवन निर्माण व्यय		-	-	-
	47.2	प्रसंस्करण केन्द्रों का मशीनरी व्यय		-	-	-
	47.3	कार्य पूंजी/स्व-सहायता समूहों को प्रदाय की गई चक्रीय राशि		-	-	-
	47.4	तकनीकी सहायता/क्षमता विकास		-	-	-
	47.5	अन्य व्यय		-	-	-

8	51	छ.ग राज्य में अकाष्टीय वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी परियोजना	संघ पोषित योजना (संघ की अग्रिम ब्याज से)	5.25	7.50	5.07
	51.1	अकाष्टीय वनोपज आधारित जीविकोपार्जन कार्य		0.50	0.50	0.01
	51.2	भंडारण		0.25	0.25	0.01
	51.3	विपणन		0.50	1.50	0.01
	51.4	अनुसंधान एवं विस्तार		0.50	1.50	0.01
	51.5	हर्वल हेल्थ केयर को बढ़ावा		0.50	0.25	0.01
	51.6	लघु वनोपज का संरक्षण		-	-	0.01
	51.7	सूचना प्रबंधन प्रणाली		1.50	1.50	0.01
	51.8	मानव संसाधन प्रबंधन एवं क्षमता विकास		1.50	2.00	5.00
9	52	अकाष्टीय वनोपज प्रजाति / औषधी खेती	संघ पोषित योजना	6.00	6.00	-
	52.1	अकाष्टीय वनोपज प्रजाति विस्तार हेतु क्लस्टर चयन (प्रथम वर्ष)		5.00	-	-
	52.2	अकाष्टीय वनोपज प्रजाति विस्तार हेतु क्लस्टर चयन (द्वितीय वर्ष)		1.00	-	-
	52.3	अकाष्टीय वनोपज प्रजाति विस्तार हेतु क्लस्टर चयन (तृतीय वर्ष)		-	-	-
10	35	लाख विकास योजना	राज्य योजना	4.30	4.30	4.30
	35.1	लाख संबंधी सर्वेक्षण		0.50	0.50	0.50
	35.2	लाख पालन परियोजना		0.50	0.50	0.50
	35.3	लाख प्रसंस्करण		2.00	2.00	2.00
	35.4	लाख विषय पर क्षमता विकास		0.75	0.75	0.75
	35.5	लाख अनुसंधान एवं विस्तार		0.30	0.30	0.30
	35.6	लाख आधारित उद्यमिता विकास		0.25	0.25	0.25
11	53	लघु वनोपज आधारित उद्यमिता विकास	संघ पोषित योजना (संघ के अग्रिम ब्याज से)	1.00	1.00	1.00
	53.1	उद्यमिता विकास कार्यक्रम		0.25	0.25	0.25
	53.2	उद्यमिता संबंधी कार्यशाला आदि आयोजन		0.25	0.25	0.25
	53.3	विशेषज्ञ सेवाएँ		0.25	0.25	0.25

	53.4	उद्यमी विकास संबंधी अन्य कार्य		0.25	0.25	0.25
12	54	अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज - क्षमता विकास परियोजना	अन्य स्रोत (NRLM) आदि	3.75	8.00	5.00
13	55	विश्व बैंक सहायता प्राप्त विराग परियोजना	बाह्य सहायता प्राप्त	10.00	10.00	10.00
14	56	लघु वनोपज प्रसंस्करण ईकाईयां	केन्द्र प्रवर्तित योजना	21.00	-	-
	56.1	लघु वनोपज प्रसंस्करण ईकाईयां		-	-	-
	56.2	केन्द्रीय प्रसंस्करण ईकाई सरगुजा		-	-	-
	56.3	लघु वनोपज प्रसंस्करण पार्क दत्तेवाड़ा		-	-	-
15	57	लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु अनुदान	केन्द्र प्रवर्तित योजना (Covid Plan)	20.00	20.00	5.00
16	60	लघु वनोपज व्यापार एवं विकास	संघ पोषित योजना (15 प्रतिशत लाभार्थ राशि)	170.00	145.02	213.02
	60.1	लघु वनोपज क्षेत्र संवर्धन / उत्पादन		-	0.01	0.01
	60.2	लघु वनोपज प्रजाति रोपण / औषधि खेती		-	0.01	0.01
	60.3	लाख विकास		-	-	-
	60.4	कच्चे लघु वनोपज का क्रय, संग्रहण / भंडारण पर व्यय		-	40.00	50.00
	60.4.1	कच्चे लघु वनोपज का क्रय मूल्य		-	-	-
	60.4.2	कच्चे लघु वनोपज संग्रहण / भंडारण पर व्यय		-	-	-
	60.5	प्रसंस्कृत लघु वनोपज पर व्यय		-	20.00	10.00
	60.5.1	कच्चे लघु वनोपज पर व्यय हेतु समायोजित राशि		-	-	-
	60.5.2	कच्चे लघु वनोपज प्रसंस्करण आदि पर व्यय		-	-	-
	60.6	लघु वनोपज विपणन		-	12.00	16.00
	60.6.1	मार्ट व्यापार हेतु चक्रीय निधि		-	2.00	6.00
	60.6.2	विपणन हेतु ब्रांड प्रमोशन आदि		-	10.00	10.00
	60.7	अनुसंधान एवं विस्तार		-	5.00	10.00
	60.8	सूचना प्रबंधन प्रणाली			5.00	10.00

			-		
60.9	मानव संसाधन विकास		-	10.00	10.00
60.9.1	मानव संसाधन पर व्यय		-	3.00	3.00
60.9.2	क्षमता विकास		-	7.00	7.00
60.10	प्रसंस्करण इकाईयों का विकास		-	26.00	55.00
60.10.1	केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई		-	20.00	40.00
60.10.2	क्षेत्रीय प्रसंस्करण इकाईयां		-	1.00	5.00
60.10.3	जिला स्तरीय प्रसंस्करण इकाईयां		-	5.00	10.00
60.11	अधोसंरचना विकास		-	27.00	52.00
60.11.1	नवीन भवन निर्माण		-	20.00	40.00
60.11.2	भवन मरम्मत		-	5.00	10.00
60.11.3	अन्य अधोसंरचनाएं		-	2.00	2.00
योग:-			620.15	510.82	629.67

- टीप :-
- (1) वित्तीय वर्ष 2021-22 के पुनरीक्षित एवं वर्ष 2022-23 के प्रस्तावित बजट मद में अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज व्यापार / विकास से संबंधित मद क्रमांक-7 - न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज संग्रहण योजना के उपमद में परिवर्तन कर बजट मद प्रस्तावित किया गया है।
 - (2) राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत की राशि से लघु वनोपजों के व्यापार एवं विकास के तारतम्य में मद क्रमांक - 60 लघु वनोपज व्यापार एवं विकास के अतर्गत उप मदों में परिवर्तन कर वित्तीय वर्ष 2021-22 का पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तावित किया गया है।

(स) कार्यालयीन व्यवस्था व्यय (रूपये लाख में)							
मद क्रमांक	मद	वर्ष 2021-22					वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्ताव
		स्वीकृत बजट	माह अगस्त 2021 तक का व्यय	शेष 07 माह का अनुमानित व्यय	योग	पुनरीक्षित बजट	
1	2	3	4	5	6	7	8
13.1	वेतन एवं भत्ते	850.00	282.10	450.90	733.00	750.00	850.00
13.3	कर्मचारी बोनस	20.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00
13.4	भवन किराया	15.00	4.24	8.00	12.24	15.00	15.00
13.5	अन्य भत्ते	20.00	7.07	10.93	18.00	20.00	25.00
13.6	यात्रा भत्ता	30.00	8.14	15.00	23.14	25.00	30.00
13.7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय	35.00	19.42	20.00	39.42	40.00	40.00
13.8	स्टेशनरी आदि क्रय	25.00	2.32	5.00	7.32	10.00	15.00
13.8.1	फोटोकापी एवं छपाई व्यय	15.00	22.42	2.50	24.92	25.00	25.00
13.10	टेलीफोन एवं इन्स्टालेशन/लीज व्यय	15.00	3.87	10.00	13.87	15.00	15.00
13.11	बिजली एवं पानी व्यय	30.00	7.04	15.00	22.04	25.00	30.00
13.12	पोस्टेज	1.00	0.01	0.70	0.71	1.00	1.00
13.13	विज्ञापन एवं निविदा व्यय	30.00	4.85	20.00	24.85	25.00	30.00
13.13.1	प्रचार-प्रसार	300.00	0.00	275.00	275.00	300.00	500.00
13.14.1	प्रशिक्षण	25.00	0.01	19.90	19.91	20.00	20.00
13.14.2	सम्मेलन व्यय	50.00	0.00	20.00	20.00	20.00	50.00
13.18	न्यायालयीन/विविध व्यय	15.00	0.45	13.00	13.45	15.00	15.00
13.22	अंकेक्षण शुल्क	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00
13.23.1	फर्नीचर मरम्मत	5.00	0.00	2.00	2.00	2.00	5.00
13.23.2	कम्प्यूटर/प्रिंटर/अन्य उपकरण मरम्मत/व्यय	7.00	2.93	4.00	6.93	7.00	20.00
13.24	अतिथि सत्कार, बैठक आयोजन पर व्यय	20.00	1.87	18.10	19.97	20.00	30.00
13.25.1	वाहन ईन्धन व्यय	25.00	7.97	15.00	22.97	25.00	30.00

13.27	वाहन मरम्मत व्यय	15.00	0.60	10.00	10.60	12.00	15.00
13.28	वाहन किराया	30.00	9.81	20.00	29.81	30.00	35.00
13.29	वाहन बीमा एवं अन्य व्यय	5.00	0.53	3.50	4.03	5.00	5.00
13.30	विशेष मरम्मत (गोदाम, कार्यालय, आवासीय एवं प्रसंस्करण केन्द्र)	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
13.31	विविध व्यय	15.00	11.64	8.30	19.94	20.00	25.00
13.33	ग्रेज्युटी (उपादान)	20.00	0.00	16.53	16.53	20.00	20.00
13.34	सेवानिवृत्त अवकाश नगदीकरण (उपादान)	10.00	0.00	19.45	19.45	20.00	25.00
13.35	किताब पत्रिका क्रय	5.00	0.04	1.90	1.94	2.00	5.00
13.36	विभिन्न भवनो, परिसरो का रख रखाव/मरम्मत	20.00	7.64	12.00	19.64	20.00	20.00
13.37	उत्कृष्टता सम्मान पुरस्कार	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	18.00
13.38	घसारा (डेपरिशिएशन)	250.00	0.00	220.00	220.00	250.00	250.00
13.39	सलाहाकार सेवाएं पर व्यय	200.00	6.00	134.00	140.00	140.00	200.00
	13.39.1 व्यावसायिक		6.00	114.00	120.00	120.00	150.00
	13.39.2 तकनीकि		0.00	20.00	20.00	20.00	50.00
14.4	ई.पी.एफ. अंशदान	125.00	41.45	70.00	111.45	125.00	130.00
14.4.1	पेंशन अंशदान	60.00	15.35	25.00	40.35	45.00	60.00
योग:-		3336.00	467.77	2523.71	2991.48	3107.00	3594.00

(द) जिला यूनियनों / समितियों का स्थापना / प्रशासनिक व्यय (रूपये लाख में)		
विवरण	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23
जिला यूनियनों का स्थापना / प्रशासनिक व्यय	2820.00	3000.00
समितियों का स्थापना / प्रशासनिक व्यय	1810.00	2000.00

(इ) संग्राहक मूलक योजनाओं पर व्यय (प्राप्त ब्याज की राशि से व्यय) (रूपये लाख में)								
मद क्रमांक	मद		वर्ष 2021-22				वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्ताव	
			स्वीकृत बजट	माह अगस्त 2021 तक का व्यय	शेष 07 माह का अनुमानित व्यय	योग		पुनरीक्षित बजट
1	2		3	4	5	6	7	8
17	बीमा योजनाये		4332.00	1055.91	3260.40	4316.31	4358.63	5266.00
	17.1	शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना	4000.00	945.80	3150.50	4096.30	4100.00	5000.00
	17.2	तेंदूपत्ता संग्राहक सामुहिक सुरक्षा योजना (परिवार बीमा योजना)	300.00	51.48	109.90	161.38	200.00	200.00
	17.3	फड मुंशी बीमा योजना (LIC)	24.00	50.76	0.00	50.76	50.76	56.00
	17.4	समिति प्रबंधको की बीमा योजना (LIC)	8.00	7.87	0.00	7.87	7.87	10.00
	17.5	मेघावी व प्रतिभाशाली शिक्षा प्रोत्साहन योजना (छात्रवृत्ति)	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	1000.00	1200.00
योग:-			5332.00	1055.91	4260.40	5316.31	5358.63	6466.00

टीप:- शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना हेतु 50 प्रतिशत की राशि राज्य शासन से सहायक अनुदान एवं 50 प्रतिशत संघ द्वारा व्यय की जावेगी ।

(फ) पूंजीगत व्यय (रूपये लाख में)							
मद क्रमांक	मद	वर्ष 2021-22					वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्ताव
		स्वीकृत बजट	माह अगस्त 2021 तक का व्यय	शेष 07 माह का अनुमानित व्यय	योग	पुनरीक्षित बजट	
1	2	3	4	5	6	7	8
25	निर्माण (अचल सम्पत्ति)	3800.00	631.80	3168.20	3800.00	3800.00	4300.00
	25.11 भवन निर्माण (मुख्यालय / आवासीय भवन)	1000.00	631.80	368.20	1000.00	1000.00	1500.00
	25.9 भवन निर्माण (जिला यूनियन / प्राथमिक समिति)	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	25.8 गोदाम निर्माण	2500.00	0.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00
25.1	कम्प्यूटर एवं संबंधित उपकरण क्रय	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00
25.2	अंशपूँजी क्रय	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00
25.4	फर्नीचर, उपस्कर, आंतरिक साज-सज्जा क्रय	100.00	13.95	30.00	43.95	45.00	300.00
25.5	वाहन क्रय	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00
25.7	कार्यालयीन उपकरण क्रय	15.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00
योग:-		4025.00	645.75	3323.20	3968.95	3970.00	4725.00

(भ) NWFP मार्ट से संबंधित विपणन व्यय (लाख में)							
मद क्रमांक	मद	वर्ष 2021-22					वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्ताव
		स्वीकृत बजट	माह अगस्त 2021 तक का व्यय	शेष 07 माह का अनुमानित व्यय	योग	पुनरीक्षित बजट	
1	2	3	4	5	6	7	8
61	NWFP मार्ट से संबंधित विपणन व्यय						
61.1	मजदूरी एवं पारिश्रमिक	0.00	1.77	35.00	36.77	40.00	66.67
61.2	विद्युत व्यय	0.00	0.31	2.00	2.31	2.50	4.17
61.3	भवन, परिसर का रख रखाव/मरम्मत	0.00	0.79	2.00	2.79	3.00	5.00
61.4	टेलीफोन एवं इंटरनेट व्यय	0.00	0.24	1.00	1.24	1.50	2.50
61.5	कम्प्यूटर एवं स्टेशनरी व्यय	0.00	0.37	1.00	1.37	1.50	2.50
61.6	परिवहन व्यय	0.00	0.32	2.00	2.32	2.50	4.17
61.7	प्रचार-प्रसार	0.00	0.00	95.00	95.00	30.00	50.00
61.8	सामग्री से संबंधित व्यय (पैकेजिंग)	0.00	0.00	145.00	145.00	150.00	250.00
61.9	सामग्री से संबंधित व्यय (कच्चे वनोपज)	0.00	0.00	160.00	160.00	167.00	278.33
61.10	प्रसंस्करण केन्द्रों को उत्पाद का भुगतान	0.00	0.00	120.00	120.00	130.00	216.67
61.11	अन्य व्यय	0.00	0.48	1.00	1.48	72.00	120.00
योग:-		0.00	4.28	564.00	568.28	600.00	1000.00

- नोट:-** 1. मार्ट संचालन हेतु चक्रीय निधि मद क्रमांक 60.6.1 से राशि प्रदाय की जायेगी। मार्ट से प्रसंस्कृत उत्पादों के विक्रय से प्राप्त राशि का उपयोग करते हुए उक्त मदों/उपमदों में राशि व्यय की जायेगी। संघ पर कोई वित्तीय भार नहीं होगा।
2. चक्रीय निधि का उपयोग मार्ट के संचालन हेतु किया जायेगा तथा यह राशि संघ को वापसी योग्य होगी।

अनुमानित आय

(अ) राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज निर्वर्तन से आय -

वर्ष 2022-23 में वनोपज की बिक्री से रु. 89,348.80 लाख प्राप्त होने का अनुमान है, जिसका वनोपजवार विवरण निम्नानुसार है:-

अ.क्र.	वनोपज का नाम	प्रस्तावित राशि (रूपये लाख में)
1.	तेन्दू पत्ता	89,348.80
	योग	89,348.80

उपरोक्त तालिका में दर्शायी आय का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

अ.क्र.	विवरण	राशि (रूपये लाख में)
1.	तेन्दू पत्ता वर्ष 2020 संग्रहण काल में गोदामीकृत 1.982 लाख मानक बोरा में से अविक्रित 0.856 लाख मानक बोरा की 30% मात्रा हेतु अनुमानित रु. 3500/- प्रति मानक बोरा की दर से विक्रय से प्राप्त विक्रय मूल्य की राशि	898.80
2.	वर्ष 2021 संग्रहण काल में गोदामीकृत 1.675 लाख मानक बोरा में से अविक्रित 1.500 लाख मानक बोरा की 50% मात्रा हेतु अनुमानित रु. 4200/- प्रति मानक बोरा की दर से विक्रय से प्राप्त विक्रय मूल्य की राशि	3,150.00
3.	वर्ष 2022 संग्रहण काल में कुल संग्रहण अनुमान 16.717 लाख मानक बोरा हरे पत्ते के अग्रिम में विक्रित लाटों के संग्रहण अनुमान 13.000 लाख मानक बोरा के अनुमानित रु. 6100/- प्रति मानक बोरा की दर से विक्रय से प्राप्त विक्रय मूल्य	79,300.00
4.	वर्ष 2023 संग्रहण काल में कुल संग्रहण अनुमान 16.717 लाख मानक बोरा हरे पत्ते के अग्रिम में विक्रित लाटों के संग्रहण अनुमान 10.000 लाख मानक बोरा के अनुमानित रु. 6000/- प्रति मानक बोरा की दर से विक्रय से प्राप्त विक्रय मूल्य का 10% राशि	6,000.00
	योग	89,348.80

(ब) विभिन्न बैंको में संघ की जमा निधियों से प्राप्त ब्याज (2022-23)

अ. क्र.	विवरण	राशि (रूपये लाख में) (अनुमानित)
1.	विविध आय एवं जमा निधियों पर प्राप्त ब्याज	2500.00

(स) तेन्दू पत्ता संग्राहकों की सामाजिक सुरक्षा योजना हेतु प्राप्त राशि (2022-23)

अ. क्र.	विवरण	राशि (रूपये लाख में)
1.	राज्य शासन से शहीद महेन्द्र कर्मा तेन्दू पत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना हेतु प्राप्त अनुदान	2500.00

(द) अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज व्यापार / विकास

राजस्व बजट 2022-23

(राशि रु. करोड़ में)

कं.	मद क्रमांक	मद एवं उपमद का नाम	विवरण	वित्तीय (वर्ष 2021-22)	वित्तीय (वर्ष 2021-22)	वित्तीय (वर्ष 2022-23)
				स्वीकृत	पुनरीक्षित	प्रस्तावित
1	2	3	4	5	6	7
अ - विक्रय से प्राप्त आय						
1	40	न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना अंतर्गत विक्रय से प्राप्त आय	केन्द्र प्रवर्तित योजना			
2	40.1	कच्चे लघु वनोपज विक्रय से आय			100.00	100.00
3	40.2	प्रसंस्कृत लघु वनोपज विक्रय से आय			10.00	15.00
4	40.3	लघु वनोपज व्यापार में हानि प्रतिपूर्ति	केन्द्र प्रवर्तित योजना		40.00	25.00
5	61	लघु वनोपज व्यापार एवं विकास मद के अंतर्गत विक्रय से प्राप्त आय	संघ पोषित योजना			
6	61.1	कच्चे लघु वनोपज विक्रय से आय			20.00	30.00
7	60.2	प्रसंस्कृत लघु वनोपज विक्रय से आय			5.00	10.00
9	60.4	लघु वनोपज व्यापार में हानि प्रतिपूर्ति			5.00	10.00
योग:-				-	180.00	190.00

ब - अनुदान एवं उपलब्ध राशि						
10	7	न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज संग्रहण योजना	केन्द्र प्रवर्तित योजना	50.00	150.00	200.00
11	8	वनधन विकास केन्द्र योजना		5.00	5.00	5.00
12	31	लोक संरक्षित क्षेत्र - 01 संघ मद परियोजना	संघ पोषित योजना	-	2.00	2.50
13	32	आदिवासी उप योजना 41-5091 (राज्य शासन) लोक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना	राज्य शासन योजना	5.00	-	4.00
14	39.3	गोदाम निर्माण एवं हाट बाजार उन्नयन	केन्द्र प्रवर्तित योजना	10.00	2.00	-
15	46	प्रसंस्करण केन्द्र अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अ.ज.जा.) 14-2406-102-5231	केन्द्र क्षेत्रीय योजना	-	-	-
16	47	प्रसंस्करण केन्द्र अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अ.ज.जा.) 14-2406-102-5231	राज्य योजना	-	-	-
17	51	छ.ग. राज्य में अकाष्टीय वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी परियोजना	संघ पोषित योजना (अग्रिम ब्याज से)	-	-	-
18	35	लाख विकास योजना	राज्य योजना	-	-	2.00
19	54	अराष्ट्रीयकृत लघु योजना - क्षमता विकास परियोजना	अन्य स्रोत (NRLM) आदि	13.75	8.00	5.00
20	55	विश्व बैंक सहायता प्राप्त चिराग परियोजना	बाह्य सहायता प्राप्त	10.00	10.00	10.00
21	56	लघु वनोपज प्रसंस्करण ईकाईयां	केन्द्रीय योजना एवं अन्य स्रोत	41.00	-	-
22	57	लघु वनोपज प्रसंस्करण ईकाईयां (केन्द्रीय योजना एवं अन्य स्रोत तथा केन्द्र प्रवर्तित योजना)	केन्द्र प्रवर्तित योजना	20.00	-	20.00
23	60	लघु वनोपज का व्यापार एवं विकास (पूर्व में मद क्रमांक - 27.11) 15 प्रतिशत की राशि	संघ पोषित योजना	-	-	30.00
योग:-				154.75	177.00	278.50
स - ऋण						
24		निरंक				
महायोग-				154.75	363.00	478.00

टीप:- उपरोक्त मदों के अंतर्गत संघ के पास उपलब्ध राशि में प्राप्त ब्याज की राशि भी सम्मिलित है।

- नोट:-
1. लोक संरक्षित क्षेत्र योजनांतर्गत (01 संघ मद परियोजना) में मार्च 2021 की स्थिति में राशि रु. 30.00 करोड़ शेष है।
 2. आदिवासी उप योजना 41-5091 (राज्य शासन) लोक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना (राज्य शासन योजना) में मार्च 2021 की स्थिति में राशि रु.4.61 करोड़ शेष है।
 3. छ.ग. राज्य में अकाष्टीय वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी परियोजना संघ पोषित योजना (ब्याज मद से) मार्च 2021 की स्थिति में राशि रु.17.33 करोड़ शेष है।
 4. लाख विकास योजना (राज्य शासन योजना) में राशि रु. 6.00 करोड़ शेष है।
 5. लघु वनोपज का व्यापार एवं विकास (पूर्व में मद क्रं. 27.11) तेंदू पत्ता लाभांश की 15 प्रतिशत की राशि (संघ पोषित योजना) में राशि रु.451.61 करोड़ शेष है।
 6. लघु वनोपज आधारित उद्योग विकास (संघ पोषित योजना) (ब्याज मद से) राशि रु. 1.00 करोड़ शेष है।
 7. उपरोक्त शेष राशियों में असमायोजित राशि सम्मिलित है।

बाईसवी वार्षिक साधारण सभा - संशोधित जानकारी

आय एवं व्यय का संक्षिप्त विवरण (वर्ष 2022-23)

अ.क्र.	आय	राशि (रुपये लाख में)
1.	राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के बिक्री से आय	89,348.80
2.	विविध आय एवं जमा निधियों पर प्राप्त ब्याज	2,500.00
3.	तेन्दू पत्ता संग्राहकों की सामाजिक सुरक्षा हेतु प्राप्त राशि	2,500.00
4.	अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज व्यापार / विकास के लिये प्राप्त राशि	47,800.00
	योग	1,42,148.80

अ.क्र.	व्यय	राशि (रुपये लाख में)
1.	कुल संग्रहण व्यय	88,600.10
2.	कार्यालयीन व्यवस्था व्यय	3,594.00
3.	संग्राहकमूलक योजनाओं पर व्यय	6,466.00
4.	पूँजीगत व्यय	4,725.00
5.	अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज व्यापार / विकास एवं विपणन पर व्यय	62,967.00
6.	प्रारंभिक स्कन्ध का मूल्य	0.00
7.	प्राथमिक समितियों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक, अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय / विक्रय, भंडारण तथा प्रसंस्करण हेतु तथा घाटे वाली समितियों के घाटे की अस्थायी प्रतिपूर्ति हेतु उपलब्ध करायी जाने वाली राशि	निरंक
	योग	1,66,352.10

आधिक्य / कमी (लाख में)

1.	कुल आय	1,42,148.80
2.	कुल व्यय	1,66,352.10
3.	संघ का शुद्ध लाभ / हानि (1-2)	- 24,203.30 (हानि)

टीप:- पृष्ठ क्रमांक 57 राजस्व बजट 2022-23 के नोट में पूर्व वर्षों की अवशेष राशि का उपयोग भी वर्ष 2022-23 के प्रस्तावित व्यय हेतु किया जायेगा, अतः शुद्ध हानि का उपरोक्तानुसार समायोजन पूर्व वर्षों की अवशेष राशि से होगा।

संघ की पूँजी (शीड केपीटल) (लाख में)

1.	संघ की पूँजी (शीड केपीटल)	9532.54
----	---------------------------	---------

वर्ष 2021-22 में स्वीकृत बजट के विरुद्ध अनुपूरक/पुनरीक्षित बजट का अनुमोदन

वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु स्वीकृत बजट के विरुद्ध दिनांक 31.08.2021 की स्थिति में हुए वास्तविक व्यय एवं आगामी 7 माह में अधिक व्यय होना संभावित है। आमसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु स्वीकृत बजट के अंतर्गत कुछ मदों में अतिरिक्त व्यय निम्नानुसार प्रस्तावित है:-

- 1) चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय :- चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय में स्वीकृत बजट राशि रुपये 35.00 लाख के विरुद्ध रु. 40.00 लाख होना संभावित है। अधिकारी / कर्मचारी एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्य कोरोना से संक्रमित होने के कारण इस मद में अधिक व्यय संभावित है।
- 2) फोटोकॉपी व्यय एवं छपाई :- फोटोकॉपी व्यय एवं छपाई में स्वीकृत बजट राशि रुपये 15.00 लाख के विरुद्ध रु. 25.00 लाख होना संभावित है।
- 3) विविध व्यय :- विविध व्यय में राशि रुपये 15.00 लाख के विरुद्ध राशि रु. 20.00 लाख व्यय किया जाना है चूंकि दिनांक 31.08.2021 तक राशि रुपये 11.64 लाख व्यय किया जा चुका है। आगामी 07 माह में संभावित व्यय के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में 20.00 लाख रुपये पुनरीक्षित एवं 2022-23 हेतु 25.00 लाख का बजट प्रस्तावित किया गया है।
- 4) सेवानिवृत्ति अवकाश नगदीकरण :- सेवानिवृत्ति अवकाश नगदीकरण में स्वीकृत बजट राशि रुपये 10.00 लाख के विरुद्ध दिनांक 31.08.2021 तक कोई व्यय नहीं हुआ है। चूंकि माह सितम्बर 2021 में राशि रु. 19.45 लाख का भुगतान किया गया है। अतः सेवानिवृत्ति अवकाश नगदीकरण में वित्तीय वर्ष 2021-22 में पुनरीक्षित बजट राशि रु. 20.00 लाख एवं 2022-23 हेतु राशि रुपये 25.00 लाख बजट प्रस्तावित है।
- 5) शहीद महेन्द्र कर्मा तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना :- शहीद महेन्द्र कर्मा तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना में राशि रु. 4000.00 लाख के विरुद्ध दिनांक 31.08.2021 तक राशि रु. 945.80 लाख व्यय किया जा चुका है। अतः आगामी 7 माह में राशि रु. 3150.50 लाख व्यय होना संभावित है। अतः इस मद में वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि रु. 4100.00 लाख का पुनरीक्षित बजट एवं वर्ष 2022-23 में राशि रुपये 50.00 लाख का बजट प्रस्तावित है।
- 6) फंड मुंशी बीमा योजना :- इस मद में वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वीकृत बजट राशि रु. 24.00 लाख के विरुद्ध माह अगस्त 2021 की स्थिति में राशि रु. 50.76 लाख का भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम को किया गया है। अतः इस मद में वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि रु. 50.76 लाख का पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में राशि रुपये 56.00 लाख का बजट प्रस्तावित है।

**लघु वनोपज / औषधी पौधों के विकास संबंधी परियोजनाओं पर
वर्ष 2021-22 के पुनरीक्षित बजट तथा वर्ष 2022-23 के प्रस्तावित
बजट हेतु अनुमानित व्यय**

1. न्यूनतम समर्थन मूल्य संग्रहण योजना (मद क्रमांक - 7) -

न्यूनतम समर्थन मूल्य संग्रहण संवर्धन योजना अंतर्गत कच्चे लघु वनोपज क्य एवं क्य किए गए कच्चे लघु वनोपज के मूल्य संवर्द्धन हेतु पुनरीक्षित बजट वर्ष 2021-22 में राशि रु. 244 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। वर्ष 2022-23 में इस हेतु राशि रु. 305 करोड़ प्रस्तावित है। उक्त राशि से 38 प्रकार के लघु वनोपज का क्य एवं प्रसंस्करण योग्य लघु वनोपज का मूल्य संवर्द्धन का कार्य किया जावेगा।

2. प्रधान मंत्री वनधन विकास योजना मद (मद क्रमांक - 8) -

प्राथमिक प्रसंस्करण / प्रसंस्करण से जुड़े वनधन विकास केन्द्रों के अंतर्गत लगभग राशि रु. 10 करोड़ का उत्पाद निर्माण लक्ष्य वर्ष 2021-22 हेतु स्वीकृत किया गया है। योजनांतर्गत प्रसंस्करण कार्य हेतु उपकरण व्यवस्था प्रसंस्करण हेतु कार्य पूंजी, क्षमता विकास एवं अधोसंरचना विकास कार्य हेतु राशि प्रस्तावित की जा रही है। ट्रायफेड नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशानुसार उक्त मद में वनधन विकास केन्द्र के समूहों को कार्य पूंजी राशि के रूप में राशि रु. 10 लाख जारी की गई है। वर्तमान वर्ष में ट्रायफेड नई दिल्ली को नवीन वनधन विकास केन्द्र स्थापना तथा पुराने वनधन विकास केन्द्र के अधोसंरचना विकास हेतु राशि प्रस्तावित की जा रही है। तदनुसार वर्ष 2021-22 के पुनरीक्षित एवं 2022-23 में मुख्य बजट में राशि रु. 22 करोड़ प्रस्तावित की गई है।

3. लोक संरक्षित क्षेत्र-01 (संघ मद) परियोजना (मद क्रमांक - 31) -

लघु वनोपज आधारित विकास कार्यों को जारी रखने के लिए यह आवश्यक है कि महत्वपूर्ण प्रजातियों का संरक्षण किया जावे। इस हेतु संघ मद में संचालित पी.पी.ए. योजना अंतर्गत अंतःस्थली एवं बाह्य स्थली संवर्द्धन, औषधि रोपणी आदि कार्यों के लिए वर्ष 2021-22 के पुनरीक्षित बजट में राशि रु. 7.55 करोड़ तथा वर्ष 2022-23 राशि रु. 10.55 करोड़ प्रस्तावित किया गया है।

4. आदिवासी उप योजना 41-5091 (राज्य शासन) लोक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना (मद क्रमांक - 32) -

लोक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना कर महत्वपूर्ण लघु वनोपज के संरक्षण हेतु उक्त योजना में कार्य किया जावेगा। इस योजना में वर्ष 2021-22 के पुनरीक्षित बजट में राशि रु. 4.8 करोड़ तथा वर्ष 2022-23 में राशि रु. 4.8 करोड़ प्रस्तावित की जा रही है।

5. लाख विकास योजना (मद क्रमांक - 35) -

लाख को शासन द्वारा वर्तमान वर्ष में कृषि फसल घोषित किया गया है। तदनुसार योजना का स्वरूप पूर्णरूपेण परिवर्तित हो गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में लाख पालन, प्रसंस्करण, अनुसंधान विस्तार, क्षमता विकास एवं लाख आधारित उद्यमिता विकास कार्यों के लिए पुनरीक्षित बजट में राशि रु. 4.30 करोड़ प्रस्तावित किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 में भी राशि रु. 4.30 करोड़ प्रस्तावित किया जा रहा है।

6. गोदाम निर्माण, हाट बाजार उन्नयन (मद क्रमांक - 39.3) -

आदिवासी मामले के मंत्रालय भारत शासन से हाट बाजार उन्नयन / गोदाम निर्माण हेतु राशि प्राप्त हुई है। उक्त राशि से महत्वपूर्ण हाट बाजार / वनधन केन्द्र, जहाँ लघु वनोपज की पर्याप्त उपलब्धता हो के अंतर्गत उन्नयन एवं गोदाम निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इस हेतु वर्ष 2021-22 के पुनरीक्षित बजट तथा वर्ष 2022-23 के प्रस्तावित बजट में प्रत्येक वर्ष राशि रु. 10 करोड़ प्रस्तावित की गई है।

7. प्रसंस्करण केन्द्र अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (मद क्रमांक - 46) -

अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मद में प्राप्त राशि से केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई में आयुर्वेदिक औषधि का निर्माण प्रारंभ किया गया है। इस हेतु वर्ष 2021-22 के पुनरीक्षित बजट में राशि रु. 19.65 करोड़ तथा वर्ष 2022-23 में राशि रु. 32.93 करोड़ प्रस्तावित की गई है।

8. प्रसंस्करण केन्द्र (राज्य शासन) योजना (मद क्रमांक - 47) -

इस योजना अंतर्गत प्रसंस्करण केन्द्रों के निर्माण कार्य हेतु वर्ष 2021-22 के पुनरीक्षित बजट एवं वर्ष 2022-23 के प्रस्तावित बजट में क्रमशः राशि रु. 1-1 करोड़ प्रस्तावित की जा रही है।

9. संघ को प्राप्त ब्याज की राशि से स्वीकृत छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी परियोजना (मद क्रमांक - 51) -

शासन से प्राप्त निर्देशानुसार लघु वनोपज के प्रसंस्करण / विपणन को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से संघ को प्राप्त ब्याज की राशि से स्वीकृत छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी परियोजना अंतर्गत अनुसंधान विस्तार, विपणन एवं हितग्राहियों के अधिकाधिक क्षमता विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में पुनरीक्षित बजट में राशि रु. 7.50 करोड़ प्रस्तावित की जा रही है। साथ ही वर्ष 2022-23 में 5.07 करोड़ प्रस्तावित की जा रही है।

10. लघु वनोपज आधारित उद्यमिता विकास (मद क्रमांक - 53) -

लघु वनोपज आधारित उद्योगों का बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति वर्ष 2019-20 में लघु वनोपज को अति प्राथमिकता के उद्योग घोषित किये गये हैं। तदनुसार लघु वनोपज उद्योगों में निवेश बढ़ाने के लिए उद्यमिता विकास हेतु वर्ष 2021-22 के पुनरीक्षित बजट में तथा वर्ष 2022-23 के प्रस्तावित बजट में प्रत्येक वर्ष राशि रु. 1 करोड़ प्रस्तावित की जा रही है।

11. अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज क्षमता विकास योजना (मद क्रमांक - 54) -

क्षमता विकास हेतु NRLM में प्रस्तावित परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 के पुनरीक्षित बजट में राशि रु. 8 करोड़ तथा वर्ष 2022-23 के प्रस्तावित बजट में राशि रु. 5 करोड़ का प्रावधान है।

12. विश्व बैंक सहायता प्राप्त चिराग परियोजना (मद क्रमांक - 55) -

विश्व बैंक सहायता प्राप्त चिराग परियोजना अंतर्गत वर्ष 2021-22 के पुनरीक्षित बजट तथा वर्ष 2022-23 के प्रस्तावित बजट में प्रत्येक वर्ष राशि रु. 10 करोड़ प्रावधानित है।

13. लघु वनोपज हेतु प्रसंस्करण अनुदान (Covid Plan) (मद क्रमांक - 57) -

लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना से प्राप्त होने वाले अनुदान में वर्ष 2021-22 के पुनरीक्षित बजट में राशि रु. 20 करोड़ तथा वर्ष 2022-23 के प्रस्तावित बजट में राशि रु. 5 करोड़ प्रस्तावित की गई है।

14. लघु वनोपज व्यापार एवं विकास (मद क्रमांक - 60) -

राज्य शासन के निर्णयानुसार तथा शासन के पत्र क्रमांक एफ 13-31/2009/10-2/बजट दिनांक 23.02.2021 के संदर्भ में तेंदू पत्ते के व्यापार से प्राप्त 15 प्रतिशत की राशि से लघु वनोपज व्यापार एवं विकास कार्य हेतु लघु वनोपज संवर्धन, लघु वनोपज विपणन, मानव संसाधन विकास, क्षमता विकास, प्रसंस्करण ईकाइयों का विकास एवं अधोसंरचना विकास कार्य हेतु राशि प्रस्तावित की जा रही है। इस हेतु वर्ष 2021-22 के पुनरीक्षित बजट में राशि रु. 145.02 करोड़ एवं वर्ष 2022-23 के प्रस्तावित बजट में राशि रु. 213.02 करोड़ प्रस्तावित किया जा रहा है।

14.1 लघु वनोपज क्षेत्र संवर्धन/उत्पादन (मद 60.1)

उक्त मद में लघु वनोपज क्षेत्र संवर्धन/उत्पादन का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

14.2 लघु वनोपज प्रजाति रोपण / औषधि खेती (मद 60.2) :-

व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण वनोपज / औषधि का खेती बढ़ावा कार्य उक्त मद में किया जावेगा।

14.3 कच्चे लघु वनोपज पर व्यय :- (मद 60.4)

उक्त मद अंतर्गत संघ द्वारा निर्धारित दर पर लघु वनोपज का क्रय/संग्रहण/भंडारण/ आदि किया जावेगा। वर्ष 2021-22 में 22 प्रकार के लघु वनोपज का क्रय किया जावेगा।

14.4 प्रसंस्कृत लघु वनोपज पर व्यय :- (मद 60.5)

उक्त योजना में क्रय किए गए लघु वनोपज का द्वितीयक प्रसंस्करण का कार्य प्रस्तावित है।

14.5 लघु वनोपज विपणन :- (मद 60.6)

इस घटक के अंतर्गत वन-धन विकास केन्द्र के माध्यम से हर्बल उत्पाद व्यापार हेतु संबंधित वृत्त के NWFP मार्ट को चक्रीय निधि दिया जावेगा। विक्रय उपरांत प्राप्त राशि उक्त मद में पुनः समायोजित की जावेगी।

छत्तीसगढ़ हर्बल उत्पादों के विक्रय को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड का प्रचार-प्रसार कार्य भी कराया जावेगा।

14.6 अनुसंधान विस्तार :- (मद 60.7)

लघु वनोपज आधारित हर्बल उत्पादों के गुणवत्ता, तकनीकी उन्नयन एवं नवीन उत्पाद निर्माण हेतु उक्त मद में विभिन्न संस्थाओं जैसे - CFTRI, ICAR, IIMR आदि तथा अन्य विशेषज्ञों की सेवा ली जानी प्रस्तावित है।

14.7 सूचना प्रबंधन प्रणाली :- (मद 60.8)

संघ अंतर्गत व्यापार/विकास कार्यों के संचालन मॉनिटरिंग तथा डिजीजन सर्वोपेडिंग सिस्टम MIS आदि हेतु उक्त साफ्टवेयर निर्माण, हार्डवेयर क्रय आदि कार्य उक्त मद में प्रस्तावित है।

14.8 मानव संसाधन विकास पर व्यय :- (मद 60.9)

60.9.1 मानव संसाधन विकास - लघु वनोपज व्यापार/विकास हेतु संविदा पर नियुक्त 180 कर्मचारी वेतन, भत्ते आदि तथा अन्य संविदा संयुक्त कर्मचारी / इंटरन एवं अन्य प्रकार कर्मचारी वेतन, भत्ते आदि इस मद के अंतर्गत भारित किया जावेगा।

60.9.2 क्षमता विकास पर व्यय - लघु वनोपज व्यापार / विकास हेतु नियोजित समूह / कर्मचारी / संग्राहक / कृषक तथा प्रशिक्षण, क्षेत्र भ्रमण तथा क्षमता विकास आदि कार्य इस मद के अंतर्गत भारित किया जावेगा।

14.9 प्रसंस्करण इकाईयों का विकास (मद 60.10)

60.10.1 केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई - पाटन क्षेत्र में स्थापित किये जा रहे केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई स्थापना आदि संबंधी व्यय इसके अंतर्गत भारित किया जावेगा।

60.10.2 क्षेत्रीय प्रसंस्करण इकाई - दंतेवाड़ा तथा सूरजपुर क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले क्षेत्रीय प्रसंस्करण इकाई स्थापना आदि व्यय इससे अंतर्गत भारित किया जावेगा।

60.10.3 जिला स्तरीय प्रसंस्करण इकाई - राज्य के विभिन्न जिले में प्रस्तावित प्रसंस्करण इकाई स्थापना आदि संबंधी व्यय इस मद के अंतर्गत भारित किया जावेगा।

नोट:- वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में पूर्व में मद संख्या 56 के अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत कार्य प्रस्तावित किया गया था। राज्य शासन के निर्णय के अनुसार 15 प्रतिशत की राशि का उपयोग किये जाने की स्वीकृति के फलस्वरूप पुनरीक्षित बजट में इसे मद संख्या 56 से हटाकर मद संख्या 60 में प्रस्तावित किया गया है।

14.10 प्रसंस्करण इकाईयों का विकास (मद 60.11)

60.11.1 नवीन भवन निर्माण - इसके अंतर्गत गोदाम तथा अन्य नवीन भवन निर्माण किया जावेगा।

60.11.2 भवन मरम्मत - इसके अंतर्गत विभिन्न गोदाम, वनधन केन्द्र, प्रसंस्करण केन्द्र आदि भवन मरम्मत कार्य किया जावेगा।

60.11.3 अन्य अधोसंरचना विकास - इसके अंतर्गत NWFP मार्ट, संजीवनी तथा अन्य प्रकार के भवन निर्माण प्रस्तावित है।

---000---

विषय क्रमांक - 6

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु संपरीक्षक की नियुक्ति बाबत।

छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58 अनुसार वित्तीय वर्ष समाप्ति के 6 माह के अंदर अंकेक्षण कार्य कराया जाना है तथा अधिनियम की धारा 49 (छ) अनुसार वार्षिक साधारण सम्मेलन में आगामी वित्तीय वर्ष हेतु संपरीक्षक की नियुक्ति की जानी है।

अतः वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंकेक्षण हेतु पंजीयक सहकारी संस्थायें द्वारा सूचीकृत चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों से विज्ञापन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंकेक्षण हेतु आवेदन प्राप्त कर परीक्षण उपरांत तकनीकी रूप से पात्र न्यूनतम दर प्रस्तुत कर्ता फर्म को अंकेक्षक नियुक्त किये जाने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक/9263 दिनांक 24.08.2021 से पत्र जारी कर दिनांक 25.08.2021 को विज्ञापन प्रकाशित कर दिनांक 02.09.2021 को ऑफर प्राप्त किये जाकर नियुक्ति की कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में अंकेक्षण हेतु प्राप्त न्यूनतम दर राशि रु. 17,700/- पर मेसर्स एस.के.पटोडिया एण्ड संस, रायपुर को नियुक्त किया गया था, जिसको वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु संघ की 21वीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 30.12.2020 हेतु अनुमोदन उपरांत वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु नियुक्त किया गया था।

पूर्व में नियुक्त मेसर्स एस.के.पटोडिया एण्ड संस, रायपुर से वित्तीय वर्ष 2020-21 की दर पर वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु अंकेक्षण करने हेतु लेख किया गया, किन्तु उनके द्वारा उक्त राशि पर असहमति व्यक्त किया गया, जिस हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई।

वर्ष 2021-22 के अंकेक्षण हेतु निविदा दिनांक 02.09.2021 को निविदा बुलाई गई थी, परीक्षण उपरांत प्राप्त आवेदन में से तकनीकी रूप से पात्र न्यूनतम दर प्रस्तुत कर्ता फर्म मेसर्स अजय सिंधवानी एण्ड कंपनी, रायपुर द्वारा प्रेषित दर रु. 85,000/- (वस्तु एवं सेवा कर सहित) न्यूनतम पाया गया। संघ द्वारा गठित समिति की अनुशंसा उपरांत मेसर्स अजय सिंधवानी एण्ड कंपनी, रायपुर से संघ के वित्तीय वर्ष 2021-22 का अंकेक्षक नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

अतः छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 49 (छ) के पालन में वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंकेक्षक की नियुक्ति का प्रस्ताव संघ की 85वीं संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 28.09.2021 के प्रस्ताव क्रमांक 85:13 में अनुमोदन उपरांत प्रस्ताव वार्षिक आम सभा के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विषय क्रमांक - 7

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंकेक्षित वित्तीय पत्रकों का अनुमोदन।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित से 31 जिला वनोपज सहकारी यूनियन संबद्ध है। राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के संग्रहण एवं अन्य शासकीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राशि जिला वनोपज सहकारी यूनियनों को अग्रिम के रूप में प्रदाय की जाती है। उक्त राशि के व्यय उपरांत व्यय लेखे जिला यूनियन से प्राप्त कर संघ की लेखा पुस्तकों में समायोजित किया जाता है एवं इसी प्रकार विक्रय लेखों का समायोजन किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में समस्त 31 जिला यूनियनों के प्राप्त वार्षिक लेखों का समायोजन उपरांत संघ के अंतिम वित्तीय पत्रक (व्यापार पत्रक / लाभ-हानि एवं स्थिति विवरण पत्रक) तैयार कर अंकेक्षित अंतिम वित्तीय पत्रक संचालक मण्डल में अनुमोदन उपरांत आम सभा के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

---000---

**छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास)
सहकारी संघ मर्यादित**

“वन धन भवन” सेक्टर-24, नवा रायपुर, अटल नगर

संघ मुख्यालय में कार्यरत अधिकारी

क्रमांक	अधिकारियों का नाम	संघ के पदनाम	मूल विभाग का नाम
1	2	3	4
1	श्री संजय शुक्ला, (भा.व.से)	प्रबंध संचालक (प्रधान मुख्य वन संरक्षक)	छ.ग.शासन, वन विभाग
2	श्री एस.एस.बजाज, (भा.व.से)	अपर प्रबंध संचालक (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक)	छ.ग.शासन, वन विभाग
3	श्री बी.आनंद बाबू, (भा.व.से)	अपर प्रबंध संचालक (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक)	छ.ग.शासन, वन विभाग
4	श्री अमरनाथ प्रसाद, (भा.व.से)	कार्यकारी संचालक (मुख्य वन संरक्षक)	छ.ग.शासन, वन विभाग
5	श्री रमेश कुमार जांगड़े (भा.व.से.)	उप महाप्रबंधक (उप वन संरक्षक)	छ.ग.शासन, वन विभाग
6	सुश्री किरन गुप्ता (रा.सि.से.)	सचिव (संयुक्त पंजीयक)	छ.ग.शासन, सहकारिता विभाग
7	श्री रजनीश कुमार पटेल (रा.सि.से.)	प्रबंधक (वित्त) (लेखाधिकारी)	छ.ग.शासन, वित्त विभाग
8	श्री सुबीर कुमार दत्ता	उप महाप्रबंधक (प्रणाली)	राज्य लघु वनोपज संघ
9	श्री नीलेश कुमार तिवारी	प्रबंधक (लेखा)	राज्य लघु वनोपज संघ
10	श्री के.के. धनगर	स्टॉफ आफिसर	राज्य लघु वनोपज संघ

---000---



C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR
AGENCY TRADING ACCOUNT FOR THE YEAR 2020-21

TENDU LEAVES

PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT
To Opening Stock		3,11,83,04,485.25	By Sales		7,40,93,12,362.18
<i>Tendu Patta</i>			<i>Tendu Patta</i>		
To Purchase		4,24,19,84,450.36			
<i>Tendu Patta (Collection)</i>			By Direct Incomes		10,34,46,717.39
To Direct Expenses		49,34,68,224.02	<i>Interest & Other Income</i>	9,55,87,073.39	
<i>Rebate on Tendupatta Sale</i>	5,68,93,503.64		<i>Mis. Income Through D.U.</i>	32,83,955.00	
<i>Godown Rent</i>	25,55,531.00		<i>Stationary and Printing T.P.</i>	15,11,254.00	
<i>MFP Insurance Premium</i>	67,94,961.00		<i>Trade</i>		
<i>Establishment Expenses of Primary</i>	16,55,62,776.00		<i>Godown Insurance Claim</i>	30,64,435.00	
<i>Establishment & Adminst. Exp of D.U.</i>	25,99,54,328.38		<i>Received</i>		
<i>Godown Insurance</i>	17,07,124.00				
			By Closing Stock		1,06,01,79,783.18
To People's Protected Area (Fed. Head) Tendu Patta		7,79,40,390.00	<i>Tendu Patta</i>		
To Surplus		64,12,41,313.12			
TOTAL		8,57,29,38,862.75	TOTAL		8,57,29,38,862.75

SAL SEED

PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT
To Opening Stock		75,08,576.85	By Closing Stock		75,08,576.85
<i>Sal Seed</i>			<i>SalSeed</i>		
TOTAL		75,08,576.85	TOTAL		75,08,576.85

(Signature)

HARRA

PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT
To Opening Stock		29,45,414.94	By Closing Stock		29,45,414.94
	Harra			Harra	
TOTAL		29,45,414.94	TOTAL		29,45,414.94

GUM

PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT
To Opening Stock		4,92,410.10	By Closing Stock		4,92,410.10
	Gum			Gum	
TOTAL		4,92,410.10	TOTAL		4,92,410.10

GROSS SURPLUS SUMMARY OF NOTIFIED MINOR FOREST PRODUCE

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Gross Surplus	64,12,41,313.12	Tendu Patta Surplus	64,12,41,313.12
TOTAL	64,12,41,313.12	TOTAL	64,12,41,313.12

Raipur dated 25-10-2021

(Smt. Archana Dhangar)
(Smt. Archana Dhangar)
Asst. Account Officer

(Neelesh Kumar Tiwari)
(Neelesh Kumar Tiwari)
Manager Accounts

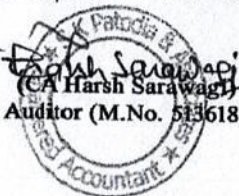
(Rajnish Patel)
(Rajnish Patel)
Manager Finance

(S.S. Bajaj)
(S.S. Bajaj)
Add. Managing Director (Trade)

As per our Report of even date

(Sanjay Shukla)
(Sanjay Shukla)
Managing Director

(CA Harsh Sarawagi)
(CA Harsh Sarawagi)
Auditor (M.No. 513618)





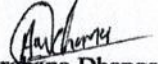
C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR AGENCY PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR 2020-21

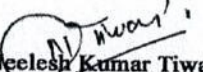
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
TO ESTABLISHMENT EXPENSES	7,97,22,876.53	BY GROSS SURPLUS B/F	64,12,41,313.12
House/office Rent to Owner	9,04,077.00	BY INDIRECT INCOMES	49,88,72,354.25
Salary Account	5,05,17,690.00	Godown Rent Received	2,35,32,280.00
Compensatory Grant	1,00,000.00	Interest Earned on Group Gratuity A/c	40,73,262.22
Conveyance Exps.	2,40,975.00	Interest Earned on Group Leave Encashment Sch- A/c	34,16,677.40
Excellence Award Exp	3,000.00	Interest Earned on Income Tax Refund	1,52,90,262.00
Group Gratuity Expenses A/c	5,22,723.49	Profit on Writoff Vehicle	1,20,199.83
Group Gratuity Payment A/c	16,34,899.00	Received From MSP Project (2% Service Charge)	2,29,41,027.80
Group Leave Encashment Payment A/c	12,35,226.00	Interest Earned on FDR	22,30,03,153.00
Group Leave Encashment Premium & Others A/c	2,79,260.82	Interest Earned on FFD A/c	5,52,30,948.00
E.P.F. Administrative Charges	11,89,508.00	Interest Earned on Saving Bank	14,89,74,259.00
Medical Expenses	23,62,240.00	Miscellaneous Income	8,87,818.00
Travelling Expenses	28,63,970.00	Misc. Received Under Information Rights	611.00
Orderly Exp.	11,16,720.00	House Rent Licence Fees [Fed.]	67,630.00
E.P.F (Contribution)	92,82,249.00	Vehicle Charges Recovered	24,226.00
Pension Contribution	38,73,472.00	EMD/SD Forfeited	13,10,000.00
Vehicle Exp.	36,95,190.22		
Vehicle Insurance Charges	1,01,676.00		
TO INDIRECT EXPENSES	1,39,55,182.00	BY INTEREST EARNED ON FEDERATION SEED CAPITAL	4,55,96,652.00
13.30- Godown and D.U Building Repair and Maintanc	62,04,617.00		4,55,96,652.00
Co-Operative Election Exp.	9,02,000.00		
Interest Paid to Others	6,60,273.00		
IT Based Software Dev. System Expense	45,12,434.00		
Lease Rent Exp. on Fed. Building	7,75,225.00		
Loss on Writoff Vehicle	72,342.00		
Consumable Store	2,27,358.00		
Penalty/Fine	6,00,933.00		
TO MANAGERIAL EXPENSES	1,29,69,371.23		
AGM & BOD Meeting Expense	1,47,486.00		
Computer/printer/ Other Ins. Repairing	1,36,130.64		
Consultancy Servies	16,40,365.00		

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
Maintenance & Repair of Office Building	15,22,265.16		
Photocopy & Printing Exps.	2,79,319.76		
Telephone & Installation/lease Line Expenses	4,48,550.96		
Vehicle Others	2,87,171.12		
Stationery & Printing	5,94,202.20		
Books & Periodicals	55,674.00		
Computer Exp	4,26,093.94		
Postage & Telegram	9,671.00		
Electricity&Water Supply	14,41,358.86		
Advertisement and Tender Exp A/c	32,43,633.20		
Meeting Expenses	4,85,485.00		
Miscellaneous Expenses	13,22,195.34		
Vidhik Fees/litigation	9,00,840.00		
Bank Charges	28,929.05		
TO DIST.UNION COMMISSION	31.00		31.00
TO DEPERICIATION CHARGES	2,80,91,684.50		2,80,91,684.50
TO AUDIT FEES	17,700.00		17,700.00
TO PROVISION FOR WELFARE/DEVELOPMENT SCHEMES	34,79,66,899.36		34,79,66,899.36
TO SURPLUS TO SOCIETIES			65,73,89,921.75
TO COMMISSION TO FEDERATION			1.00
TO SURPLUS CARRY FORWARD TO FEDERATION P/L	4,55,96,652.00		4,55,96,652.00
TOTAL	1,18,57,10,319.37	TOTAL	1,18,57,10,319.37

Rajpur dated 25-10-2021

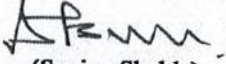
As per our Report of even date

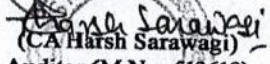

(Smt. Archana Dhangar)
Asst. Account Officer


(Neelesh Kumar Tiwari)
Manager Accounts


(Rajnish Patel)
Manager Finance


(S.S. Bajaj)
Add. Managing Director (Trade)


(Sanjay Shukla)
Managing Director

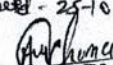

(CA Harsh Sarawagi)
Auditor (M.No. 513618)

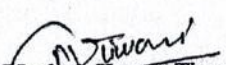


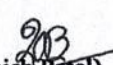
C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR
FEDERATION PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR 2020-21

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
TO NET PROFIT TRANSFERED TO BALANCE SHEET	4,55,96,653.00	BY SURPLUS B/F FROM AGENCY P/L ACCOUNT	4,55,96,652.00
		BY Agency Commission B/F from Agency P/L Ac	1.00
TOTAL	4,55,96,653.00	TOTAL	4,55,96,653.00

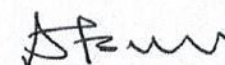
Raipur dated - 25-10-2021

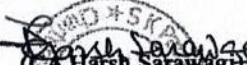

(Smt. Archana Dhangar)
Asst. Account Officer


(Neelesh Kumar Tiwari)
Manager Accounts


(Rajnish Patel)
Manager Finance


(S.S. Bajaj)
Add. Managing Director (Trade)


(Sanjay Shukla)
Managing Director


(CA Harsh Sarawagi)
Auditor (M.No. 513618)

As per our Report of audit



C.G. STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH' 2021

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
1000000000.00	AUTHORISED SHARE CAPITAL		1000000000.00				
	PAID UP SHARE CAPITAL		18,96,87,392.14		FIXED ASSETS		95,02,50,045.98
4,37,22,122.14	State Government	4,37,22,122.14		56,13,08,252.78	Godown & Building	62,50,86,802.56	
32,000.00	District Union	32,000.00		3,61,00,737.00	Land (Naya Raipur)	3,61,00,737.00	
10,18,64,348.40	State Government through NCDC (Old)	10,18,64,348.40		1,83,25,675.67	Vehicle (Assets)	1,76,11,954.00	
54,47,622.40	Social Justice & Empowerment	54,47,622.40		1,94,07,043.48	Furniture and Dead Stock	2,86,77,800.53	
64,38,099.20	Tribal & Minority Welfare	64,38,099.20		2,07,05,529.60	Computer & Computer Parts	2,51,33,800.87	
3,21,83,200.00	NCDC Godowns from C. G. Govt.	3,21,83,200.00		2,35,23,607.18	Office Machinery	2,46,53,613.02	
	FUNDS & RESERVES		1,14,94,23,887.39	17,43,13,510.00	Office Building (Work in Progress)	17,43,13,510.00	
8,97,03,452.00	General Reserves & Funds	9,10,26,343.00		1,86,71,828.00	DU Office Building/Godown (Work in Progress)	1,86,71,828.00	
20,22,22,345.87	Reserve Funds	21,70,54,055.80			INVESTMENT		1,75,000.00
33,73,67,735.03	Depreciation Funds	36,34,53,235.03		1,75,000.00	Purchase of Share	1,75,000.00	
6,07,57,971.11	Inventory Loss Funds	6,51,85,347.21			LIC (Group Gratuity)		7,41,90,434.84
5,94,10,100.63	Co-operative Training & Publicity funds	6,38,37,476.73		2,34,09,555.97	Group Gratuity Contribution Fund	3,87,13,390.48	
11,98,27,285.08	Share Capital Redemption Funds	12,86,82,037.28		3,14,03,782.14	Interest Accrued From Group Gratuity Fund	3,54,77,044.36	
1,78,87,840.87	Co-op. Movement & Development Funds	1,92,16,053.70			LIC (Group Leave Encashment Fund)		5,31,01,435.26
1,18,25,815.74	Bad & Doubtful Debts Funds	1,27,11,290.96		2,74,55,034.02	Group Leave E. Contribution Fund	2,89,17,763.20	
4,50,70,384.00	Subsidy for Godowns From NCDC	4,50,70,384.00		2,07,66,994.66	Interest Accrued From Group Leave Encashment Contribution Fund	2,41,83,672.06	
10,56,91,613.28	Building Fund	11,32,18,152.66			LOANS & ADVANCES		47,83,61,597.38
2,79,77,191.78	Vehicle Fund	2,99,69,511.03					
	LOANS		96,04,417.00				
46,42,860.00	Margin Money Loan From M.P. Govt. (MP Bhopal)	46,42,860.00		26,36,021.60	Nagrik Apurti Nigam	26,36,021.60	
49,36,657.00	Godown Loan From Central Govt. (MP Bhopal)	49,36,657.00		6,96,044.00	Advance To Staff	7,13,657.00	
24,900.00	Godown Loan From N.C.D.C	24,900.00		13,508.00	DFO Mis division Raipur	13,508.00	
	DEVELOPMENTAL PROJECTS		1,12,93,71,550.87	3,941.00	Director Guru Ghansidas National Park, Korea	3,941.00	
4,90,27,986.00	41-2406 Aadivasi Up yojana-5091(PPA)	4,61,86,890.00		137.00	CGCERT	137.00	
				37,85,73,275.36	Vaniki & Vanya Jeevan Project(10-2406-01-800)	37,85,73,275.36	

(Signature)

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
14,63,43,972.29	41-2406 Tribal Sub Plan 5231 Processing	15,11,44,868.89		9,63,21,574.42	Mulbhoot/Development of Forest and forest Produce	9,63,21,574.42	
7,68,46,370.73	European Commission Project [10-2406-6725]	7,70,88,935.73		60,625.00	LSA on Gratuity from LIC	60,625.00	
15,06,12,604.58	51-NWFP Based Livelihood project in C.G State	17,33,87,499.82		6,00,000.00	CG Samvaad Advance Account	38,858.00	
1,90,44,023.00	41-2406-6792 pm jeewan jyoti beema yojna	1,90,44,023.00					
1,36,51,427.00	10-2406-6792 pm jeewan jyoti beema yojna	1,36,51,427.00			GUNNY BAGS & HASSIAN BARDANA		3,21,67,953.70
19,95,241.75	Bastar Vikas Pradhikaran	19,95,241.75		1,38,45,629.00	Gunny Bags & Tarpoline(Bhopal)	1,38,45,629.00	
15,76,608.00	Sarguja/Jaspur Vikas Pradhikaran	15,76,608.00		4,25,14,438.78	Hassian Bardana (Bhopal)	1,83,22,324.70	
45,55,974.70	UNDP-CCF-1 Bio Diversity Conservation Project	45,55,974.70					
9,44,94,240.32	41-2406 Lac Development Project 6854	9,32,58,560.32			DUTIES & TAXES		84,86,37,641.90
44,96,56,900.04	Add Central Assistance Project (14-2406-102-5231)	46,96,77,721.04		6,87,452.42	Central Sales Tax	6,87,452.42	
3,63,11,899.00	Lac Cultivation Project (SGSY)	3,63,11,250.00		76,40,458.96	VAT Receivable (2008-09)	76,40,458.96	
3,80,171.30	Tribal Co-operative Marketing Fed. Of India	3,80,171.30		59,77,65,772.09	VAT	62,87,04,299.67	
48,57,953.50	NATIONAL MEDICINAL PLANT BOARD (NMPB)	48,57,953.50		29,43,44,747.73	TAX DEDUCTED AT SOURCE RECEIVABLE	11,71,14,926.73	
43,605.50	Chhattisgarh Biofuel Vikas Pradhikaran	43,605.50		6,65,05,866.50	Income Tax (TCS)	8,03,12,356.50	
1,51,62,327.00	State Govt. Project for Processing Centre-5231	1,33,49,146.00		28,13,908.45	GST Input	53,04,535.52	
20,12,377.72	Campa Cold Storage Buildings A/c	21,22,955.32		12,294.57	IGST Input	28,86,912.69	
2,31,40,621.00	NRLM Project	2,07,38,719.00		28,13,575.11	SGST Input	53,04,202.19	
				0.00	Entry Tax on Sale	6,82,497.22	
	OTHERS PAYABLE & PROVISIONS		45,26,39,400.44				
75,34,525.79	Provision For Unadjusted Exp PPA	75,34,525.79		10,86,51,188.00	INTEREST RECEIVABLE	7,06,89,066.00	7,06,89,066.00
37,15,92,659.76	Provision for People's Protected area(Federation Head)	43,72,55,456.76					
45,35,057.04	Provision for Audit Fees	44,33,265.04		3,27,315.00	REPAYABLE RECOVERIES	5,82,030.00	5,82,030.00
28,41,742.95	Salseed Bonus Payable	28,41,742.95					
3,39,195.00	Group Gratuity Payable Ac	3,39,195.00		40,03,974.06	Service Chages Receivable from MSP Project	3,11,83,106.06	3,11,83,106.06
1,43,969.00	Group Leave Encachment Payable A/c	1,43,969.00					
73,205.90	Bills Payable	73,205.90			CLOSING STOCK		1,07,11,26,185.07
18,040.00	G.S.L.I. Payment A/c	18,040.00		4,92,410.10	Gum	4,92,410.10	
				29,45,414.94	Harra	29,45,414.94	
	DUTIES & TAXES		41,82,70,147.07	3,11,83,04,485.25	Tendu Patta	1,06,01,79,783.18	
40,54,21,858.89	Forest Development Cess	40,54,26,348.89		75,08,576.85	Sal Seed	75,08,576.85	
59,754.00	Commercial Tax	59,754.00					
3,18,840.78	Entry Tax on Sale	0.00					
6,42,65,702.18	Goods and Service Tax	1,27,78,390.18					

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
0.00	TDS on GST	5,654.00			F.D.R./C.D.R./S.D.R.		2,88,75,88,419.00
				1,42,22,579.00	Security Deposit (Court)	1,42,22,579.00	
	SUNDRY CREDITORS		1,38,58,77,365.28	0.00	FDR A/c (Apex Bank) [Fed. Capital]	87,33,65,840.00	
9,068.00	F.R.L.H.T.	9,068.00		4,29,00,00,000.00	FDR A/c (Bank of Baroda)	0.00	
3,14,15,136.40	Tendu Patta Purchasers	3,39,57,211.86		85,38,34,949.00	FDR A/c (Bank of Baroda) - Fed. Capital	0.00	
2,93,200.16	Sal Seed Purchasers	2,93,200.16		1,00,60,00,000.00	FDR A/c (Canara Bank)	0.00	
14,17,609.05	Harra Purchasers	14,17,609.05		78,50,00,000.00	FDR A/c (OBC)	0.00	
2,00,966.72	Gum Purchasers	2,00,966.72		0.00	FDR A/c (Apex Bank)	2,00,00,00,000.00	
1,22,44,527.20	Security Deposit other than M.F.P.	12,22,569.20		11,91,64,313.00	FDR A/c (Central Bank)	0.00	
59,090.00	TamilNadu Med.Plants and Herbal Med.Corp.	59,090.00			BANK ACCOUNTS		10,27,78,49,273.15
2,40,562.00	Tirumalla Tirupati Dev Sthanam , Tirupati	2,40,562.00			CURRENT		
2,601.82	Charanpaduka Purchase A/c	2,601.82		6,04,60,122.69	ICICI Bank A/c No. 016105006260 (C)	0.00	
2,83,07,616.00	M.S.P Account	5,60,02,032.00		16,32,30,023.04	P.N.B. A/c No. 0399005900000058 (C)	10,52,52,407.82	
95,95,46,382.14	District Union Advance	1,20,40,89,813.87		4,27,845.81	State Bank of India A/c 30735345823 (C)	30,21,236.81	
0.00	Settled/Unsettled Amount of Scholarship Yojana	7,86,000.00		500.00	Apex Bank A/c No. 1149 (C)	500.00	
0.00	Saheed Mahendra Karma Bima Yojana	8,06,59,617.00		16,03,791.00	Bank of Baroda A/c No.05100200000482 (C)	16,38,532.00	
0.00	ICICI Bank A/c No. 016105006260 (C)	69,37,023.60		13,55,364.75	S.B. Indore A/c No. 53015395443 (C)	13,55,364.75	
	PAYABLE TO SOCITIES(C.G.)		11,29,53,81,682.34	9,202.61	Dena Bank A/c No. 018811001093 (C)	8,258.61	
6,48,40,89,218.21	Incentive Wages to Pluckers C.G.	4,45,07,95,029.85			SAVING		
2,08,04,61,488.13	Revolving Fund	2,11,33,30,984.88		5,19,068.00	Apex Bank A/c No. 103002061018 (S)	8,06,59,627.00	
4,37,08,84,872.42	Sale purchase processing of Non-nationalised MFP	4,73,12,55,667.61		2,68,98,248.00	Axis Bank A/c No. 44794 (S)	5,19,068.00	
	M.P.M.F.P.CO-OP. FED. BHOPAL		73,45,05,969.87		Axis Bank A/c No.913010014688171 (S)	1,35,87,118.00	
5,99,86,647.28	M.P.M.F.P.CO-OP. FED. BHOPAL A/c -1 (Annexure -A)	5,99,86,647.28			Axis Bank A/c No. 919010061564958 (S)	1,63,99,57,821.40	
41,02,60,025.99	BIFURCATION DISPUTE WITH FED. BHOPAL A/c 2	41,02,60,025.99		16,97,18,847.15	AXIS Bank (S) 910010017380589 (S)	16,97,18,847.16	
26,42,59,296.60	M.P.M.F.P.CO-OP. FED. BHOPAL A/c -3	26,42,59,296.60		49,44,54,263.00	Bank of Baroda A/c No. 45730100002093 (S)	51,49,50,876.00	
				84,47,654.00	Bank of Baroda A/c No. 45730100002094 (S)	88,58,435.00	
1,13,59,776.94	SUSPENSE A/C	1,13,59,776.94	1,13,59,776.94	3,00,56,487.06	Bank of Baroda A/c No. 45730100002401 (S)	2,63,88,56,501.85	
2,98,07,85,327.14	MSP Project related Liabilities (Annexure B)	3,22,09,40,412.06	3,22,09,40,412.06	37,85,435.00	ICICI Bank A/c No. 016101015839 (S)	1,34,46,81,929.29	
				2,15,57,66,835.12	Indus Ind Bank A/c No. 100061521459 (7)	2,14,91,38,546.33	
				6,51,39,280.21	Indus Ind Bank A/c No. 100061712413 (6)	8,36,653.00	
				4,00,96,306.00	Kotak Mahindra Bank A/c No. 1314152492	3,68,38,893.00	

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
	20.00 FEDERATION PROFIT & LOSS A/C		21.00	21,21,428.04	P.N.B. A/c No. 0101183276 (Campa) (S)	22,24,976.64	
	A. Profit of Fed. (in Previous year)	20.00		7,12,23,443.17	P.N.B. A/c No. 3358 (S)	7,78,22,402.77	
	B. Profit of Current Year	4,55,96,653.00		3,83,49,982.69	P.N.B. M.Br.A/c No.399000101192414 (S)	16,34,04,807.49	
	Total	4,55,96,673.00		57,51,093.60	State Bank of India A/c No.31144628102 (S)	3,93,33,580.10	
	Less: Transferred to General Reserve Fund	4,55,96,652.00		5,63,06,293.05	State Bank of India A/c No.32084656047 (S)	37,81,433.58	
				1,73,90,13,784.63	P.N.B. M Br. 191933 (S)	1,28,13,91,456.56	
				2,98,07,85,327.14	MSP Project related Assets (Annexure B)	3,22,09,40,412.06	3,22,09,40,412.06
					CASH/DD/CHEQUE-IN-HAND		2,19,422.00
				1,03,24,180.00	DD/Cheque In Hand	2,19,422.00	
20,91,97,15,831.45	GRAND TOTAL		19,99,70,62,022.40	20,91,97,15,831.45	GRAND TOTAL		19,99,70,62,022.40

Note :-

- 1- Certain receivable/Payable under CST/VAT from financial year 2007-08 onwards are not accounted for in the books of accounts as these receivable/payable are subject to final assessment by VAT authorities which are subject to judgement of Hon'ble Supreme Court wide order No. S.L.P (c) No. 12588/2011 dated 23-02-2012 and at present provision amount is not ascertainable.
- 2- Various account heads of M.P.MFP Fed, Bhopal are disclosed separately in Balance sheet as liability in Annexure "A"
- 3- Balance of "Profit to Societies" related to 70:15:15 as per Balance Sheet dated 31-10-2000 received from M.P. Fed Bhopal the amount related to Provision of Development of Forest and Forest Produce for the year ended 1998,1999,2000 is not incorporated in corresponding ledgers.
- 4- Separate Books of Accounts of M.S.P Project have been maintained trading profit transferred to Payable to MFP gatherers under MSP, trading loss have been transferred to Fund to meet losses account and net of all indirect income/expenses have been transferred to Revolving Fund of MSP. Details of Assets and Liabilities are shown separately in Annexure "B"

Place: Raipur
Date 25-10-2021

(Smt. Archana Dhangar)
Asst. Account Officer

(Neelesh Kumar Tiwari)
Manager Accounts

(Rajnish Patel)
Manager Finance

(S.S.Bajaj)
Add. Managing Director (Trade)

(Sanjay Shukla)
Managing Director

(CA Harsh Sarawagi)
Auditor (M.No. 513618)

As per our report of even date



C.G. STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

Bharat Nadi

Annexure "A" of Balance Sheet AS ON 31st MARCH' 2021

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT
22,63,000.00	Grant in Aid	22,63,000.00	85,29,42,793.11	Advance to Distt. Union(Bhopal)	85,29,42,793.11
14,00,000.00	M.F.P.Operation- Processing Units & Small Godowns	14,00,000.00			
22,27,000.00	NTPP Plantation (Medicinal Plants)	22,27,000.00			
3,81,50,000.00	Godown Assistance	3,81,50,000.00			
30,57,321.00	Subsidy for Godowns From TRIFED	30,57,321.00			
6,00,000.00	Subsidy for Small Godowns	6,00,000.00			
9,38,96,542.04	Provision for T.P.Trade & Administrative Charges (New)	9,38,96,542.04			
23,52,776.68	Provision for Harra Trade Expenses (New)	23,52,776.68			
39,63,288.56	Provision for Sal Seed Trade Expenses (New)	39,63,288.56			
1,461.84	Provision for Other Gum Trade Expenses (New)	1,461.84			
2,024.00	Provision for Kullu Gum Trade Expenses (New)	2,024.00			
26,09,01,689.23	Provision for T.P.Trade & Admin.Charges (Old)	26,09,01,689.23			
3,50,956.43	Provision for Mahua Trade Expenses	3,50,956.43			
36,84,541.50	Provision for Harra Trade Expenses (Old)	36,84,541.50			
1,99,19,699.20	Provision for Sal Seed Trade Expenses (Old)	1,99,19,699.20			
5,09,30,873.30	Incentive Wages to Pluckers (Bhopal)	5,09,30,873.30			
9,88,14,052.72	PROFIT TO SOCIETIES (REORGANISATION) (70:15:15)	9,88,14,052.72			
33,03,50,213.89	ADVANCE FROM DISTT. UNION (BHOPAL)	33,03,50,213.89			
64,000.00	CASH IN TRANSIT	64,000.00			
91,29,29,440.39	GRAND TOTAL	91,29,29,440.39	85,29,42,793.11	GRAND TOTAL	85,29,42,793.11

5,99,86,647.28 Net transfered to Balance Sheet as M.P.M.F.P.CO-OP. FED. 5,99,86,647.28
BHOPAL A/c -1

Raipur dated 25-10-2021

(Smt. Archana Dhangar)
Asst. Account Officer

(Neelesh Kumar Tiwari)
Manager Accounts

(Rajnish Patel)
Manager Finance

(S.S. Bajaj)
Add. Managing Director (Trade)

As per Report of over check

(Sanjay Shukla)
Managing Director

(CA Harsh Sarawagi)
Auditor (M.No. 513618)



C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

M.S.P.PROJECT TRADING ACCOUNT FOR THE YEAR 2020-21

SAL SEED

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	4,58,59,712.48	By Sales	16,10,11,737.49
To Purchase	73,17,86,085.50	By Direct Incomes	5,79,168.00
To Direct Over Head Expenses	9,01,49,662.82	By Misc Income through DU	99,493.00
To Service Charge Sal Seed	1,46,77,341.00	By Closing Stock	23,53,72,096.87
		By Loss transfered to Fund to meet loss	48,54,10,306.44
TOTAL	88,24,72,801.80	TOTAL	88,24,72,801.80

HARRA

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	13,93,899.31	By Sales	64,31,203.17
To Purchase	3,83,44,070.00	By Direct Incomes	28,126.00
To Direct Over Head Expenses	62,67,746.71	By Closing Stock	3,46,87,940.23
To Service Charge Harra	7,76,791.00	By Loss transfered to Fund to meet loss	56,35,237.62
TOTAL	4,67,82,507.02	TOTAL	4,67,82,507.02

MAHUA SEED

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	76,21,902.07	By Sales	58,96,959.11
To Purchase	55,34,779.00	By Direct Incomes	1,230.00
To Direct Expenses	7,78,416.43	By Closing Stock	99,45,972.15
To Service Charge Mahua Seed	1,11,529.00		
To Payable to MFP Gatherers under MSP	17,97,534.76		
TOTAL	1,58,44,161.26	TOTAL	1,58,44,161.26

CHIRONJI

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	92,22,830.06	By Sales	83,42,455.98
To Purchase	1,30,27,367.00	By Direct Incomes	23,559.00
To Direct Over Head Expenses	4,32,330.64	By Closing Stock	1,40,73,438.63
To Service Charge Chironji	2,65,862.00	By Loss transfered to Fund to meet loss	5,08,936.09
TOTAL	2,29,48,389.70	TOTAL	2,29,48,389.70

(Signature)



C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR
M.S.P.PROJECT TRADING ACCOUNT FOR THE YEAR 2020-21

KUSUMI LAC

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	12,49,624.56	By Sales	19,92,292.01
To Purchase	7,94,588.01	By Direct Incomes	11,387.00
To Direct Expenses	55,946.58	By Closing Stock	22,55,926.85
To Service Charge Kusumi Lac	15,530.00		
To Payable to MFP Gatherers under MSP	21,43,916.71		
TOTAL	42,59,605.86	TOTAL	42,59,605.86

RANGINI LAC

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	40,03,095.85	By Sales	56,86,907.99
To Purchase	1,60,99,358.00	By Direct Incomes	35,797.01
To Direct Over Head Expenses	3,03,140.53	By Closing Stock	2,84,93,282.20
To Service Charge Rangini Lac	2,95,662.00		
To Payable to MFP Gatherers under MSP	1,35,14,730.82		
TOTAL	3,42,15,987.20	TOTAL	3,42,15,987.20

BAEL

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	44,367.00	By Sales	0.00
To Purchase	3,41,622.00		0
To Direct Over Head Expenses	6,274.00	By Closing Stock	3,97,892.63
To Service Charge Bael	6,516.00		
		By Loss transfered to Fund to meet loss	886.37
TOTAL	3,98,779.00	TOTAL	3,98,779.00

BAHEDA

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	18,54,361.09	By Sales	75,52,872.49
To Purchase	8,25,72,887.50	By Direct Incomes	4,164.00
To Direct Expenses	1,00,39,364.48	By Closing Stock	3,47,29,121.15
To Service Charge Baheda	16,40,752.00	By Loss Transfered to Fund to meet loss	5,38,21,207.43
TOTAL	9,61,07,365.07	TOTAL	9,61,07,365.07

(Signature)



C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR
M.S.P.PROJECT TRADING ACCOUNT FOR THE YEAR 2020-21

BAHEDA KACHARIYA

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	1,072.28	By Sales	11,36,987.96
To Purchase	25,02,976.00	By Closing Stock	16,17,488.48
To Direct Expenses	2,32,819.84		
To Service Charge Baheda Kachariya	46,841.00		
		By Loss Transferred to Fund to meet loss	29,232.68
TOTAL	27,83,709.12	TOTAL	27,83,709.12

DHAWAI FUL

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	896.00	By Sales	36,55,530.39
To Purchase	65,85,657.00	By Direct Incomes	15,209.00
To Direct Expenses	6,99,212.61	By Closing Stock	30,21,568.97
To Service Charge Dhawai Ful	1,38,700.00		
		By Loss Transferred to Fund to meet loss	7,32,157.25
TOTAL	74,24,465.61	TOTAL	74,24,465.61

KALMEGH

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	29,04,540.02	By Sales	46,06,485.98
To Purchase	2,73,36,430.00	By Direct Incomes	713.00
To Direct Over Head Expenses	18,57,427.49	By Closing Stock	1,70,71,024.60
To Service Charge Kalmegh	5,49,152.00		
		By Loss Transferred to Fund to meet loss	1,09,69,325.93
TOTAL	3,26,47,549.51	TOTAL	3,26,47,549.51

NAGARMOTHA

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	24,161.68	By Sales	31,33,491.00
To Purchase	55,49,901.00	By Direct Incomes	268.00
To Direct Expenses	3,70,393.47	By Closing Stock	35,99,102.65
To Service Charge Nagarmotha	1,12,154.00		
To Payable to MFP Gatherers under MSP	6,76,251.50		
TOTAL	67,32,861.65	TOTAL	67,32,861.65

(Signature)



C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR
M.S.P.PROJECT TRADING ACCOUNT FOR THE YEAR 2020-21

AATIIMLI

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	0.00	By Sales	
To Purchase	12,99,11,572.50	By Direct Incomes	0.00
To Direct Expenses	1,22,22,474.07	By Closing Stock	2,21,45,719.81
To Service Charge Aati Imli	26,56,848.00		
		By Loss Transferred to Fund to meet loss	12,26,45,174.76
TOTAL	14,47,90,894.57	TOTAL	14,47,90,894.57

AMLA

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	0.00	By Sales	
To Purchase	36,032.00	By Direct Incomes	0.00
To Direct Over Head Expenses	1,401.80	By Closing Stock	38,077.81
To Service Charge Amla	644.00		
To Payable to MFP Gatherers under MSP	0.01		
TOTAL	38,077.81	TOTAL	38,077.81

BHELWA

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	0.00	By Sales	18,41,984.00
To Purchase	21,35,077.00	By Direct Incomes	0.00
To Direct Over Head Expenses	7,07,936.28	By Closing Stock	15,48,527.81
To Service Charge Bhelwa	43,845.00		
To Payable to MFP Gatherers under MSP	5,03,653.53		
TOTAL	33,90,511.81	TOTAL	33,90,511.81

CHAROTA SEED

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	7,08,984.15	By Sales	59,39,666.97
To Purchase	63,14,353.38	By Direct Incomes	20,486.08
To Direct Over Head Expenses	11,24,359.59	By Closing Stock	10,90,979.97
To Service Charge Charota Seed	1,30,311.00		
		By Loss transferred to Fund to meet loss	12,26,875.10
TOTAL	82,78,008.12	TOTAL	82,78,008.12

me



C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR
M.S.P.PROJECT TRADING ACCOUNT FOR THE YEAR 2020-21

GILOE

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	0.00	By Sales	0.00
To Purchase	4,04,53,118.00	By Direct Incomes	0.00
To Direct Over Head Expenses	18,28,218.65	By Closing Stock	2,24,46,515.26
To Service Charge Giloe	8,25,135.00	By Loss transfered to Fund to meet loss	2,06,59,956.39
TOTAL	4,31,06,471.65	TOTAL	4,31,06,471.65

HARRA KACHARIYA

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	0.00	By Sales	1,11,754.00
To Purchase	8,98,685.50	By Direct Incomes	0.00
To Direct Over Head Expenses	0.00	By Closing Stock	6,96,899.50
To Service Charge Harra Kachariya	0.00	By Loss transfered to Fund to meet loss	90,032.00
TOTAL	8,98,685.50	TOTAL	8,98,685.50

HONEY

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	0.00	By Sales	37,124.00
To Purchase	1,44,50,604.00	By Direct Incomes	0.00
To Direct Over Head Expenses	2,70,137.12	By Closing Stock	1,49,75,794.80
To Service Charge Honey	2,92,180.00	By Loss transfered to Fund to meet loss	2.32
TOTAL	1,50,12,921.12	TOTAL	1,50,12,921.12

IMLI

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	27,91,459.20	By Sales	10,97,803.82
To Purchase	28,34,77,706.69	By Direct Incomes	13,655.00
To Direct Over Head Expenses	1,77,44,649.02	By Closing Stock	23,25,91,664.57
To Service Charge ImlI	54,09,248.00	By Loss transfered to Fund to meet loss	7,57,19,939.52
TOTAL	30,94,23,062.91	TOTAL	30,94,23,062.91



C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR
M.S.P.PROJECT TRADING ACCOUNT FOR THE YEAR 2020-21

IMLI BEEJ

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	0.00	By Sales	1,06,45,805.30
To Purchase	14,48,326.00	By Direct Incomes	1,125.00
To Direct Over Head Expenses	5,90,574.75	By Closing Stock	30,66,836.63
To Service Charge Imli Beej	28,749.00		
To Payable to MFP Gatherers under MSP	1,16,46,117.18		
TOTAL	1,37,13,766.93	TOTAL	1,37,13,766.93

IMLI PHOOL

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	0.00	By Sales	1,21,19,490.19
To Purchase	2,07,31,080.00	By Direct Incomes	949.00
To Direct Over Head Expenses	13,12,131.11	By Closing Stock	12,38,55,412.80
To Service Charge Imli Phool	3,79,878.00		
To Payable to MFP Gatherers under MSP	11,35,52,762.88		
TOTAL	13,59,75,851.99	TOTAL	13,59,75,851.99

JAMUN BEEJ

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	0.00	By Sales	0.00
To Purchase	7,94,494.00	By Direct Incomes	0.00
To Direct Over Head Expenses	68,423.13	By Closing Stock	8,78,785.47
To Service Charge Jamun Beej	15,868.00		
To Payable to MFP Gatherers under MSP	0.34		
TOTAL	8,78,785.47	TOTAL	8,78,785.47

KAJU

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	0.00	By Sales	0.00
To Purchase	1,10,78,490.00	By Direct Incomes	0.00
To Direct Over Head Expenses	3,92,502.51	By Closing Stock	1,13,26,846.01
To Service Charge Kaju	2,21,730.00	By Loss transfered to Fund to meet loss	3,65,876.50
TOTAL	1,16,92,722.51	TOTAL	1,16,92,722.51



C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR
M.S.P.PROJECT TRADING ACCOUNT FOR THE YEAR 2020-21

KARANJ BEEJ

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	0.00	By Sales	0.00
To Purchase	8,24,155.00	By Direct Incomes	0.00
To Direct Over Head Expenses	1,03,429.63	By Closing Stock	11,95,747.51
To Service Charge Karanj Beej	16,899.00		
To Payable to MFP Gatherers under MSP	2,51,263.88		
TOTAL	11,95,747.51	TOTAL	11,95,747.51

KANUCH SEED

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	0.00	By Sales	0.00
To Purchase	5,775.00	By Direct Incomes	0.00
To Direct Over Head Expenses	787.83	By Closing Stock	6,678.84
To Service Charge Kanuch Seed	116.00		
To Payable to MFP Gatherers under MSP	0.01		
TOTAL	6,678.84	TOTAL	6,678.84

KULLU GOND

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	0.00	By Sales	0.00
To Purchase	26,070.00	By Direct Incomes	0.00
To Direct Over Head Expenses	33,057.76	By Closing Stock	59,187.75
To Service Charge Kullu Gond	60.00	By Loss transfered to Fund to meet loss	0.01
TOTAL	59,187.76	TOTAL	59,187.76

KUSUM BEEJ

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	0.00	By Sales	0.00
To Purchase	3,90,186.00	By Direct Incomes	0.00
To Direct Over Head Expenses	26,895.17	By Closing Stock	4,24,903.41
To Service Charge Kusum Beej	7,823.00	By Loss transfered to Fund to meet loss	0.76
TOTAL	4,24,904.17	TOTAL	4,24,904.17



C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR
M.S.P.PROJECT TRADING ACCOUNT FOR THE YEAR 2020-21

MAHUA PHOOL

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	0.00	By Sales	10,00,11,501.13
To Purchase	7,44,72,804.00	By Direct Incomes	3,36,544.00
To Direct Over Head Expenses	93,86,922.54	By Closing Stock	24,33,161.72
To Service Charge Mahul Phool	14,90,332.00		
To Payable to MFP Gatherers under MSP	1,74,31,148.31		
TOTAL	10,27,81,206.85	TOTAL	10,27,81,206.85

MAHUL LEAF

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	0.00	By Sales	0.00
To Purchase	26,55,730.00	By Direct Incomes	0.00
To Direct Over Head Expenses	2,52,314.12	By Closing Stock	29,60,219.98
To Service Charge Mahul Leaf	52,750.00		
		By Loss transfered to Fund to meet loss	574.14
TOTAL	29,60,794.12	TOTAL	29,60,794.12

NEEM BEEJ

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	0.00	By Sales	0.00
To Purchase	4,28,718.00	By Direct Incomes	0.00
To Direct Over Head Expenses	64,180.39	By Closing Stock	5,01,276.76
To Service Charge Neem Beej	8,568.00		
		By Loss transfered to Fund to meet loss	189.63
TOTAL	5,01,466.39	TOTAL	5,01,466.39

PHOOL JHADU

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	0.00	By Sales	8,59,825.00
To Purchase	54,00,800.00	By Direct Incomes	0.00
To Direct Over Head Expenses	3,09,464.13	By Closing Stock	53,40,638.39
To Service Charge Phool Jhadu	1,12,350.00		
To Payable to MFP Gatherers under MSP	3,77,849.26		
TOTAL	62,00,463.39	TOTAL	62,00,463.39



C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

M.S.P.PROJECT TRADING ACCOUNT FOR THE YEAR 2020-21

PUWAD BEEJ

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	0.00	By Sales	0.00
To Purchase	5,894.00	By Direct Incomes	0.00
To Direct Over Head Expenses	1,339.92	By Closing Stock	7,351.92
To Service Charge Puwad Beej	118.00	By Loss transfered to Fund to meet loss	0.00
TOTAL	7,351.92	TOTAL	7,351.92

SATAVAR

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	0.00	By Sales	0.00
To Purchase	18,52,676.00	By Direct Incomes	0.00
To Direct Over Head Expenses	79,897.84	By Closing Stock	19,69,241.47
To Service Charge Satavar	36,667.00		
To Payable to MFP Gatherers under MSP	0.63		
TOTAL	19,69,241.47	TOTAL	19,69,241.47

SIKAKAI

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	0.00	By Sales	0.00
To Purchase	13,600.00	By Direct Incomes	0.00
To Direct Over Head Expenses	342.06	By Closing Stock	14,214.07
To Service Charge Sikakai	272.00		
To Payable to MFP Gatherers under MSP	0.01		
TOTAL	14,214.07	TOTAL	14,214.07

VAN JEERA

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	0.00	By Sales	76,414.00
To Purchase	1,87,810.00	By Direct Incomes	389.00
To Direct Over Head Expenses	22,870.24	By Closing Stock	44,081.66
To Service Charge Van Jeera	3,783.00	By Loss transfered to Fund to meet loss	93,578.58
TOTAL	2,14,463.24	TOTAL	2,14,463.24



C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR
M.S.P.PROJECT TRADING ACCOUNT FOR THE YEAR 2020-21

VAN TULSI

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	0.00	By Sales	58,129.20
To Purchase	1,95,372.00	By Direct Incomes	0.00
To Direct Over Head Expenses	1,40,715.51	By Closing Stock	45,375.55
To Service Charge Van Tulsi	4,003.00	By Loss transfered to Fund to meet loss	2,36,585.76
TOTAL	3,40,090.51	TOTAL	3,40,090.51

AMLA DRY

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	0.00	By Sales	30,028.00
To Purchase	22,583.00	By Direct Incomes	0.00
To Direct Over Head Expenses	33,735.05	By Closing Stock	2,927.73
To Service Charge AMLA DRY	457.00	By Loss transfered to Fund to meet loss	23,819.32
TOTAL	56,775.05	TOTAL	56,775.05

BAEL PULP

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	0.00	By Sales	6,84,486.40
To Purchase	14,61,078.00	By Direct Incomes	0.00
To Direct Over Head Expenses	1,90,516.92	By Closing Stock	5,28,128.06
To Service Charge BEAL PULP	32,820.00	By Loss transfered to Fund to meet loss	4,71,800.46
TOTAL	16,84,414.92	TOTAL	16,84,414.92

BHELWA BEEJ

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	0.00	By Sales	0.00
To Purchase	1,18,053.00	By Direct Incomes	0.00
To Direct Over Head Expenses	40,389.31	By Closing Stock	1,60,803.93
To Service Charge BHELWA BEEJ	2,361.00		
To Payable to MFP Gatherers under MSP	0.62		
TOTAL	1,60,803.93	TOTAL	1,60,803.93

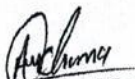


C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR
M.S.P.PROJECT TRADING ACCOUNT FOR THE YEAR 2020-21

M.S.P. PROJECT INDIRECT INCOME / EXPENSES STATEMENT

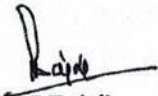
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Bank Charges Distt Union	2,02,424.83	By Interest Earned on FFD	1,46,77,053.00
To Bank Charges H.O.	29.50	By Interest Earned on FDR	5,71,32,935.00
To Other Expenses DU and H.O.	42,106.00	By Interest Earned on Saving	3,14,662.00
To Revolving Fund of MSP	7,18,80,091.67	By Misc Income	2.00
TOTAL	7,21,24,652.00	TOTAL	7,21,24,652.00

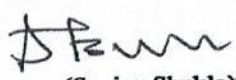
Note : Expenses other than collection i.e indirect expenses are separately shown in indirect income/expenses statement.

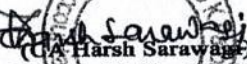

(Smt. Archana Dhangar)
Asst. Account Officer


(Neelesh Kumar Tiwari)
Manager Accounts


(Rajnish Patel)
Manager Finance


(S.S. Bajaj)
Add. Managing Director (Trade)


(Sanjay Shukla)
Managing Director


(Harsh Sarawagi)
Auditor (M.No. 513618)

Raipur dated - 25-10-2021

As per our Report of even date



C.G. STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

Annexure "B" M.S.P PROJECT BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH' 2021

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT
2,67,34,87,061.36	Revolving Fund of MSP	2,74,53,67,153.03	53,09,92,145.96	Fund to Meet Losses	1,30,96,33,841.02
	Opening Balance	2,67,34,87,061.36		Opening Balance	53,09,92,145.96
	+Fund received	-		+ Current Year Trading losses	77,86,41,695.06
	+ Net of Indirect Income/Expenses	7,18,80,091.67			
				7,76,80,905.75 Closing Stock	83,56,20,854.60
8,45,87,377.15	Payable to MFP Gatherers Under MSP	24,64,82,607.60		Aali Imli	2,21,45,719.81
	Opening Balance	8,45,87,377.15		Amla	38,077.81
	+ Current Year	16,18,95,230.45		Amla Dry	2,927.73
				Bael	3,97,892.63
21,05,46,432.00	PM VAN DHAN YOJANA	18,61,84,552.22		Bael Pulp	5,28,128.06
				Baheda	3,47,29,121.15
75,81,146.88	Duties & Taxes	98,98,880.46		Baheda Kachariya	16,17,488.48
	Forest Development Tax	73,56,511.67		Bhelwa	15,48,527.81
	Goods and Service Tax	10,59,315.50		Bhelwa Beej	1,60,803.93
	Value Added Tax	2,20,094.71		Charota Seed	10,90,979.97
	TCS	12,62,958.58		Chironji	1,40,73,438.63
40,03,974.06	Service Charges Payable	3,11,83,106.06		Dhawai Ful	30,21,568.97
				Giloe	2,24,46,515.26
5,79,335.69	Sundry Creditors	18,24,112.69		Harra	3,46,87,940.23
	MFP Purchasers	18,24,109.00		HARRA KACHARIYA	6,96,899.50
	NCDX "E" Marketing Ltd	3.69		Honey	1,49,75,794.80
				Imli	23,25,91,664.57
				Imli Beej	30,66,836.63
				Imli Phool	12,38,55,412.80
				Jamun Beej	8,78,785.47



C.G. STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

Annexure "B" M.S.P PROJECT BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH' 2021

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT
				<i>Kaju</i>	1,13,26,846.01
				<i>Kalmegh</i>	1,70,71,024.60
				<i>Karanj Beej</i>	11,95,747.51
				<i>Kaunch Seed</i>	6,678.84
				<i>Kullu Gond</i>	59,187.75
				<i>Kusum Beej</i>	4,24,903.41
				<i>Kusumi Lac</i>	22,55,926.85
				<i>Mahua Phool</i>	24,33,161.72
				<i>Mahua Seed</i>	99,45,972.15
				<i>Mahul Leaf</i>	29,60,219.98
				<i>Nagarmotha</i>	35,99,102.65
				<i>Neem Beej</i>	5,01,276.76
				<i>Phool Jhadu</i>	53,40,638.39
				<i>Puwad Beej</i>	7,351.92
				<i>Rangini Lac</i>	2,84,93,282.20
				<i>Salseed</i>	23,53,72,096.87
				<i>Satavar</i>	19,69,241.47
				<i>Sikakai</i>	14,214.07
				<i>Van Jeera</i>	44,081.66
				<i>Van Tulsi</i>	45,375.55
				1,00,00,00,000.00 Deposits	0.00
				<i>FDR A/c (Bank of Baroda)</i>	-

20



C.G. STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

Annexure "B" M.S.P PROJECT BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH' 2021

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT
			31,97,05,426.27	Loans and Advances	46,56,47,878.93
				Tax Deducted at Source (Bank)	6,00,47,459.11
				Receivable from Tendu Patta A/c	5,60,02,032.00
				District Union Advance	34,95,98,387.82
			1,04,33,67,521.22	Bank Account	58,31,20,844.99
				PNB A/c No. 000067	26,08,63,609.99
				Axis Bank A/c No. 244794	21,25,72,311.00
				ICICI Bank A/c 44794	10,96,84,924.00
			86,36,889.00	Stock Of Commercial Goods	2,44,07,483.00
				MSP Gunny Bags and Stationary	2,44,07,483.00
			4,02,438.94	Duties & Taxes	25,09,509.52
				CGST Input	7,512.00
				Entry Tax	93,410.52
				SGST Input	7,512.00
				IGST Input	24,01,075.00
2,98,07,85,327.14	GRAND TOTAL	3,22,09,40,412.06	2,98,07,85,327.14	GRAND TOTAL	3,22,09,40,412.06

Raipur dated- 25-10-2021

(Smt. Archana Dhangar)
Asst. Account Officer

(Neelesh Kumar Tiwari)
Manager Accounts

(Rajnish Patel)
Manager Finance

(S.S. Bajaj)
Add. Managing Director (Trade)

(Sanjay Shukla)
Managing Director

(CA Harsh Sarawagi)
Auditor (M.No. 513618)

As per our report of even date

